वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-21

ੴ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh
अध्यक्ष / Chairman
(Till 22.05.2021)

श्री एस कृष्णन / Sh. S Krishnan
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री अजित कुमार दास / Sh. Ajit Kumar Das
कार्यकारी निदेशक / Executive Director
(Till 31.03.2021)

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र / Sh. Kollegal V Raghavendra
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar
भारत सरकार के
नामित निदेशक
GOI Nominee Director

श्री बी.पी. विजयेन्द
Sh. B.P. Vijayendra
भारतीय रिज़र्व बैंक के
नामित निदेशक
RBI Nominee Director
(Till 12.04.2021)

श्री के पी पटनायक
Sh. K P Patnaik
भारतीय रिज़र्व बैंक के
नामित निदेशक
RBI Nominee Director
(From 13.04.2021)

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director
(From 12.05.2021)

विषय–सूची / Contents

		पृष्ठ संख्या / Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	एमडी एवं सीईओ का वक्तव्य / MD & CEO's Statement	4-7
4.	नोटिस / Notice	8-27
5.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	28-39
6.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report	40-45
7.	कंपनी अभिशासन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	46-105
8.	व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	106-129
9.	बासल–III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - III	130-185
10.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	186-203
	तुलन–पत्र / Balance Sheet	204-205
	लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account	206-209
	अनुसूचियाँ / Schedules	210-283
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र / Cash Flow Statement	284-287

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2021 को / As on 31.03.2021

1. जमा Deposits	9610818
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6781117
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2822799
4. सकल निवेश Gross Investments	3251841
5. परिचालन लाभ Operating Profit	77122
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-)273290
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-)2.55%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	4.04%
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल–III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	17.06%

निदेशक मंडल / Board of Directors

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh
अध्यक्ष / Chairman
(Till 22.05.2021)

श्री एस कृष्णन / Sh. S Krishnan
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

श्री अजित कुमार दास / Sh. Ajit Kumar Das
कार्यकारी निदेशक / Executive Director
(Till 31.03.2021)

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र / Sh. Kollegal V Raghavendra
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

निदेशक / Directors

श्री एस. आर. मेहर / Sh. S. R. Mehar
भारत सरकार के नामित निदेशक / GOI Nominee Director

श्री बी.पी. विजयेन्द / Sh. B.P. Vijayendra
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक / RBI Nominee Director
(Till 12.04.2021)

श्री के पी पटनायक / Sh. K P Patnaik
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक / RBI Nominee Director
(From 13.04.2021)

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता / Sh. T.R. Mendiratta
शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
(From 12.05.2021)

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा
Sh. Ambrish Kumar Mishra

महाप्रबंधक / General Managers

श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
Sh. Vinay Kumar Mehrotra

श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan

श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar

श्री एस.वी.एम. कृष्णा राव
Sh. S.V.M Krishna Rao

श्री कामेश सेठी
Sh. Kamesh Sethi

श्री अमित श्रीवास्तव
Sh. Amit Srivastava
(From 01.04.2021)

श्री पंकज द्विवेदी
Sh. Pankaj Dwivedi

श्री रवि मेहरा
Sh. Ravi Mehra

श्री राजेन्द्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar
(From 01.04.2021)

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
M/S Suresh Chandra & Associates

मैसर्स घिया एण्ड कंपनी
M/S Ghiya & Co

मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कंपनी
M/s Raj Gupta & Co.

मैसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स
M/s Shiv & Associates

श्री एस कृष्णन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एमडी एवं सीईओ का वक्तव्य

प्रिय हितधारक, मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष 1908 में स्थापित पंजाब एण्ड सिंध बैंक की स्थापना निम्न वर्ग के लोगों सहायता व उत्थान तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता की दृष्टि और सिद्धांत पर किया गया। आज, बैंक 1531 शाखाओं के माध्यम से अखित भारतीय उपस्थिति के साथ, इस विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रहा है तथा समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है। हमारा सूत्र वाक्य 'जहाँ सेवा ही जीवन ध्येय है', हमारी तंतुओं के मूल से बुनी गई है और प्रत्येक पीएसबीयन में निहित है।

वर्ष 2020-21 ने वैश्विक स्तर पर अनेक चुनौतियों विशेष रूप से कोविड-19 का सामना किया है। इसने विश्व स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को चुनौती दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि प्रथम दो तिमाहियों के लिए नकारात्मक प्रक्षेप पथ में थी, ने अपना लचीलापन दिखाया तथा 'वी' आकार की वसूली दर्ज करते हुए तृतीय तिमाही में ही सकारात्मक वृद्धि के साथ वापसी की।

देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और स्वास्थ्य अवसंरचना को संबल देने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल किए हैं, जिसने संजीवनी के रूप में कार्य किया तथा विभिन्न अन्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अर्थव्यवस्था को तेज गति से पुनर्जीवित किया।

महामारी ने व्यवसायिक लेनदेन के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए है तथा नई स्थिति नया बुजवर्ड दिया है।

बैंक का मुख्य प्रदर्शन

वर्ष के दौरान, साल-दर-साल पर बैंक का व्यवसाय 7.68% बढ़ा है। जमाराशि में 7.18% तथा अग्रिम में 8.39% की वृद्धि हुई है। कासा जमाराशि पर प्रयास करने से इसके परिणाम सामने आए तथा इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.90 % की वृद्धि हुई है। रैम सेगमेंट अग्रिमों (खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई) पर बैंक के विशेष प्रयास ने भी अच्छे परिणाम दिए जिससे क्रमशः खुदरा क्षेत्र में 12.25%, कृषि (आरआईडीएफ के अतिरिक्त) में 15.47% तथा एमएसएमई अग्रिम (आरआईडीएफ के अतिरिक्त तथा ₹ 2130 करोड़ के पीएसएलसी सहित) में 7.07% की वृद्धि हुई है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जमाराशियों की लागत में 98 आधार अंकों का सुधार हुआ जोकि अग्रिमों पर प्रतिफल में 76 आधार अंको की गिरावट से अधिक था। फलस्वरूप, निवल ब्याज आय (एनआईआई) में ₹ 204 करोड़ का सुधार हुआ है तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 23 आधार अंक सुधरकर 1.88% (2019-20) से 2.11% (2020-21) हो गया है।

मुख्यतः नवीनतम मृत्यु दर आईएएलएम 2012-14 के कारण संशोधित बीमांकिक प्रक्षेपण के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान हेतु ₹ 369 करोड़ के एकमुश्त व्यय प्रदान करने के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1097 करोड़ की तुलना में बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर ₹ 771 करोड़ हो गया है। उच्चतर प्रावधान के कारण वर्ष 2020-21 के लिए बैंक ने ₹ 2733 करोड़ की निवल हानि प्रविष्ट की है। आठ तिमाही के लिए लगातार निवल हानि दर्ज करने का बाद, मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक ने रुपये 161 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित अनिवार्य लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से हासिल किया है:

- ✓ प्राथमिकता क्षेत्र में 40% प्रतिमानक के विरूद्ध समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.36%
- ✓ लघु व सीमांत किसानों के 8% के विरुद्ध एएनबीसी का 9.62%
- ✓ लघु उद्यम के 7.50% अनिवार्य लक्ष्य के विरूद्ध एएनबीसी का 8.12%

Sh. S Krishnan

Managing Director &
Chief Executive Officer

MD & CEO's Statement

Dear stakeholders, I place before you the highlights of your Bank's performance for the FY 2020-2021, details of which have been given in the Annual Report.

Punjab & Sind Bank, set-up in 1908, was founded with the vision and principle of social commitment to help and uplift the weakest and raise their standard of living. Today, the Bank, with Pan India presence through 1531 branches, proudly carries the legacy and is contributing in development of the society and nation. Our tagline *Where service is a way of life* is woven to the core of our fabric and inculcated in each and every PSBian.

The year 2020-21 has posed many challenges globally, predominantly by COVID 19. It has challenged the social and economic fabric globally. Indian economy, though was in negative trajectory for first two quarters, showed its resilience and rebounded with positive growth in the third quarter itself, registering a 'V' shape recovery.

To support the economy, social and health infrastructure of the country, the Government took various initiatives, which acted as a *sanjeevni* and revived the economy at a much faster pace as compared to various other western economies.

The pandemic has brought a paradigm shift in the way businesses are transacted and given a new buzzword *new normal*.

Key performance of the Bank

During the year, the business of the Bank grew by 7.68% on YoY basis. Deposits grew by 7.18% and Advances by 8.39%. The thrust on CASA deposits bore its results and it grew by 18.90% on YoY basis. The bank's reemphasis on RAM Segment advances (Retail, Agriculture and MSME) also gave good results thereby achieving growth of 12.25 % in Retail, 15.47% in Agriculture (Excluding RIDF) and 7.07% in MSME Advances (Excluding RIDF & including PSLC of Rs. 2130 Crore), respectively.

FINANCIAL PERFORMANCE

During the financial year 2020-21, the cost of deposits improved by 98 basis points, which was more than the decrease of 76 basis points in yield on advances. Consequently, the Net Interest Income (NII) has improved by Rs.204 crore and Net Interest Margin (NIM) has improved by 23 basis points from 1.88% (2019-20) to 2.11% (2020-21).

Operating Profit of the Bank has decreased to Rs.771 crore during 2020-21 as compared to Rs.1097 crore during 2019-20 mainly due to providing one time expenditure of Rs.369 Crore towards provision for terminal benefits as per revised actuarial projection on account of latest mortality rate IALM 2012-14. The Bank reported a Net Loss of Rs.2733 crore for 2020-21 on account of higher provisions. After posting net loss consecutively for eight quarters, the Bank registered a Net Profit of Rs. 161 crore for the quarter ended March 2021

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

During 2020-21, the Bank has credibly achieved the following mandated targets:

- ✓ 41.36 % of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% norm in Priority Sector
- ✓ 9.62 % of the ANBC against 8% to Small and Marginal Farmers
- ✓ 8.12 % of the ANBC against 7.50 % mandated target to Micro Enterprises

बैंक ने 2020-21 में पीएसएलसी को ₹ 2130 करोड़ में विक्रय किया।

1.28% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2021 को बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 28228 करोड़ हो गया है। कृषि पोर्टफोलियो (आरआईडीएफ) के अंतर्गत बैंक का अग्रिम 15.47% बढ़कर ₹ 10638 करोड़ हो गया है।

बैंक प्रमुख अंतःक्षेप यथा बैंकिंग अवसंरचना, उपयुक्त वित्तीय उत्पादों का प्रस्ताव, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना इत्यादि के साथ वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक ने 13.96 लाख खाते खोले तथा ₹ 575 करोड़ की कासा जमाराशि एकत्रित की।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक, एनपीए प्रबंधन पर लगातार प्रयास कर रहा है तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष सकल एनपीए अनुपात घटकर 13.76% हो गया है जोकि मार्च 2020 को 14.18% था। इसी प्रकार, मार्च 2020 में 8.03% की तुलना में मार्च 2021 में बैंक के निवल एनपीए में 4.04% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) सुधरकर 82.89% हो गया।

पूंजी

भारत सरकार द्वारा ₹ 5500 करोड़ की पूंजी लगाने के बाद, जोखिम-भारित आस्ति अनुपात के एवज में पूंजी दिनांक 31.03.2021 को बढ़कर 17.06% तथा सीईटी-। अनुपात 12.05% हो गया है।

पुरस्कार

वित्तीय समावेशन में विभिन्न पहलों के अभिज्ञान में, आईबीए द्वारा बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल के लिए पुरस्कृत किया गया।

आगामी लक्ष्य

यद्यपि महामारी की दूसरी लहर ने देश की सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और आशा की किरण देने वाले टीकाकरण के साथ हमें आशा है कि हालात यथाशीघ्र ठीक हो जाएंगे तथा जल्द पुनर्स्थिति में आ जाएंगे। बैंक ने मानव तथा अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग का लाभ उठाने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन हेतु लंबी रणनीति तैयार की है। इसके अलावा, बैंक का उद्देश्य नए गिरावट को कम करने तथा रेम सेगमेंट ऋण को और बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन वास्तुकला, आईटी अवसंरचना, ऋण निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना है।

बैंक अपने ग्राहकों, समाज तथा राष्ट्र की उत्तम संभव तरीके से सेवा करने के लिए पूरी तरह से उन्मुख, प्रतिबद्ध और समर्पित है। कोविड के वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में प्रत्येक पीएबीएन बिना किसी झिझक या भय के सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है।

The Bank sold PSLC to the tune of Rs.2130 crore in 2020-21.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2021 reached at Rs 28228 crore, recording a YoY growth of 1.28 %. The Bank's advances under Agriculture portfolio (Excluding RIDF) increased by 15.47 % to Rs.10638 crore.

The Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions such as expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making use of technology and enhancing financial literacy. The Bank opened 13.96 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of Rs.575 crore.

ASSET QUALITY

The Bank has been making consistent efforts on NPA management and improved the asset quality. Gross NPA ratio reduced to 13.76% this year, down from 14.18% as at March 2020. Similarly, in March 2021, Net NPA of the bank registered a steep decline to 4.04% as compared to 8.03 % in March 2020. Provision Coverage Ratio (PCR) of Bank improved to 82.89 %.

CAPITAL

After the capital infusion of Rs.5500 crore by Government of India, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) has improved to 17.06% as on 31.3.2021 and CET-I Ratio to 12.05 %.

AWARDS:

In recognition of the varied initiatives in Financial Inclusion, the Bank was conferred upon an Award by IBA for *Best Digital Financial Inclusion Initiatives*.

The Road Ahead

Though the second wave of pandemic has affected the socio-economic scenario of the country, with the measures initiated by the Government of India and with vaccination giving a glimmer of hope, we are hopeful that the things will ease out quickly and shall be back on track soon. The Bank has laid down long drawn strategy for organizational restructuring to leverage optimum utilisation of the human and other resources. Besides this, the Bank aims at strengthening the Risk Management architecture, IT Infrastructure, credit monitoring systems to curtail fresh slippages and further shore up the RAM segment credit.

The Bank is fully oriented, committed and dedicated to serve its customers, society and nation in the best possible way. In the present challenging time of COVID, each PSBian is fully dedicated to serve, without any hesitation or fear.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेलः **www.psbindia.com**

नोटिस

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को सुबह 11:00 बजे (बैठक के लिए स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय ही होगा) से निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

मद संख्या 1

31 मार्च 2021 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सम्मिलित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाने के लिए।

मद संख्या 2

बैंक के शेयर प्रीमियम खाता से रु. 35,77,54,66,746.23/- का संचित हानियों का विनियोग है।

विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने के लिए:-

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 ("धारा") के 3 (2BBA) के संदर्भ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 **(बीआर अधिनियम)** के खंड 17(2) के राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के पद 21, वित्तीय सेवा विभाग राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 (एस.ओ. 1200 ई) के दिनांक 23.03.2020 जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 2020 से लिया गया है, इसका संशोधन किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या उसके पुनः अधिनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, भारत सरकार तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण जो इस संबंध में आवश्यक हो सकते हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति होनी चाहिए तथा एतद्द्वारा बैंक के संचित घाटे रु. 35,77,54,66,746.23/- (तीन हजार पाँच सौ सत्रह करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार सात सौ छियालीस रुपये एवं तैईस पैसे केवल) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समायोजित करने के लिए दिया जाता है। जिसको बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में डाल कर बकाया शेष को निर्धारित दिनांक तक तथा उसको वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही खातों को लेकर उपयोग करते है।

"संकल्पित किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने का उद्देश्य, बोर्ड या बोर्ड की कमेटी या बोर्ड के द्वारा अधिकृत अधिकारों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों को करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा चीजें जो वह अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक समझ सकती है या संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वांछनीय तथा किसी भी प्रश्न, समस्या या शंका को, इस संबंध में उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त हो सकता है।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.06.2021

एस कृष्णन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 20th July, 2021 at 11.00 a.m.** (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

Appropriation of accumulated losses of Rs.35,77,54,66,746.23 from Share Premium Account of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("Act"), Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 (`BR Act'), Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the bank's accumulated losses of Rs.35,77,54,66,746.23 (Rupees Three Thousand Five Hundred Seventy Seven Crore Fifty Four Lakhs Sixty Six Thousand Seven Hundred and Forty Six and Twenty Three Paisa only) as at 31st March, 2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial year 2021-22."

"**RESOLVED FURTHER** that for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board or officials of the Bank as authorized by the Board are hereby **authorized** to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit".

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 23.06.2021

S Krishnan
Managing Director & CEO

टिप्पणियां

1. विडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05.05.2020 तथा परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13.01.2021 के साथ पठित कंपनी मामलों के मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020 (सामूहिक रूप से संदर्भित "एमसीए परिपत्र") के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 तथा एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम स्वामित्व की अनुमति 31.12.2021 तक है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, विडियों कॉफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों के लिए वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ग्यारवीं एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत कार्यवाह संख्या की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाएगा, इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं है, यह सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत आवश्यक नहीं है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित प्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 15 जुलाई, 2021 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पहले प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 में जमा नहीं हो जाता या संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजी जाती है।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बुक, **बुधवार 14.07.2021 से मंगलवार, 20.07.2021** तक (दोनों दिवस सम्मिलित) बंद रहेगा।

5. व्याख्यात्मक विवरणी:

बैठक के व्यापार के संबंध में वास्तविक तथ्यों को समायोजन करने वाले व्याख्यात्मक विवरण साथ ही तथा नोटिस के भाग भी संलग्न है।

6. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

I. सेबी (सूचीयन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम 2015, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित संशोधित कंपनी नियम 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में सरोकार करने के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटिंग के माध्यम शेयरधारकों के मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि **मंगलवार, 13.07.2020** है।

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Pursuant to Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 read with Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 permit holding of AGM for the calendar year 2021 through VC/OAVM up to December 31, 2021

In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 11th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **15th July 2021.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from **Wednesday, July 14, 2021 to Tuesday, July 20, 2021** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the notice.

6. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through remote e-voting / e-voting is **Tuesday, 13th July, 2021**.

II. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार की शर्तों के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है, शामिल नहीं होंगे।

III. शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :-

i. दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 16.07.2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे) को प्रारंभ होगी और सोमवार, 19.07.2021 (अपराह्न 05:00 बजे) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिसके पास अंतिम निर्धारित तिथि मंगलवार, 13.07.2021 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दी जाएगी।

ii. शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

iii. सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के 44अधिनियम के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया(लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के अंतर्गत अधिनियम 2015 में, शेयरधारकों के प्रस्ताव के संबंध में, शोयरधारकों के लिए, सूची बद्ध संस्थाएं हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की आवश्यकता होती है। फिर भी देखा गया है कि गैर संस्थागत शेयरधार को/रिटेल शेयरधारकों को जनता द्वारा भागीदारी में अमान्य माना गया है।

वर्तमान में, भारत में, कई ई-वोटिंग सेवा उपलब्ध (ईएसपी) सूचीबद्ध संस्थाएं है, जोकि ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। शेयरधारकों के विभिन्न ईएसपी तथा कई यूजर आईडी तथा पासवर्ड को बनाए रखने हेतु पंजीकरण आवश्यक है।

वोटिंग प्रक्रिया को बेहतर करने के संबंध में, जनता के परामर्श के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि समस्त डीमेट खातों के धारकों को ई-वोटिंग हेतु योग्य, एक बार ही लॉग-इन परिचय पत्र द्वारा, अपने डीमेट खाते/ डिपॉजिटरी की वेबसाइट/ डिपॉजिटरी सहभागी द्वारा की जाएगी। ईपीएस में पुन: पंजीकरण किए बिना ही डीमेट खाताधारक अपना वोट दे सकते है। उससे, न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा को भी बढ़ाना है।

iv. सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अंतर्गत लिस्टिंड कंपनी तथा प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को पास डीमेट खाता रखने हेतु, डीमेट मोड ही उपलब्ध होगा। ई-वोटिंग सुविधा को पाने हेतु शेयरधारको को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल नं. तथा ई-मेल को डीमेट खातों में अद्यतन करें।

II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:

i. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Friday, 16th July, 2021 and ends at 05:00 p.m. on Monday, 19th July, 2021**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Tuesday, 13th July, 2021**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/ retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

iv. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

उपरोक्त सेबी परिपत्र का अनुसरण करते हुए, डीमेट मोड में, प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हेतु ई-वोटिंग हेतु लॉग-इन विधि तथा आभासी बैठकों में शामिल होने की विधि इस प्रकार हैं :-

शेयरधारकों के प्रकार	**लॉग-इन विधि**
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन यूजर्स ने सीडीएसएल/ऐजी/ऐजीएस सुविधा को चुना है, वे अपनी मौजूदा यूजर आई डी तथा पासवर्ड के द्वारा लॉग-इन कर सकते है। किसी अन्य प्रमाणीकरण के बिना ही ई-वोटिंग पेज पर विकल्प उपलब्ध है। ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी के लॉग-इन हेतु यूजर को यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है या www.cdslindia.com पर जाए तथा लॉग-इन आईकन पर क्लिक करें तथा प्रणाली मायईएसी को चुनें। 2. ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी यूजर के सफलतापूर्वक लॉग-इन के जरिए ई-वोटिंग का विकल्फ, योग्य कंपनियाँ को विकल्प मिलेगा, कंपनी नें सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में ई-वोटिंग प्रक्रिया में है। ई-वोटिंग विक्ल्प को क्लिंक करने पर या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना तथा बैठक के दौरान वोटिंग करने हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान, ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं हेतु यूजर को ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। अतिरिक्त, ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं हेतु, प्रणाली के प्रयोग करने हेतु लिंक उपलब्ध है जैसे CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, ताकि ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं को सीधा ही वेबसाईट को देख सकें। 3. यदि यूजर ने ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी पर पंजीकृत नहीं किया है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक, www.cdslindia.com के होम पेज पर ई-वोटिंग लिंक द्वारा डीमेट खाता सं. तथा पैन नं. को हम सीधा ही ई-वोटिंग पेज से प्राप्त कर सकते है। प्रणाली यूजर के डीमेट में डाले गए पंजीकृत मोबाईल नं. तथा ई-मेल पर ओटीपी को भेज कर प्रमाणित किया जाता है। जहाँ ई-वोटिंग को चलाया जाता है तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता को सीधा ही पहुँचा सकते है।
एनएसडीएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आपने एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत कर रखा है तो, कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाईट पर जाएं। निम्न यूआरएल https://eservices.nsdl.com को वेबब्राउजर को खोलने हेतु या व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाईल पर टाईप करें। जब ई-सर्विस का होम पेज लॉन्च हो जाता है तो, लाभकारी स्वामी पर, "लॉग-इन" आईकन के अंदर क्लिक करें, जोकि आईडीईएएस खंड में उपलब्ध है। नई स्क्रीम खुल जाएगी। अब आपको यूजर आई डी तथा पासवर्ड डालना होगा। सही प्रमाणीकरण के बाद, ई-वोटिंग सर्विस आपको मिल जाएगी। ई-वोटिंग सर्विस के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें तथा ई-वोटिंग पेज को आप देख पाएगें। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर के नाम पर तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को, वोट देने के लिए दूरस्थ वोटिंग अविधि में या आभासी बैठक में शामिल हेतु तथा बैठक में वोटिंग हेतु पुन: निर्देश दे सकते हैं। 2. यदि यूजर ने ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी पर पंजीकृत नहीं किया हैं, तो https://eservices.nsdl.com इस पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। आईडीईएएस पोर्टल पर पंजीकृत करें या इस https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को वेब ब्राउजर को खोलने हेतु या व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाईल पर टाईप करें। जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाता है तो "लॉग-इन" आईकन के अंदर क्लिक करें, जोकि शेयरधारक/सदस्य खंड के अंदर उपलब्ध है। नई स्क्रीन खुल जाएगी। अब आपको यूजर आई डी (एनएसडीएल सहित 16 नं. का डीमेट खाता सं), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर पुष्टि कोड भी डालना होगा। सही प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साईट पर पुन: निर्देश किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर नाम पर तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को, वोट देने के लिए दूरस्थ वोटिंग अविधि में या आभासी बैठक में शामिल हेतु तथा बैठक में वोटिंग हेतु पुन: निर्देश दे सकते हैं।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन	एनएसडीएल/सीडीएसएल सहित, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पंजीकृत के माध्यम से, आप अपने डीमेट खाते को परिचय पत्र को लॉग-इन के जरिए, ई-वोटिंग सुविधा हेतु लॉग-इन कर सकते है। लॉग-इन सफलता के बाद, आप ई-वोटिंग के विकल्प को प्राप्त कर सकते है। जब आप अपने ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करे, उसकी सही प्रमाणीकरण के बाद, आप तुरंत एनएसडीएल/सीडीएसएल को पुन: निर्देश करेगें, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर को देख सकते है। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर का नाम तथा दूरस्थ ई-वोटिंग के दौरान आप ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को वोट हेतु दे सकते हैं।

Pursuant to above SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	**Login Method**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण नोट:- जिस व्यक्तियों को अपना यूजर आई डी/पासवर्ड को पुन: प्राप्त करने में असमर्थता है, वे उपरोक्त दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध फोगेट यूजर आईडी तथा फोगेट पासवर्ड का प्रयोग कर सकते है।

डिपोजिटरी के माध्यम से लॉग-इन के संबंध में कोई भी तकनीकी मुद्दे हेतु व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डीमेट मोड़ में प्रतिभूतियाँ धारित की हुई है, हैल्पडैस्क में है, जैसे कि सीडीएसएल तथा एनएसडीएल:-

लॉग-इन प्रकार	हैल्पडैस्क विवरण
सीडीएसएल सहित डीमेट मोड में व्यक्तिगत शेयरधारकों ने प्रतिभूर्ति धारित की हुई है।	सदस्यों को लॉग-इन करने में कोई भी तकनीकी मुद्दा आता है तो वे सीडीएसएल के हैल्पडैस्क पर helpdesk.evoting@cdslindia.com अपना आवेदन भेज सकते है। दूरभाष:- 022-23058738 तथा 22-23058542-43
एनएसडीएल सहित डीमेट मोड में व्यक्तिगत शेयरधारकों ने प्रतिभूर्ति धारित की हुई है।	सदस्यों को लॉग-इन करने में कोई भी तकनीकी मुद्दा आता है तो वे एनएसडीएल के हैल्पडैस्क पर evoting@nsdl.co.in अपना आवेदन भेज सकते है। या इस टोल फ्री न. पर संपर्क कर सकते है:- 18001020900 तथा 1800224430

v. ई-वोटिंग हेतु लॉग-इन विधि तथा भौतिक शेयरधारकों के लिए आभासी बैठक हेतु तथा डीमेट फॉर्म में व्यक्तिगत स्वामित्व से अतिरिक्त अन्य शेयरधारक।

1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. "शेयरधारक" मॉडयूल पर क्लिक करें।
3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें ।
   i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,
   ii. एनएसडीएल हेतु : 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी,
   iii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
4. आगे प्रदर्शित हो रहे इमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें तथा लॉग-इन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट फॉर्म में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करेः

	भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु तथा अन्य व्यक्तिगत शेयरधारकों में डीमेट रुप में शेयरों का स्वामित्व
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे सदस्य जिन्होनें अपना पैन, बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉग-इन के क्रम में, डीमेट खाते में या कंपनी के अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष के प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास अभिलेखित नहीं है तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में सदस्य संख्या आईडी/फोलियो नंबर जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।

7. इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
8. सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट धारकों द्वारा किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
9. सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई-मतदान हेतु किया जा सकता है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

v. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
2. Click on "Shareholders" module.
3. Now enter your User ID
   i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
   ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
   iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

7. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
8. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
9. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

10. प्रासंगिक (कंपनी का नाम) जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं, के लिए "ईवीएसएन" पर क्लिक करें।
11. वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिजोल्यूशन विवरण" देखेंगे तथा उसके समक्ष मतदान के लिए हाँ/नहीं का विकल्प देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
12. यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
13. वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसल" पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
14. यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की "पुष्टि" कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
15. आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर सकते हैं।
16. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

17. अवैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों हेतु अतिरिक्त सुविधा - रीमोट वोटिंग हेतु केवल

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (जैसे वैयतिक्क के अतिरिक्त, संयुक्त हिंदू परिवार, एनआरआई इत्यादि) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉग-ऑन करना होगा और "कॉर्पोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर हो उसको helpdesk.evoting@cdslindia.com. पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर बना लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते है।
- लॉग-इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होगें।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा की स्कैन प्रति, यदि कोई है, तो पीडीएफ प्रारूप को प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि उसको सत्यापित कर सके।
- वैकल्पिक रूप से अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकारी पत्र इत्यादि को ई-मेल पते अर्थात complianceofficer@psb.co.in पर संवीक्षक और कंपनी को भेजने की आवश्यकता होती है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और उसे सत्यापित करने के संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल/मोबाईल नं., बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं :-

1. भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल द्वारा complianceofficer@psb.co.in/delhi@linkintime.co.in को आवश्यक जानकारी जैसे फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्केन प्रति (आगे और पृष्ठ भाग की), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. डीमेट शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल आई डी तथा मोबाईल नं. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) को अद्यतन कराएं।
3 व्यक्तिगत डीमेट शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल आई डी तथा मोबाईल नं. अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) को अद्यतन कराएं जोकि ई-वोटिंग तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने में जरूरी है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

1. एजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. बैठक में भाग लेने हेतु वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, सही लॉग-इन करने के बाद ही उपलब्ध होगा, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देश दिए गए है।

10. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
11. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
12. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
13. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
14. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
15. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
16. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
17. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only**
    - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
    - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
    - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
    - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
    - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
    - Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.

3. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लेपटॉप/आईपेड्स के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमति देने तथा अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।

6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग की अनुशंसा की जाती है।

7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि एजीएम में सहभागिता करने व सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के ई-वोटिंग संबंधी कोई प्रश्न या समस्या है तो, उसके लिए आप ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022- 23058738 तथा 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्सम, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

7. संवीक्षक

बैंक द्वारा श्री एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम: एवं सीओ, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे के भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और शेयर बाजारों व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट प्रदर्शित करके तुरंत मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

8. शेयर अंतरण एजेंट के साथ संप्रेषण :

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से अनुरोध है कि उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन, यदि कोई है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें : -

3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

7. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

8. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर –एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक
सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभाष : +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स : +91 11 4141 0591
ई-मेल : delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना अपने डिपॉजिटरी सहभागी को दें।

9. लाभांश का भुगतान

वर्ष 2020-2021 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

10. अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो :

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले वर्ष के लिए लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है, से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए पूर्वोक्त पते पर या प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

11. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आरटीए) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के विषय में सूचित करें ताकि बैंक एक फोलियों में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। नियत समय में आवश्यक पृष्ठांकन पश्चात शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों को वापस कर दिए जाएंगे।

12. शेयरधारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंन्द्र सरकार के अतिरिक्त, यदि बैंक के किसी भी शेयरधारक द्वारा बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक का शेयर रखा जाता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को कार्यसूची मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। एजीएम के ई-वोट/वोट की पात्रता के लिए निर्दिष्ट तारीख 13 जुलाई, 2021 है। ई-वोटिंग की अवधि 16 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 19 जुलाई, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात शेयरधारक ई-वोटिंग नहीं कर सकेंगे। लॉग-इन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया के लिए विवरण संलग्न है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही ई-एजीएम में भाग लेने और कार्यसूची पर या तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने पर ई-एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा।

13. अन्य सूचनाएं

a) उपरोक्त सेबी तथा एमसीए परिपत्र के अनुपालन में, 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 11 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को इंगित करता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागियों (ओं) के साथ पंजीकृत हैं, को प्रेषित करता है।

b) एजीएम आयोजन के लिए नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर देखा जा सकता है अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। एजीएम नोटिस को सीडीएसएल की वेबसाइट (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए एजेंसी) यानी www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया जाता है।

Link Intime India Private Limited.
Unit: Punjab & Sind Bank
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

9. PAYMENT OF DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2020-2021.

10. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to cast vote through remote e-voting/ e-voting at AGM is **13 July, 2021**. The e-voting period shall commence on at **10:00 a.m. on 16 July, 2021 and end at 05:00 p.m. on 19 July, 2021** beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. OTHER INFORMATION

a) In compliance with the aforesaid SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2020-21 containing the Notice of the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e."Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).

b) The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.psbindia.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

c) बैंक द्वारा किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमेट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में और अपने बैंक के आरटीए के साथ भौतिक रूप (आरटीए की ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी प्राप्त करें। इसके अलावा, परिवर्तन के मामले में, यदि कोई हो, उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, स्थायी खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, उनके द्वारा डीपी को सूचित किया जा सकता है, यदि उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और आरटीए को शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है।

14. शेयर प्रकोष्ठ

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर प्रकोष्ठ की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए निम्न उल्लिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय, शेयर प्रकोष्ठ,
लेखा व लेखा परीक्षा विभाग,
21 राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल,
नई दिल्ली-110008
दूरभाष: 011-25782926, 25812922
ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2

a) मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक में ₹ 4835.11 करोड़ के प्रतिभूति प्रीमियम राशि के विरूद्ध ₹ 3,577.55 करोड़ की संचित हानि शेष है। संचित हानि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समान राशि के साथ समायोजित करने का प्रस्ताव है। पूर्वोक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम में कमी का प्रभाव, यदि स्वीकृत किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है तो संचित हानि जो 31.03.2021 को ₹ 3,577.55 करोड़ था, तदनुसार कम हो जाएगा।

b) प्रस्तावित सेट ऑफ बैंक के वित्तीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी रेशो यथा प्रति शेयर बही मूल्य, इक्विटी का प्रतिफल (आरईओ), प्रति शेयर आय (ईपीएस) इत्यादि को प्रभावित नहीं करेगा।

c) बैंक का विचार है कि वर्तमान परिदृश्य में यह बैंक के पास उपलब्ध यह सबसे व्यावहारिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रभावी विकल्प है, जिससे बैंक के वित्तीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

d) बैंक अपनी यथार्थ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी धारिता से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य मिलेगा तथा उचित समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों का पता लगाने में भी बैंक को सक्षम करेगा। यह प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से अपने प्रतिवर्तन योजना को प्राप्त करने के लिए बैंक को बेहतर स्थिति में लाएगा।

e) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 किसी भी चुकता पूंजी जो लुप्त हो गई है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा अपूर्वदृष्ट है, को रद्द करके अपनी चुकता पूंजी को कम करने के लिए उपबंधित करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधित योजना, 2020 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संदर्भित चुकता-पूंजी में कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है।

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

14. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance.

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008
Telephone: 011-25782926, 25812922
E-mail: complianceofficer@psb.co.in

Explanatory Statement

Agenda Item No. 2

a) As on March 31, 2021, Bank is having a balance of accumulated losses of Rs.3,577.55 crore as against the Securities Premium amount of Rs.4835.11 crore in the Balance Sheet. It is proposed to set off the accumulated losses with an equal amount lying in the Securities Premium Account. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium reduction, if approved and finalized would be that the accumulated losses which as on 31st March 2021 stood at Rs.3,577.55 crore will accordingly stand reduced.

b) The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book Value per share, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) etc.

c) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

d) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit the shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround plan in a time-bound manner.

e) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended by Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020 allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

f) चूंकि संचित हानि की भरपाई के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में कमी माना जाएगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2 बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

g) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) उपबंधित करता है कि जहाँ बैंक, आरक्षित निधि या शेयर प्रीमियम खाते के लिए राशि या धनराशि विनियोजित करता है, तब वह ऐसे विनियोग संबंधी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए उस बात की रिपोर्ट, ऐसे विनियोग की तारीख से 21 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक को देगा। बैंक निर्धारित समायवधि के भीतर इस अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/132; डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 31/21.04.018/2006-007 दिनांकित सितंबर 20, 2006 के अनुसार, सांविधिक रिज़र्व या किसी अन्य रिज़र्व से विनियोजित किए जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

h) शेयर प्रीमियम खाते में कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष को सेट ऑफ करना शामिल करना है, के लिए बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों हेतु किसी भी विचार का निर्वहन आवश्यक नहीं है। तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी पश्चात बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। शेयर का अंकित मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा।

शेयरधारिता स्वरूप:

क्र. सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
A	प्रवर्तकों की धारिता – भारत सरकार	3933932610	97.07	3933932610	97.07
B	गैर-प्रवर्तकों की धारिता - सार्वजनिक	118735354	2.93	118735354	2.93
	कुल	**4052667964**	**100.00**	**4052667964**	**100.00**

i) शेयरधारकों के अधिकार प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होते हैं।

j) विशेष संकल्प के संदर्भ में बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित सेट ऑफ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

निदेशक मंडल ने बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है और इसलिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 2 में निर्धारित विशेष संकल्प की अनुशंसा की है।

बैंक में अपनी शेयरधारिता (यदि हो) के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदारों को पूर्वोक्त संकल्प में हितबद्ध या संबंधित नहीं माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.06.2021

एस. कृष्णन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

f) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off of accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of shareholders of the Bank by way of Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

g) Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums for the Reserve Fund or the Share Premium account, it shall within 21 days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC.No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the statutory reserves or any other Reserves.

h) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in Profit and Loss Account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and the shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding pattern:

Sl. No.	Category	Prior to the reduction of Share Premium Account		After the reduction of Share Premium Account	
		No of shares held	Percentage of shareholding	No of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding – Government of India	3933932610	97.07	3933932610	97.07
B	Non-Promoter Holding – Public	118735354	2.93	118735354	2.93
	Total	**4052667964**	**100.00**	**4052667964**	**100.00**

i) The rights of the shareholders are not prejudicially affected.

j) The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

The Board of Directors has approved the above proposal of utilization of Share Premium Account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommend the Special Resolution as set out in Item No 2 of the Notice for approval by the shareholders.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 23.06.2021

S Krishnan
Managing Director & CEO

निदेशक रिपोर्ट 2020-21

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए तुलन पत्र व 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित बैंक की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

बैंक के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- बैंक का कुल कारोबार 31.03.2021 को 7.68% बढ़कर रु.1,63,919.35 करोड़ हो गया, जो 31.03.2020 को रु. 1,52,231.75 करोड़ था।
- कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 18.90% की वृद्धि हुई और 31.03.2021 को यह रु. 31,530.39 करोड़ रही, जबकि 31.03.2020 को यह रु. 26,517.30 करोड़ थी।
- बैंक की कुल जमा राशि 31.03.2021 को रु. 96,108.18 करोड़ रही, जबकि 31.03.2020 को यह रु. 89,667.55 करोड़ थी। बैंक की जमा राशि की औसत लागत पिछले वर्ष 6.04% (वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में 5.06% (वित्त वर्ष 2020-21) रही।
- बैंक के अग्रिमों में 8.39% की वृद्धि दर्ज कर 31.03.2021 को रु. 67,811.17 करोड़ हो गया जो 31.03.2020 को रु. 62,564.20 करोड़ था। अग्रिमों पर औसत उपज पिछले वर्ष के दौरान 8.54% (वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में 7.78% (वित्त वर्ष 2020-21) रही।
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 31.03.2020 को रु. 27,872 करोड़ (एएनबीसी का 37.40%) था जो बढकर 31.03.2021 को रु. 28,228 करोड़ (एएनबीसी का 43.95%) हो गया ।
- बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2021 को बढ़कर रु. 18,579 करोड़ हो गया और पिछले वर्ष रु. 16,552 करोड़ की तुलना में 12.25% की वृद्धि दर्ज की गई। 31.03.2021 को सकल अग्रिमों (रु. 67,811 करोड़) में खुदरा ऋण (रु. 18579 करोड़) का प्रतिशत 27.39% हो गया, जो 31.03.2020 को 26.45% था।
- एमएसएमई ऋण 31.03.2020 को रु. 10,738 करोड़ से 7.07% बढ़कर 31.03.2021 को रु. 11,497 करोड़ (रु. 2,130 करोड़ के पीएसएलसी सहित) हो गया। 31.03.2021 को कुल अग्रिमों में एमएसएमई ऋण का हिस्सा 16.95% था।

वित्तीय मानदण्ड

- परिचालन लाभ 31.03.2021 को रु. 771.22 करोड़ रहा, जो 31.03.2020 को रु. 1,096.91 करोड़ था।
- निवल हानि 31.03.2021 को रु. 2,732.90 करोड़ रही, जबकि 31.03.2020 को यह रु. 990.80 करोड़ थी।
- आठ तिमाही के लिए लगातार निवल हानि दर्ज करने का बाद, मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक ने रुपये 161 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।
- आस्तियाँ पर वापसी (आरओए) (-) 0.91% (वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में (-) 2.55% (वित्त वर्ष 2020-21) रही।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के लिए रु. 5,500 करोड़ का निवेश किया। तदनुसार, बैंक ने रु. 10/- के 335,16,14,868 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक रु. 16.41 के निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर रु. 6.41 के प्रीमियम सहित) पर पूरी तरह से भुगतान किया गया है। 31 मार्च 2021 को बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 97.07% हो गई है।
- निवल सम्पत्ति 31.03.2020 को रु. 2,917.44 की तुलना में 31.03.2021 को रु. 5,126.25 करोड रही ।
- बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) 31.03.2021 को न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता 10.875% के विरुध 17.06% रहा ।
- बैंक का सकल एनपीए 31.03.2021 को रु. 9,334.00 करोड़ (13.76%) रहा, जबकि 31.03.2020 को रु. 8,874.57 करोड़ (14.18%) था।
- बैंक का निवल एनपीए 31.03.2021 को रु. 2,461.95 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2020 को रु. 4,684.15 करोड़ था।
- निवल एनपीए प्रतिशत सुधरकर 31.03.2021 को 4.04% हो गया, जो 31.03.2020 को 8.03% था।
- बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

DIRECTORS' REPORT 2020-21

The Board of Directors have pleasure in presenting the 11th Annual Report of the Bank together with the Balance Sheet as on March 2021 and Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2021.

Highlights of Bank's financial performance are given below:

- The total business of the Bank increased by 7.68% reached at Rs.163919.35 crore as on 31.03.2021, from Rs.1,52,231.75 crore as on 31.03.2020.
- CASA deposits increased by 18.90% on Y – o – Y and stood at Rs.31530.39 crore as on 31.03.2021,as compared to Rs.26517.30 crore as on 31.03.2020.
- The total deposits of the Bank stood at Rs.96108.18 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs.89667.55 crore as on 31.03.2020. The average cost of deposits of the bank stood at 5.06% (FY 2020-21) as compared to 6.04% (FY 2019-20) in previous year.
- The Bank's Advances registered a growth of 8.39% from Rs.62564.20 crore as on 31.03.2020 to Rs.67811.17 crore as on 31.03.2021. The average yield on Advances stood at 7.78% (FY 2020-21) as compared to 8.54% (FY 2019-20) during the last year.
- Total Priority Sector Advances increased from Rs. 27872 crore (37.40% of ANBC) as on 31.03.2020 to Rs.28228 Crore (43.95% of ANBC) as on 31.03.2021.
- The Retail Lending portfolio of the Bank grew to Rs.18579 crore as on 31.03.2021 and registered a growth of 12.25 % over the previous year Rs.16552 crore. The percentage of Retail credit (Rs.18579 crore) to Gross Advances (Rs.67811 crore) was 27.39 % as on 31.03.2021 compared to 26.45% as on 31.03.2020.
- MSME Credit grew by 7.07% from Rs.10738 crore as on 31.03.2020 to Rs. 11497 crore (*Including PSLC of Rs. 2130 crore)* as on 31.03.2021. The share of MSME Credit to total Advances was 16.95% as on 31.03.2021.

Financial Parameters:

- Operating profit stood at Rs.771.22 crore as on 31.03.2021 against Rs.1096.91 crore as on 31.03.2020.
- Net loss stood at Rs.2732.90 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs.990.80 crore as on 31.03.2020.
- After posting net loss consecutively for eight quarters, the Bank registered a Net Profit of Rs. 161 crore for the quarter ended March 2021
- The Return on Assets (ROA) stood at (-) 2.55% (FY 2020-21) as compared to that at (-) 0.91% (FY 2019-20).
- During the financial year 2020-21 Government of India infused Rs.5500.00 crore towards preferential allotment of Equity shares. Accordingly, the bank has allotted 335,16,14,868 equity shares of Rs.10/- each fully paid up at an issue price of Rs.16.41 (including premium of Rs.6.41 per equity share) Consequently, Government of India's holding in the bank has increased to 97.07% as on 31st March 2021.
- Net Worth of the Bank stood at Rs.5126.25 crore as compared to Rs.2917.44 crore as on 31.03.2020.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 17.06 % as on 31.03.2021 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.
- Gross NPAs of the Bank is Rs.9334.00 crore (13.76%) as on 31.03.2021 as compared to Rs.8874.57 crore (14.18%) as on 31.03.2020
- Net NPAs of the Bank is Rs.2461.95 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs.4684.15 crore as on 31.03.2020.
- Net NPA percentage improved to 4.04% as on 31.03.2021 from 8.03% as on 31.03.2020
- The Board has not recommended any dividend for the year 2020-21.

वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	**2020-21**
शुद्ध ब्याज आय	2261.91
गैर ब्याज आय	902.81
परिचालन व्यय	2393.50
परिचालन लाभ	771.22
प्रावधान / आकस्मिकताएं	3504.12
शुद्ध लाभ / हानी	(2732.90)
प्रति शेयर आय (रु.)	(35.71)
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	12.65

वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपात इस प्रकार हैं:

(प्रतिशत-%)

विवरण	**2020-21**
अग्रिम पर प्रतिफल	7.78
निवेश पर प्रतिफल	7.17
जमा पर लागत	5.06
निवल ब्याज मार्जिन	2.11
आय अनुपात पर लागत	75.63

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

वैश्विक दृष्टिकोण:

वैश्विक विकास धीरे-धीरे मंदी से उबर रहा है, लेकिन यह सभी देशों में असमान बना हुआ है और चल रहे टीकाकरण अभियान, निरंतर उदार मौद्रिक नीतियों और बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा 2021 के मध्य तक विश्व उत्पादन अपने पूर्व-महामारी स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, हालांकि यह बड़े पैमाने पर वैक्सीन वितरण की गति और वायरस के उभरते रूपों के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता पर निर्भर करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में मजबूत आर्थिक सुधार का अनुमान लगाया और उम्मीद है कि विश्व अर्थव्यवस्था 2021 में 6% और 2022 में 4.4% बढ़ेगी।

घरेलू दृष्टिकोण:

कोविड-19 से प्रेरित मंदी के विपरित प्रत्याशित तेजी रही है। तिमाही 3, 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सकारात्मक हो गई। आरबीआई ने 2021-22 के लिए 8% (2020-21) के संकुचन से वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5% पर अनुमानित की। आगे चलकर, ग्रामीण मांग के लचीले बने रहने की संभावना है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी संभावना है। टीकाकरण के प्रसार के साथ शहरी मांग और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग भी मजबूत होने की उम्मीद है।

वर्तमान में दूसरी लहर ने हमारे देश की पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे सभी के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। अधिकांश राज्यों में दैनिक मामलों की रिकॉर्ड संख्या, कर्फ्यू और लॉकडाउन हैं, जिससे भारत के अधिकांश राज्यों में घरेलू विकास दृष्टिकोण में लॉकडाउन और कर्फ्यू का जोखिम है। लेकिन राजकोषीय और मौद्रिक प्राधिकारी बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में इसके फैलाव को सीमित करने और चल रही वसूली पर इसके नतीजों को रोकने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करने के लिए तैयार हैं। आरबीआई ने 5 मई, 2021 को स्वास्थ्य क्षेत्र को संबल करने के लिए कुछ कदम उठाए और एमएसएमई और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को संबल करने के लिए कुछ कदम उठाए है।

The Financial performance of the Bank for the year 2020–21 is summarized as below:

(Rs. Crores)

Particulars	2020-21
Net Interest Income	2261.91
Non-Interest Income	902.81
Operating Expenses	2393.50
Operating Profit	771.22
Provisions / Contingencies	3504.12
Net Profit/ Loss	(2732.90)
Earnings per share (Rs.)	(35.71)
Book Value per share (Rs.)	12.65

Key Financial Ratios for the year 2020-21 are as under:

(Percentage - %)

Particulars	2020-21
Yield on Advances	7.78
Yield on Investments	7.17
Cost of Deposits	5.06
Net Interest Margin	2.11
Cost to Income Ratio	75.63

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Outlook:

Global growth is gradually recovering from the slowdown, but it remains uneven across countries and is supported by ongoing vaccination drives, sustained accommodative monetary policies and further sizeable fiscal stimulus. World output is projected by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) to reach its pre-pandemic level by mid-2021, though it will be largely contingent on the pace of vaccine distribution and its efficacy against emerging variants of the virus.

The International Monetary Fund projected strong economic recovery in 2021 and expects world economy to grow by 6% in 2021 and 4.4% in 2022.

Domestic Outlook:

The rebound from the COVID-19 induced slump has been sharper than anticipated. Real GDP growth turned positive in Q3, 2020-21. RBI projected real GDP growth for 2021-22 at 10.5 % from contraction of 8% (2020-21). Going forward, rural demand is likely to remain resilient, which is a good prospect for the agriculture sector. Urban demand and demand for contact-intensive services is also expected to strengthen with the spread of vaccination.

At present, second wave has disrupted the entire system of our country, impacting health and economic condition of everyone. There are record number of daily cases, curfews and lockdowns in most of the states that poses a risk to the domestic growth outlook. But fiscal and monetary authorities stand ready to act in a coordinated manner to limit its spillovers to the economy at large and contain its fallout on the ongoing recovery. RBI on May 5th, 2021 took some steps to support Health sector and initiated some steps to support MSMEs and Individual borrowers.

हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के लिए एक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न किया है, फिर भी पहली लहर की तुलना में आर्थिक प्रभाव स्थिर रहने की उम्मीद हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुसार "कोविड-19 के साथ काम करना" सीखना, दूसरी लहर के बीच आर्थिक लचीलापन रजत परत प्रदान करता है।

बैंकिंग क्षेत्र:

2020-21 में एससीबी ने 5.56% की ऋण वृद्धि और 11.3% की जमा वृद्धि दर्ज की। कोविड-19 के कारण हुए व्यवधान के कारण क्रेडिट ऑफ टेक न्यूनतम था। हमारे बैंक ने 2020-21 में रु. 5247.00 करोड़ की ऋण वृद्धि और रु. 6440.00 करोड़ की जमा वृद्धि दर्ज की।

इस वित्तीय वर्ष में भी कोविड-19 की दूसरी और अपेक्षित तीसरी लहर के साथ एससीबीएस बैंक क्रेडिट सामान्य रहने की उम्मीद है। एससीबीएस जमा के 2021-22 में औसत वृद्धि की उम्मीद है।

पूँजी और आरक्षित निधियां:

वर्ष के दौरान, बैंक ने सरकार को अधिमान्य शेयर जारी करके रु. 5500 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाई है।

जारी की दिनांक	शेयर की संख्या	मूल्य	राशि (करोड़)	विवरण
25.03.2021	335,16,14,868	16.41 (रु. 6.41 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित)	5500	भारत सरकार के लिए अधिमान्य जारी

पूंजी पर्याप्तता

➢ बेसल III ढांचे के अनुसार, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.06% है जो कि 10.875% की नियामक आवश्यकता से अधिक है।

➢ पूंजी पर्याप्तता का विवरण (बेसल III) हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल – III			
	31.03.2020		31.03.2021	
सीईटी 1 सीआरएआर	3806	7.59	6243	12.05%
एटी 1 सीआरएआर	1000	1.99	1000	1.93%
टियर-I पुँजी	4806	9.58	7243	13.98%
टियर-II पुँजी	1592	3.18	1598	3.08%
कुल पुँजी	6398	12.76	8841	17.06%
जोखिम भारित आस्तियाँ	50138	-	51790	-

कारोबार पहल:

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कार्यान्वित किए गए है। उनमें से मुख्य है:

- परियोजना "सीबीएस अद्यतन", यथा फिनेकल 7 से फिनेकल 10 तक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उन्नयन, जो पहले से ही प्रक्रिया में है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू किया जाएगा। अन्य के अलावा, दो महत्वपूर्ण आईटी सक्षम समाधान यथा "रीयल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (आरटीटीएस)" और "ओमनी चैनल" की ट्रैकिंग सभी डिजिटल चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/यूपीआई के लिए एकल प्लेटफॉर्म, कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और शीघ्र सक्रिय किया जाएगा।
- पहल के समाकलन के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के लिए इनहाउस विकसित एप्लिकेशन - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एलपीजी (डीबीटीएल) खाता सत्यापन सेवा, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पेंशन भविष्य निधि और राष्ट्रीय लघु बचत कोष।

Though second wave of COVID-19 has posed a downside risk to economic activity in the first quarter of FY 2021-22, yet there are reasons to expect a muted economic impact as compared to the first wave. Learning to "operate with COVID-19", as borne by international experience, provides a silver lining of economic resilience amidst the second wave.

Banking Sector:

SCBs registered a credit growth of 5.56% and Deposit growth of 11.3% in 2020-21. Credit off take was minimal due to disruption caused by COVID-19. Our Bank registered a credit growth of Rs.5247.00 crore and Deposit growth of Rs.6440.00 crore in 2020-21.

SCBs Bank Credit is expected to be normal this financial year too with the second and expected third wave of COVID-19. SCBs deposits are expected to grow moderately in 2021-22.

Capital and Reserves:

During the year, Bank has raised fresh capital of Rs 5500 crore by issue of preferential shares to the Government.

Date of issue	No. of shares	Price	Amount (Crores)	Details
25.03.2021	335,16,14,868	16.41 (including premium of Rs.6.41 per equity share)	5500	Preferential issue to the Govt. of India

Capital Adequacy

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio is 17.06% which is higher than the regulatory requirement of 10.875%
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are:

(Rs. In Crores)

Particulars	BASEL – III			
	31.03.2020		31.03.2021	
CET 1 CRAR	3806	7.59	6243	12.05%
AT1 CRAR	1000	1.99	1000	1.93%
Tier I Capital	4806	9.58	7243	13.98%
Tier II Capital	1592	3.18	1598	3.08%
Total Capital	6398	12.76	8841	17.06%
Risk Weighted Assets	50138	-	51790	-

Business Initiatives:

During the current financial year Bank has implemented various initiatives as to enhance customer convenience and boost competitive edge of the Bank. The prominent among them are:

- The Project **"CBS Upgrade",** i.e. upgradation of technology platform from Finacle 7 to Finacle 10, which is already in process, will be rolled out during FY 2022-23. Among others, two significant IT enabled solutions i.e. tracking of **"Real Time Transaction Monitoring System (RTTS)" and "OMNI CHANNEL**" a single platform for all digital channels like Internet Banking/Mobile Banking/UPI, are in the process of implementation and will be activated soon.
- Inhouse developed Application for **Public Financial Management System (PFMS)** having Integration with PAHAL - Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL) Account Validation Service, Sukanya Samridhi Yojna, Senior Citizens Saving Scheme, Pension Provident Fund and National Small Saving Fund.

- बैंक ने ग्राहकों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने और प्रतिवर्तन काल को कम करने के लिए खुदरा बैंकिंग उत्पादों के लिए एलओएस (ऋण व्युत्पत्ति पद्धति) को शुरू किया गया है।
- एटीएम में रु. 40,000/- नकद निकासी और पीओएस और ईकॉम पर रु.1,50,000 लेनदेन की सीमा के साथ नया रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड शुरू किया गया है।
- जिनका परिचालन कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है बैंक ने अपने उन ग्राहकों लिए विभिन्न कोविड-19 राहत योजनाएं शुरू और कार्यान्वित की ।
- बैंक ने सभी पात्र ग्राहकों को 01.03.2020 से 31.08.2020 तक अधिस्थगन लाभ प्रदान करने के लिए कोविड -19 के लिए आरबीआई के नियामक पैकेज के लाभों को लागू किया।
- एनपीए/टीडब्ल्यूओ (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए) खातों की निगरानी व नए गिरावट को कम करने और वसूली में सुधार करने के लिए वार रूम का निर्माण किया।
- एनपीए के एबीसी विश्लेषण के आधार पर एक अभियान शुरू करना, जिसे मिशन 520 के रूप में, जिसमें सैमवर्ट सहित प्रत्येक अंचल में वसूली के लिए अपने अंचल में प्रमुख रूप से विशेष 20 खातों का चयन किया गया।
- वसूली शिविरों, मेगा नीलामी आदि का आयोजन कर खराब संपत्तियों की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रत्येक कार्यदिवस शनिवार को वसूली दिवस के रूप में मनाना।
- पीएसबी कृषि समाधान शीर्षक वाली एक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन, उदारीकृत योजना बनाना, जो विशेष रूप से एनपीए और टीडब्ल्यूओ कृषि खातों के निपटान से संबंधित है।
- वसूली की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर मेगा ई-नीलामी आयोजित करना।
- सार्वजनिक रूप से अपनी छवि बनाने के लिए बैंक ने एक मल्टी-मीडिया रणनीति अपनाई है। प्रचार बजट के उचित उपयोग और प्रभावी नियंत्रण तय करने के लिए केंद्रीकृत किया गया था। बैंक ने डिजिटल कैलेंडर 2021 जारी किया।
- बैंक ने "पीएसबी कृषि रक्षक ऋण" शुरू किया, जो कृषक समुदाय के लिए कृषि और संबद्धित गतिविधियों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्वरित ऋण और कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न अस्थाई कठिनाइयों से निपटने के लिए घरेलू जरूरतों को पूरा करता है।
- बैंक ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) के सदस्यों की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए "पीएसबी एसएचजी तत्काल ऋण" की शुरुआत की।
- बैंक ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना)" को शुरू किया।
- व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) आदि द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने एक केंद्रीय सेक्टर योजना, "पशुपालन अवसंरचना विकास के लिए पीएसबी योजना (पीएसबी-एएचआईडी)" शुरू की।
- बैंक ने एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, "पीएसबी कृषि अवसंरचना कोष (पीएसबी-एआईएफ)" की शुरुआत की, जो कि प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल-पश्चात प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजना में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाती है।
- कृषि उपकरण ऋण ग्राहकों को बैंक में लाने और किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने "पीएसबी कृषि स्वर्ण कांति योजना" शुरू की।
- बैंक ने कुक्कुट पालन में सीधे लगे किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना "कुक्कुट पालन के वित्तपोषण के लिए पीएसबी योजना (पीएसबी पोल्ट्री)" शुरू की।
- सुअर पालन से सीधे जुड़े किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना "सुअर पालन इकाइयों के वित्तपोषण पर पीएसबी योजना (पीएसबी पिगरी)" शुरू की।
- मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी पालन) में सीधे लगे किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए «मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी रखना के वित्तपोषण पर पीएसबी योजना (पीएसबी मधुमक्खी पालन)" शुरू की।
- बैंक ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई के लिए उचित स्रोत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को गैर-डीजलकृत करने के उद्देश्य से सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पीएम कुसुम के तहत एक नई योजना शुरू की है।

- Bank has launched **LOS (Loan Originating System)** for retail banking products to ease the loan process for customers and minimize the turnaround time.
- **New Rupay Platinum Debit Card** has been launched with Cash withdrawal limit in ATMs Rs.40,000/- and Transaction limit at POS & ECOM Rs.1,50,000/-.
- Bank rolled out and implemented various **COVID – 19 Relief schemes** for its customers whose operations have been impacted by Covid-19 pandemic.
- Bank extended the benefits of **RBI's Regulatory Package for Covid-19** related stress by providing moratorium benefit from 01.03.2020 to 31.08.2020 to all eligible customers.
- Creation of **War Room** for focussed monitoring of NPA/ TWO (Technically Written Off) accounts and to curtail fresh slippage and improve recovery.
- Initiating a campaign on the basis of ABC analysis of NPA, captioned as started **Mission 520**, in which each zone including SAMverT has selected majorly focussed 20 accounts of their zones for recovery.
- Observing every working Saturday as **Recovery Day** to make focussed efforts for recovery in bad assets by organising Recovery Camps, Mega Auctions etc.
- Creating a non-discriminatory & non-discretionary, liberalized scheme captioned **PSB Krishi Samadhan**, which deals exclusively with the settlement of NPA and TWO agriculture accounts.
- Conducting **Mega E-auctions** on Pan-India basis to fast forward the process of recovery.
- The Bank adopted a **Multi-media strategy** to build up its image in public. The Publicity Budget was centralized to decide proper utilization and effective control. Bank launched **Digital Calendar 2021.**
- Bank introduced **"PSB KRISHI RAKSHAK RIN",** an instant credit for farming community to meet the emergency requirements for Agriculture and allied activities and Household needs for tiding over temporary difficulties arose due to COVID-19 outbreak.
- Bank introduced "**PSB SHG TATKAL RIN**" to meet emergent needs of SHG (Self Help Group) members in the wake of COVID-19 outbreak.
- Bank introduced a centrally sponsored Scheme "**PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)"** for providing financial, technical and business support for up gradation of existing micro food processing enterprises.
- Bank introduced a central Sector Scheme, "**PSB Scheme for Animal Husbandry Infrastructure Development (PSB-AHID)"** for incentivizing investments by individual entrepreneurs, private companies, MSME, Farmers Producers Organizations (FPOs) etc.
- Bank introduced a central Sector Scheme, **"PSB Agriculture Infrastructure Fund (PSB-AIF)"** to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable project relating to post-harvest management infrastructure and community farming assets through incentives and financial support.
- In order to bring Agri jewel loan customers to bank and to meet working capital requirements of the farmers, bank launched **"PSB Krishi Swarn Kanti Scheme".**
- Bank introduced a new scheme **"PSB Scheme for Financing Poultry Farming (PSB Poultry)"** for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in Poultry Farming.
- A new scheme "**PSB Scheme on Financing Piggery Units (PSB Piggery)"** was launched for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in Pig Farming.
- "**PSB Scheme on Financing Apiculture/Bee Keeping (PSB Apiculture)"** was launched for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in apiculture (Bee keeping).
- Bank has launched a new Scheme for Financing Solar Projects under **PM KUSUM** with an objective of increasing farmers' income, provide reliable source for irrigation and de-dieselise the farm sector.

- लघु सिंचाई गतिविधियों से जुड़े किसानों की सावधि ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नई योजना "लघु सिंचाई के वित्तपोषण के लिए पीएसबी योजना" शुरू की।
- नया एमएसएमई ऋण उत्पाद "पीएसबी व्यवसायिक सहायता" शुरू किया गया था ताकि व्यवसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों को अपना व्यवसाय/व्यवसाय स्थापित करने/बढ़ाने या स्वरोजगार करने के लिए अवसर प्रदान किए जा सकें।
- जीएसटी पंजीकृत इकाइयों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने, परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए नया एमएसएमई ऋण उत्पाद "पीएसबी जीएसटी आसान ऋण" शुरू किया गया था।
- कोविड-19 के प्रकोप के बाद, बैंक ने कोविड-19 प्रभावित एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद पेश किए हैं:

  क) व्यावसायिक उद्यमों/एमएसएमई के लिए पीएसबी गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (पीएसबी-जीईसीएल) योजना।

  ख) पीएम स्ट्रीट विक्रेता की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि)» योजना।

  ग) अधीन ऋण के लिए पीएसबी क्रेडिट गारंटी योजना (पीएसबी-सीजीएसएसडी)।
- बैंक ने ब्याज दर में रियायत (आरओआई) सहित आकर्षक सुविधाओं के साथ सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों के लिए विशेष गृह ऋण और वाहन ऋण उत्पाद लॉन्च किए।
- इस वित्तीय वर्ष बैंक ने पीएसबी डिजिटल लर्निंग पोर्टल शुरु किया है और प्रदर्शन मूल्यांकन प्रबंधन के लिए डिजिटलीकृत प्रक्रिया है।
- बैंक ने पीएसबी परफॉर्मर्स लीग (पीपीएल) को एक प्रेरक अभियान के रूप में भी शुरू किया है ताकि अभियान अवधि के दौरान शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार किया जा सके और अधिक खुदरा ऋण व्यवसाय उत्पन्न किया जा सके।
- ऋण जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए बैंक ने व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। इसने ऋण/ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत प्रणाली, सॉफ्टवेयर आधारित आंतरिक रेटिंग मॉडल, आंतरिक सीमाएं तथा उत्पादों और खंडों में क्रेडिट एकाग्रता की निगरानी के लिए ट्रिगर शुरू की है। जोखिम अंकन मानकों और गिरावट को रोकने के लिए रणनीति और क्रेडिट निगरानी तंत्र में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।

पुरस्कार और उपलब्धियां

बैंक को निम्न से सम्मानित किया गया -

1. एपीवाई (अटल पेंशन योजना) को बढ़ावा देने के लिए पीएफआरडीए द्वारा बैंकों के महाप्रबंधक के लिए शाइन एंड सक्सेस अभियान का आयोजन किया गया। अभियान की उपलब्धि 101% थी।
2. पीएफआरडीए द्वारा बैंकों के कार्यकारी निदेशक के लिए मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस 4.0 अभियान का आयोजन किया गया। अभियान की उपलब्धि 104% थी।
3. पीएफआरडीए द्वारा बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए लीडरशिप कैपिटल 3.0 अभियान का आयोजन किया गया।
4. 'लघु बैंक श्रेणी' में 'सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल 2019-20› के लिए मार्च 2021 में आईबीए द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की श्रेणी के तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र 'क› में बैंक ने कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया ।
6. बैंक की त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका «राजदीप» ने अंतर बैंक हिंदी ई-पत्रिका प्रतियोगिता 2019-20 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

बैंक का परिदृष्टि और रणनीति

परिदृष्टि - उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ मजबूत बैंक बनना और पूरे संगठन में साझा किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं और मूल संस्थागत मूल्यों के पालन के साथ हितधारकों को मूल्य जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बैंक का कायाकल्प करने और अपने निवेशकों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए एक रणनीति अपनाई है। पिछले कुछ वर्षों में कई कारणों से बैंक का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में बाह्य प्राथमिक घटना यानी कोविड-19 का प्रभुत्व था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और बैंक के प्रदर्शन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बैंक को अंतर्निहित मुद्दों का सामना करना पड़ा जिसने बैंक के विकास को प्रभावित किया।

- A new scheme **"PSB Scheme for Financing Minor Irrigation"** was launched to meet the term loan requirement of the farmers associated with minor irrigation activities.
- A new MSME Loan product **"PSB Professional Assist"** was launched for providing opportunities to professionally qualified persons to set up/ enhance their practice/ business or to take up self- employment.
- A new MSME Loan product **"PSB GST Ease Loan"** was launched for providing hassle free credit to GST registered units to meet their working capital requirement.
- Post outbreak of COVID-19, Bank has introduced the following products for COVID-19 affected MSME borrowers:
  a) **PSB Guaranteed Emergency Credit line (PSB -GECL)** for business enterprises / MSMEs".
  b) **PM street vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi)"** scheme.
  c) **PSB Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (PSB-CGSSD).**
- Bank launched special **Home Loan and Vehicle Loan products for Government/PSU employees** with attractive features including concession in Rate of Interest (ROI).
- This FY Bank has introduced **PSB Digital Learning Portal** and has digitized process for Performance Appraisal Management.
- The Bank has also launched **PSB Performers' League (PPL)** as a motivational campaign to create competitive environment amongst branches and to generate more Retail Lending business during the campaign period.
- Bank has put in place a **comprehensive Credit Risk Management Policy** to manage the credit risk effectively. It has introduced a robust system for appraisal of loan / credit proposals, a software based internal rating modal, internal limits and triggers for monitoring of credit concentration across products and segments. Steps have been taken to improve underwriting standards and strategy to arrest slippages, and credit monitoring mechanisms.

Awards & Achievements

Bank has been awarded with

1. **Shine & Succeed Campaign** organized for the General Manager of the Banks by PFRDA for promoting APY (Atal Pension Yojana). The achievement of the Campaign was 101%.
2. **Makers of Excellence 4.0 Campaign** organized for the Executive Director of the Banks by PFRDA. The achievement of the Campaign was 108%.
3. **Leadership Capital 3.0 Campaign** organized for MD & CEO of the Banks by PFRDA. The achievement of the Campaign was 105%.
4. '**Best Digital Financial Inclusion Initiatives in 2019 -20**' by **IBA** for in 'Small Bank Category' in **March'2021**.
5. **Kirti Award** by GOI, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language of Region 'A' under the category of Banks and Financial Institutions for the best implementation of the Official Language Policy in the financial year 2019-20.
6. Bank's quarterly Hindi e-magazine **"Rajdeep"** got the **first position** in the Inter Bank Hindi E-magazine Competition 2019-20.

Vision and Strategy of the Bank

Vision - To be a Strong Bank with commitment to excellence and focus on adding value to stakeholders with adherence to best practices and core institutional values shared throughout the organization.

During the Financial Year 2020-21, Bank has adopted a Strategy to turnaround the Bank and rebuild confidence among its investors. In the past few years, Bank's performance has remained subdued due to a variety of reasons. Further, the FY 2020-21 was dominated by an external seminal event i.e. COVID-19 which has affected the global economy and also the Bank's performance adversely. The Bank faced inherent issues which plagued the growth of the Bank.

बैंक का कायाकल्प करने के लिए, अनुमानित व्यापार को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई है। बैंक ने विभिन्न व्यापारिक मापदंडों पर व्यापार योजना और रणनीति तैयार की है और इसे प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। अपनी रणनीति के माध्यम से बैंक ने चुनौतियों से जीतने के लिए अपने द्वारा की गई सभी विशिष्ट गतिविधियों को आकार देने की कोशिश की है और उन सभी तार्किक प्रयासो को परिभाषित किया है जो बैंक लक्ष्य के लिए उठाएगा।

प्रतिवर्तन रणनीति का उद्देश्य निम्नलिखित कार्रवाई करके बैंक के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है:

- व्यापार के फ़ोकस को आस्ति आधारित देयता से परिसंपत्ति गुणवत्ता के महत्व पर परिवर्तन करना, परिचालन लागत में कमी के उपाय, संसाधनों का संरक्षण, गैर-ब्याज आय में सुधार और एनपीए को नियंत्रित करना।
- एमएसएमई पर विशेष ध्यान, त्वरित कृषि और खुदरा ऋण को पुनरुद्धार करना।
- निर्धारित अल्पकालिक और दीर्घकालिक पहल के माध्यम से प्रौयोगिकी का लाभ उठाना।
- आरडब्ल्यूए इष्टतमीकरण के माध्यम से श्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन के परिणामस्वरूप सीआरएआर में सुधार, कैपिटल लाइट मॉडल का निर्माण, मौजूदा जोखिम प्रबंधन नीतियों का युक्तिकरण और पूरे संगठन में जोखिम पालन का प्रसार हुआ।
- संगठनात्मक पुनर्गठन और श्रेष्ठ मानव संसाधन प्रबंधन।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय:

क) लागू लेखांकन मानकों का पालन तात्विक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है, यदि कोई, हो

ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि के बारे में उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए थे,

ग) बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का यथोचित और पर्याप्त संरक्षण किया गया है।

घ) वार्षिक लेखा उन्नतिशील के आधार पर तैयार किए गए हैं,

ङ) बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

च) सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

In order to turnaround the Bank, an appropriate long-term strategy has been drawn to achieve the projected business plan. The Bank has prepared a business plan and strategy on different business parameters and an action plan for achieving the same. Through its strategy Bank has tried to shape all the specific activities undertaken by it to overcome the challenges and has defined all the logical steps that Bank will take from end to end.

The Turnaround strategy aims at achieving the vision of Bank by taking following actions:

- Shifting the business focus from Liability to Asset base via addressing asset quality concerns, opting cost reduction measures, conserving resources, improving non – interest income and containing NPA.
- Special Focus on MSME, Accelerating Agriculture and Revitalising Retail Credit.
- Leveraging Technology through defined short term and long-term initiatives.
- Better Risk Management through RWA Optimisation resulting in improvement of CRAR, building Capital Lite Model, rationalization of existing Risk Management Policies and Spreading Risk Culture across the organization.
- Organisational restructuring and better Human Resource Management

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2021.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary

28/1 Harmony Homes, ,Shushant Lok III, Sector 57,
Gurgaon 122011
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 24A के उद्देश्य में (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम 2015]

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त

सदस्य,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली 8

लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनूवर्तन का सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक उस प्रकार की है जैसाकि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बुक, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम

(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि

(iii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;

(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश-

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश 1999;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता)) विनियम 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 1998;

(झ) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary

28/1 Harmony Homes, ,Shushant Lok III, Sector 57,
Gurgaon 122011
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2021

The Members,
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2021 according to the provisions of:

(i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

(i) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(v) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, विनियम जो लागू हों और अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-

(क) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980
(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980
(ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाना है –

1. सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यकता हो, हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सिमित थी।

6. हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक के भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं :

1. निम्नांकित पर्यावलोकन के अधीन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया हैः

   क) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार बैंक ने शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। आगे, प्रबंधन द्वारा दिए गए व्याख्यानुसार दिनांक 11.08.2020 को आयोजित होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रस्तावित था तथापि शेयरधारकों से कतिपय शिकायत प्राप्त होने के कारण निदेशकों के चुनाव से संबंधित कार्यसूची का हटा लिया गया। तत्पश्चात, एक उम्मीदवार द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है तथा प्रकरण न्यायाधीन है।

   ख) दिनांक 26.12.2020 को शेयरधारक निदेशक श्री एस. आर. घेड़िया, केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्ति पश्चात बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (g) के अनुसार सनदी लेखाकार निदेशक की नियुक्त की जानी है।

2. समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों को भेजे गए, बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से 1. पूर्व कार्यसूची मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

3. बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।

4. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

(v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -

(a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

(b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

(c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; Our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.

6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, subject to the following observations:

   a) The Bank has not appointed Shareholder Directors as per Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980. Further, as explained by the management, the election was proposed to be held in the Annual General Meeting on 11th August 2020, however, the agenda pertaining to election of directors was withdrawn due to certain complaints received from Shareholder. Subsequently, a writ petition was filed by one of the Contestant before Hon'ble High Court of Delhi and the matter was subjudice.

   b) Subsequent to the retirement of Mr. S.R. Ghedia, the Chartererd Accountant Director on 26th December 2020, the Central Government is yet to appoint Chartered Accountant Director under Section 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980.

   The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

5. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान

क) अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से ₹ 500/- करोड़ राशि के सामान्य शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन के लिए बैंक ने डाक मतपत्र द्वारा विशेष संकल्प पारित किया है।

ख) बैंक ने दिनांक 25.03.2021 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमान्य आधार पर ₹ 16.41 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रति ₹ 10/- के 3,35,16,14,868 सामान्य शेयर आबंटित किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने विभिन्न अधिनियमों, नियमों व विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों की अपेक्षाओं का सामान्य तौर पर अनुपालन किया है जो बैंक पर लागू होते हैं।

सुचिता कोली
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2021

एफसीएस1647; सीपी नं.:714
यूडीआईएन:**F001647C000355869**

5. During the year under review:

a) The Bank has passed the Special resolution by way of Postal Ballot to create, offer, issue and allot equity shares up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement.

b) The Bank has allotted 3,35,16,14,868 Equity shares of Rs. 10/- each at a issue price of Rs. 16.41 per share on preferential basis to the President of India (Govt. of India) on 25th March 2021.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714
UDIN: F001647C000355869

Place: New Delhi
Date: 21st May 2021

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2020-21)

1. अभिशासन संहिता पर बैंक - दर्शन

बैंक, सभी स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयर धारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक मजबूत कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका पालन भी करेगा। बैंक अपने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, उच्च मानकों तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु सघन प्रयास करेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अतः बैंक शेयर बाज़ारों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करेगा जहाँ तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक-मंडल

2.1. बोर्ड का संघटन

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 तथा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2021 को धारित बैंक शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उपसमिति की सदस्यता/अध्यक्षता
1	डॉ. चरन सिंह अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	शून्य	9	*	1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. हितधारक संबंध समिति 5. एचआर समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 9. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
2	श्री एस. कृष्णन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	शून्य	11	**	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. हितधारक संबंध समिति 7. एचआर समिति 8. आईटी कार्यनीति समिति 9. वसूली की निगरानी के लिए समिति 10. शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान 11. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2020-21)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2021 is as under:

Sr. No	Name	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2021	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Dr. Charan Singh Chairman (Non – Executive)	NIL	9	*	1. Audit Committee of Board 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Risk Management Committee 4. Stakeholders Relationship Committee 5. HR Committee 6. I T Strategy Committee 7. Review Committee for Willful Defaulter 8. Nomination & Remuneration Committee 9. Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)
2	Sh.S Krishnan Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	11	**	1. Management Committee of the Board 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of the Board 4. Risk Management Committee 5. Customer Service Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. HR Committee 8. I T Strategy Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank 11. Review Committee for Willful Defaulter

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2021 को धारित बैंक शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उपसमिति की सदस्यता/अध्यक्षता
3	श्री ए. के. दास कार्यकारी निदेशक	शून्य	11	***	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 3. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 4. बोर्ड की सतर्कता समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. ग्राहक सेवा समिति 7. हितधारक संबंध समिति 8. एचआर समिति 9. आईटी कार्यनीति समिति 10. वसूली की निगरानी के लिए समिति 11. शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र कार्यकारी निदेशक	शून्य	10	****	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. हितधारक संबंध समिति 7. एचआर समिति 8. आईटी कार्यनीति समिति 9. वसूली की निगरानी के लिए समिति 10. शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
5	श्री एस आर मेहर निदेशक – एमओएफ द्वारा नामित	शून्य	10	@	1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. एचआर समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के लिए समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 10. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
6	श्री बी. पी. विजयेन्द्र निदेशक – आरबीआई द्वारा नामित	शून्य	3	@@	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2017-बीओ-I दिनांकित 23.05.2018 की शर्तों के अनुसार नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अध्यक्ष (गैर –कार्यकारी अध्यक्ष) के रूप नियुक्त किया गया है ।

** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 4/2/2018-बीओ.I दिनांकित 03.09.2020 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 31.05.2022) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

Sr. No	Name	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2021	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
3.	Sh. A. K .Das Executive Director	NIL	11	***	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of Board 3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 4. Vigilance Committee of the Board 5. Risk Management Committee 6. Customer Service Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. HR Committee 9. I T Strategy Committee 10. Committee for Monitoring of Recovery 11. Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	NIL	10	****	1. Management Committee of the Board 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of the Board 4. Risk Management Committee 5. Customer Service Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. HR Committee 8. I T Strategy Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
5.	Sh. S R Mehar Director – MOF Nominee	NIL	10	@	1. Audit Committee of Board 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of the Board 4. Customer Service Committee 5. HR Committee 6. I T Strategy Committee 7. Committee for dealing with the case of appeals and review 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Willful Defaulter 10. Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)
6.	Sh. B.P.Vijayendra Director – RBI Nominee	NIL	3	@@	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of Board 3. Vigilance Committee of the Board

*Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman for a period of three years from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier.

**Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 3rdSeptember2020 as Managing Director & Chief Executive Officer with effective from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e, 31.05.2022), or until further orders, whichever is earlier.

*** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ.नं. 4/7/2018-बीओ.I दिनांकित 18.03.2020 की शर्तों के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 31.03.2021) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

**** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 4/3/2020-बीओ-I दिनांकित 10.03.2021 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 30.06.2023) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

@ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ-I दिनांकित 13.07.2018 की शर्तों के अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

@@ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2011-बीओ-I दिनांकित 26.04.2019 की शर्तों के अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ समाप्ति :

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

[क] नियुक्ति -

श्री अजित कुमार दास, कार्यकारी अधिकारी को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ.नं. 4/7/2018-बीओ.I दिनांकित 18.03.2020 की शर्तों के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 31.03.2021) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था।

श्री एस. कृष्णन को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 4/2/2018-बीओ.I दिनांकित 03.09.2020 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 31.05.2022) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री आर. वी. कोल्लेगाल को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 4/3/2020-बीओ-I दिनांकित 10.03.2021 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात् 30.06.2023) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.3 अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की समितियों/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	पीएसबी में निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई में बोर्ड/समिति का नाम जहाँ निदेशक अध्यक्ष/सदस्य है		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक की श्रेणी
1.	डॉ. चरन सिंह अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
2	श्री एस. कृष्णन (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
3.	श्री ए. के. दास (कार्यकारी निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र (कार्यकारी निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5.	श्री एस आर मेहर (निदेशक –एमओएफ द्वारा नामित)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
6.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र (निदेशक – आरबीआई द्वारा नामित)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

***Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2018-BO.I dated 18thMarch 2020 as Executive Director with effect from 01.04.2020 till the superannuation, (i.e. 31.03.2021) or until further orders, whichever is earlier.

****Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/3/2020 -BO.I dated 10thMarch,2021 as Executive Director w.e.f. the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2023) or until further orders, whichever is earlier.

@Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 13th July 2018 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

@@Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO-I dated 26th April 2019 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2020-2021:

[A] Appointment:

Shri. Ajit Kumar Das, Executive Director was appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2018-BO.I dated 18th March 2020 as Executive Director with effect from 01.04.2020 till the superannuation, i.e. 31.03.2021 or until further orders, whichever is earlier.

Shri S.Krishnan appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 3rd September 2020 as Managing Director & Chief Executive Officer with effective from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 31.05.2022), or until further orders, whichever is earlier.

Shri R.V.Kollegal appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/3/2020 -BO.I dated 10th March,2021 as Executive Director w.e.f. the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2023) or until further orders, whichever is earlier.

2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities

Sr No	Name of Director in PSB	Name of the other listed entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board / Committee in other listed entity where the Director is Chairman / Member		Category of Directorship in other listed entity
1.	Dr. Charan Singh (Non-Executive)	Nil	NA	NA	NA
2	Sh.S Krishnan (Managing Director and Chief Executive Officer)	Nil	NA	NA	NA
3.	Sh. A. K .Das (Executive Director)	Nil	NA	NA	NA
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra (Executive Director)	Nil	NA	NA	NA
5.	Sh. S R Mehar (Director – MOF Nominee)	Nil	NA	NA	NA
6.	Sh. B.P.Vijayendra (Director – RBI Nominee)	Nil	NA	NA	NA

[ख] वर्ष के दौरान निवर्तमान निदेशक :

श्री हर्ष बीर सिंह, शेयरधारक निदेशक दिनांक 30.06.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

श्री टी. आर. मेंदीरत्ता, शेयरधारक निदेशक दिनांक 30.06.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक दिनांक 31.07.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

श्री एस हरिसंकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 03.09.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

श्री मधु सूदन दादू, गैर सरकारी निदेशक दिनांक 26.12.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

श्री शैलेश रामजी घेड़िया, गैर सरकारी निदेशक दिनांक 26.12.2020 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

श्री अजित कुमार दास, कार्यकारी निदेशक दिनांक 31.03.2021 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

2.4 वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री एस. कृष्णन - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस. कृष्णन
2.	पिता का नाम	श्री आर. संकरासुब्रमणयम
3.	जन्म तिथि एवं आयु	26.05.1962 व 59 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी-5, टॉवर-2, टाइप VI, ईस्ट किदवई नगर, दिल्ली-110023
5.	ईमेल पता	cmd@psb.co.in
6.	शैक्षणिक योग्यता	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, आईसीएमए, सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	अनुभव	विभिन्न पदों में बैंकिंग/वित्त
9.	अन्य निदेशक पदों का ब्यौरा (यदि हो)	जी नहीं

श्री अजित कुमार दास - कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	पूरा नाम	श्री अजित कुमार दास
2.	पिता का नाम	श्री केशबानंदा दास
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.04.1961 व 60 वर्ष
4.	वर्तमान पता	प्लॉट नंबर 26, फेस-II, भगाबत संधान, गदा गोपी नाथ प्रेसाद, रसूलगढ़, भुवनेश्वर, ओडिसा-751025
5.	ईमेल पता	akdas@psb.co.in
6.	शैक्षणिक योग्यता	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, बीएससी तथा सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	बैंकिंग
9.	अन्य निदेशक पदों का ब्यौरा (यदि हो)	कोई नहीं

[B] Outgoing Directors during the year:

Sh. Harsh Bir Singh, Shareholder Director was on the Board of the Bank up to 30.06.2020

Sh. T.R.Mendiratta, Shareholder Director was on the Board of the Bank up to 30.06.2020

Dr. Fareed Ahmed, Executive Director was on the Board of the Bank up to 31.07.2020.

Sh. S Harisankar, Managing Director & Chief Executive Officer was on the Board of the Bank up to 03.09.2020

Sh. Madhu Sudan Dadu, Non Official Director was on the Board of the Bank up to 26.12.2020.

Sh. Shailesh Ramji Ghedia, Non Official Director was on the Board of the Bank up to 26.12.2020.

Sh.Ajit Kumar Das, Executive Director was on the Board of the Bank up to 31.03.2021.

2.4. Profile of Directors appointed during 2020-21:

Shri S. Krishnan – Managing Director and Chief Executive Officer

S NO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Shri S. Krishnan
2.	FATHER'S NAME	Shri. R. Sankarasubramaniam
3.	DATE OF BIRTH & AGE	26.05.1962 & 59 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B-5 Tower-2, Type VI, East Kidwai Nagar, Delhi-110023
5.	EMAIL ADDRESS	cmd@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.Com, ICMA, CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Managing Director & CEO
8.	EXPERIENCE	Banking in various positions/Finance
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	No

Shri Ajit Kumar Das – Executive Director

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Shri Ajit Kumar Das
2.	FATHER'S NAME	Sh. Keshabananda Das
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.04.1961 & 60 Years
4.	PRESENT ADDRESS	Plot No.26, Phase-II Bhagabat Sandhan, Gada Gopi Nath Preasad, Rasulgarh, Bhubaneshwar, Odisha-751025
5.	EMAIL ADDRESS	akdas@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.Lib.Sc., BSc & CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Executive Director
8.	EXPERIENCE	Banking
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Nil

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	पूरा नाम	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
2.	पिता का नाम	श्री के वी वेंकटेशेशन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	08.06.1963 व 57 वर्ष
4.	वर्तमान पता	प्रधान कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ईमेल पता	rv.kollegal@psb.co.in
6.	शैक्षणिक योग्यता	वाणिज्य में स्नातक, वाणिज्य में स्नातकोत्तर, एलएलबी, सीएआईआईबी एवं एमबीएफ
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	बैंकिंग
9.	अन्य निदेशक पदों का ब्यौरा (यदि हो)	कोई नहीं

2.5 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 18 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई :

15.04.2020	05.05.2020	08.05.2020	30.05.2020	18.06.2020
29.06.2020	16.07.2020	07.08.2020	14.09.2020	12.11.2020
21.11.2020	02.12.2020	24.12.2020	28.01.2021	06.02.2021
17.02.2021	06.03.2021	19.03.2021		

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 11.08.2020 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	18	18	उपस्थित
2	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	08	08	उपस्थित
3	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	10	10	अप्रयोज्य
4	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	07	07	अप्रयोज्य
5	श्री अजित कुमार दास - कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	18	18	उपस्थित
6	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01	अप्रयोज्य
7	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	18	18	अनुपस्थित
8	श्री बी. पी. विजयेन्द्र - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	18	18	अनुपस्थित
9	श्री एस. आर. घेड़िया – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	13	13	उपस्थित
10	श्री मधु सूदन दादू - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	13	13	उपस्थित
11	श्री टी. आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	06	06	अप्रयोज्य
12	श्री हर्ष बीर सिंह, शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	06	06	अप्रयोज्य

Shri. Kollegal V Raghavendra – Executive Director

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Shri. Kollegal V Raghavendra
2.	FATHER'S NAME	Sh. K V Venkatesheshan
3.	DATE OF BIRTH & AGE	08.06.1963 & 57Years
4.	PRESENT ADDRESS	Head Office, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	rv.kollegal@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.Com; M.Com; LLb, CAIIB & MBF
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Executive Director
8.	EXPERIENCE	Banking
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Nil

2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2020-21, total 18 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

15.04.2020	05.05.2020	08.05.2020	30.05.2020	18.06.2020
29.06.2020	16.07.2020	07.08.2020	14.09.2020	12.11.2020
21.11.2020	02.12.2020	24.12.2020	28.01.2021	06.02.2021
17.02.2021	06.03.2021	19.03.2021		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 11-08-2020
1	Dr. Charan Singh - Chairman (Non-Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	18	18	Attended
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	08	08	Attended
3	Sh. S.Krishnan – MD& CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	10	10	NA
4	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	07	07	NA
5	Sh. Ajit Kumar Das – Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	18	18	Attended
6	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01	NA
7	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	18	18	Not Attended
8	Sh. B.P.Vijayendra-RBI Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	18	18	Not Attended
9	Sh. S.R.Ghedia-Non Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	13	13	Attended
10	Sh. Madhu Sudan Dadu – Non Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	13	13	Attended
11	Sh. T.R.Mendiratta- Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	06	06	NA
12	Sh. Harsh Bir Singh-Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	06	06	NA

2.6 आचार संहिता :

शेयर बाजार सहित सेबी (सूचीबद्धता बाध्ताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (5) के अनुपालन में निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् निदेशकों व समस्त महाप्रबंधकों को समाविष्ट करते हुए निदेशक से एक श्रेणी नीचे के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों तथा महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त की है।

3. साधारण सभा बैठकः

3.1 वार्षिक सामान्य बैठक :

शेयरधारकों के अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है –

स्वरूप	दिन व तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
आठवीं सामान्य बैठक	शुक्रवार, 29 जून, 2018	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अपनाने के लिए।
नौवीं सामान्य बैठक	गुरुवार, 11 जुलाई, 2019	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	- 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अपनाने के लिए।
दसवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 अगस्त, 2020	प्रातः 10.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अपनाने के लिए। - बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से दो निदेशकों का चुनाव के लिए।

3.2 असाधारण सामान्य बैठक :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायिक मदों को परिचालित करने के लिए गुरुवार, 25 मार्च 2021 को असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन किया गयाः

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के अनुसार भारत सरकार को ₹ 5500 करोड़ के समतुल्य, निर्धारित ₹ 6.41 प्रति सामान्य शेयर के प्रमियम पर प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 के अंकित मूल्य के बैंक के 3,35,16,14,868 सामान्य शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन करने के लिए।

3.3 डाक मतपत्र :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने नोटिस दिनांकित 15 मई, 2020 द्वारा अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन से ₹ 500 करोड़ राशि के सामान्य शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से अपने निवेशकों से अनुमोदन मांगा था।

4. निदेशकों की समितिः

कंपनी अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड/समिति की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/आईआर के प्रचालन निष्पादन व विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ प्रबंधन क्षेत्रीय विकास, खंड/उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार है :

2.6. Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. General Body Meeting:

3.1. Annual General Meeting

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
8th Annual General Meeting	Friday, 29th June 2018	10:00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini New Delhi – 110085	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2018
9th Annual General Meeting	Thursday, 11th July 2019	10:00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini New Delhi – 110085	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2019
10th Annual General Meeting	Tuesday, 11th August 2020	10:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2020 - To elect TWO Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government)

3.2. Extraordinary General Meeting

During the Financial Year ended 31st March 2021 an Extraordinary General Meeting of the Bank was held on Thursday, 25th March 2021 to transact the following business through Special Resolution:

To create, offer, issue and allot 3,35,16,14,868 Equity Shares of the Bank of face value of Rs.10 each fully paid up at a premium of Rs.6.41 per equity share determined in accordance with SEBI (ICDR) Regulations, 2018 aggregating up to Rs.5500 crore to the Government of India on preferential basis.

3.3. Postal Ballot

During the Financial Year ended 31st March 2021, Bank, vide its notice dated 15th May 2020, had sought the approval of the shareholders by way of Postal Ballot to create, offer, issue and allot equity shares up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement. However, the capital raising could not be proceeded with due to adverse market conditions.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3.	वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति
4.	बोर्ड की सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	हितधारक संबंध समिति
8.	एचआर समिति
9.	आईटी कार्यनीति समिति
10.	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति
11.	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12.	शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
13.	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
14.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
15.	पूंजी निर्गमन समिति
16.	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के अनुच्छेद 14 के नीचे निम्नांकित अनुच्छेद जोड़ा है।

"जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सकेगा।"

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाहित कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समितिः

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मसलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक/कों और धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) की उपधारा (डी) (ई) (एफ) (एच) व (आई) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

S. No.	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	I T Strategy Committee
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
13.	Review Committee for Willful Defaulter
14.	Nomination & Remuneration Committee
15.	Capital Issue Committee
16.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I(Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing"

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

31 मार्च, 2021 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र – निदेशक (आरबीआई नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर आठ (08) बैठकें हुई :

08.05.2020	**10.07.2020**	**10.08.2020**	**11.09.2020**	**05.11.2020**
05.12.2020	**15.03.2021**	**24.03.2021**		

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	3	3
2.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	5	5
3.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	2	2
4.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	8	8
5.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	2	2
6.	श्री बी.पी.विजयेन्द्र – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	8	8
7.	श्री मधु सूदन दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	6	6

4.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी):

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष तथा बैंक में आंतरिक निरीक्षण और बैंक के सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा व आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह आगे बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा समिति तिमाही/इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

The composition of the Management Committee as on 31st March 2021 is as under:

S. No.	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Ajit Kumar Das- Executive Director
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Sh. B.P. Vijayendra - Director (RBI Nominee)

During the Financial Year 2020-21, the Management Committee of the Board met on eight (08) occasions on the following dates:

08.05.2020	**10.07.2020**	**10.08.2020**	**11.09.2020**	**05.11.2020**
05.12.2020	**15.03.2021**	**24.03.2021**		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S Harisankar– MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	3	3
2	Sh. S.Krishnan- MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	5	5
3	Dr. Fareed Ahmed –Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	2	2
4	Sh. Ajit Kumar Das -- Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	8	8
5	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	2	2
6	Sh. B.P.Vijayendra – RBI Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	8	8
7	Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	6	6

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

आरबीआई ने अपने मेल दिनांकित 29.01.2021 के माध्यम से बैंक को गैर कार्यकारी अध्यक्ष को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। 31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र – निदेशक (आरबीआई नामित)
4.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) की निम्नलिखित तिथियों पर नौ (09) बैठकें हुई :

29.06.2020	15.07.2020	07.08.2020	28.08.2020	12.11.2020	19.12.2020	21.12.2020
06.02.2021	19.03.2021					

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री एस आर घेड़िया – गैर सरकारी निदेशक –सीए श्रेणी	01.04.2020 से 26.12.2020	7	7
2.	डॉ. चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	9	9
3.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	2	2
4.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	9	9
5.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	9	9
6.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	15.07.2020 से 31.03.2021	8	8

4.3 वृहत् मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं. 1004/23.04.01ए/2003-4 दिनांकित 14.01.2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे जांच, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि में देरी के विषय में सूचित किया था। अत: यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो पूरी तरह से ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामले की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्यत: धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करती रहेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि के धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है जिससे :

(क) प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिससे धोखाधड़ी कृत्य में सुविधा होती है, का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपाय किए जा सके।

(ख) धोखाधड़ी (यदि हो) का पता लगाने में देरी के लिए कारणों की पहचान तथा बैंक व आरबीआई के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।

(ग) सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली स्थिति की निगरानी।

(घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और यदि आवश्यक होने पर समय गवाए बिना स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई हो।

(ण) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा तथा

(च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारण उपायों को सशक्त करने हेतु प्रसांगिक माने जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

RBI vide its mail dated 29.01.2021 has permitted the Bank to appoint Non-Executive Chairman as the Chairman of the Audit Committee. The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Chairman (Non-Executive)
2.	Sh. Ajit Kumar Das – Executive Director
3.	Sh. B.P.Vijayendra- Director (RBI Nominee)
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

During the Financial Year 2020-21, the Audit Committee of the Board (ACB) met on nine (09) occasions on the dates given below:

29.06.2020	15.07.2020	07.08.2020	28.08.2020	12.11.2020	19.12.2020	21.12.2020
06.02.2021	19.03.2021					

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh.S R Ghedia – Non Official Director-CA Category	01.04.2020 to 26.12.2020	7	7
2	Dr. Charan Singh– Chairman (Non – Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	9	9
3	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	2	2
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	9	9
5	Sh. B.P.Vijayendra-RBI Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	9	9
6	Sh. Ajit Kumar Das, Executive Director	15.07.2020 to 31.03.2021	8	8

4.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

(a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

(b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI

(c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position

(d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time

(e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and

(f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – अध्यक्ष (गैर कार्यकारी) (दिनांक 06.02.2021 से अध्यक्ष)
2.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की छह (06) बार बैठकें आयोजित हुई :

30.05.2020	13.08.2020	29.09.2020
02.12.2020	24.12.2020	18.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	06.02.2021 से 31.03.2021	1	1
2.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	2	2
3.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	4	4
4.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
5.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	6	6
6.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	6	6
7.	श्री मधु सूदन दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	5	5
8.	श्री एस आर घेड़िया –सीए निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	5	5
9.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1

4.4 बोर्ड की सतर्कता समिति

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनज़र सतर्कता अनुशासन प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औज़ार के रूप में बैंक ने सतर्कता समिति गठित की है।

दिनांक 31.03.2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र – आरबीआई नामित निदेशक
5.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

30.06.2020	29.09.2020	31.12.2020	24.03.2021

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Chairman (Non Executive) (Chairperson w.e.f. 06.02.2021)
2.	Sh. S. Krishnan – MD&CEO
3.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)

The Committee met six (06) times during the Financial Year 2020-21 as per the details below:

30.05.2020	13.08.2020	29.09.2020
02.12.2020	24.12.2020	18.03.2021

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh -Chairman (Non – Executive)	06.02.2021 to 31.03.2021	1	1
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	2	2
3	Sh. S. Krishnan-MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	4	4
4	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
5	Sh.Ajit Kumar Das – Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	6	6
6	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	6	6
7	Sh. M S Dadu- Director	01.04.2020 to 26.12.2020	5	5
8	Sh. S.R. Ghedia- CA Director	01.04.2020 to 26.12.2020	5	5
9	Sh. Kollegal V Raghavendra -Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1

4.4. Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Sh. B.P.Vijayendra-Director (RBI Nominee)
5	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2020-21 as per the details below:

30.06.2020	29.09.2020	31.12.2020	24.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	1	1
2.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	3	3
3.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1
5.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4
6.	श्री बी. पी. विजयेन्द्र – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4
7.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	1	1

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है तथा विषय पर समन्वित विचार करती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है। 31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)
2.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

30.06.2020	28.08.2020	21.12.2020	15.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4
2.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	2	2
3.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	2	2
4.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
5.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1
6.	श्री मधु सूदन दादू – निदेशक	01.04.2020 से 31.12.2020	3	3
7.	श्री टी. आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1
8.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1
9.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S Harisankar–MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	1	1
2	Sh. S.Krishnan- MD&CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	3	3
3	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
4	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1
5	Sh. S R Mehar– MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4
6	Sh. B.P.Vijayendra – RBI Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4
7	Sh. Ajit Kumar Das, Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	1	1

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh-Chairman (Non – Executive)
2.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
3.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2020-21 as per the details below:

30.06.2020	28.08.2020	21.12.2020	15.03.2021

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	2	2
3	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	2	2
4	Dr. Fareed Ahmed –Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
5	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1
6	Sh. M S Dadu– Director	01.04.2020 to 31.12.2020	3	3
7	Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1
8	Sh. Harsh Bir Singh - Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1
9	Sh. Ajit Kumar Das, Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियो अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक के संचालन में निरंतर स्थिरता व कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

4.6 ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उपसमिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2021 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

समिति के कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों हेतु प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

i. ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना तथा ग्राहक-सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।

ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महिने से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कार्यान्वयित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।

iii. ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों के ग्राहक वर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

30.06.2020	29.09.2020	21.12.2020	18.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	1	1
2.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	3	3
3.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1
5.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4
6.	श्री टी. आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1
7.	श्री एस आर घेड़िया –सीए निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	3	3
8.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	4	4

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6. Customer Service Committee:

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2021:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Sh. S R Mehar – Director (MOF Nominee)

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2020-21, the Committee met on the following dates:

30.06.2020	29.09.2020	21.12.2020	18.03.2021

The details of attendance of the Directors are as under:

Sl No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	1	1
2	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	3	3
3	Dr. Fareed Ahmed –Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
4	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1
5	Sh. S R Mehar–MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4
6	Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1
7	Sh. S R Ghedia -CA Director	01.04.2020 to 26.12.2020	3	3
8	Sh. Ajit Kumar Das, Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	4	4

4.7 हितधारक संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बॉंडधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 27.12.2020 से अध्यक्ष)
2.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें आयोजित हुई :

30.06.2020	21.12.2020	15.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष	27.12.2020 से 31.03.2021	1	1
2.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	1	1
3.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	2	2
4.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
5.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1
6.	श्री हर्षबीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1
7.	श्री टी. आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1
8.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	3	3

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2020 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2021 को लंबित
शून्य	5	5	शून्य

31.03.2021 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं रही। सेबी (सूचीबद्धता बाध्याताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनियन व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

4.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson w.e.f. 27.12.2020)
2.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
3.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2020-21

30.06.2020	21.12.2020	15.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman	27.12.2020 to 31.03.2021	1	1
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	1	1
3	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	2	2
4	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
5	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1
6	Sh.Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1
7	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1
8	Sh. Ajit Kumar Das, Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	3	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2020	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2021
NIL	5	5	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2021. Shri Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8. Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह –अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)
2.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें हुई :

30.05.2020	28.08.2020	21.12.2020	07.01.2021	06.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह –अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	5	5
2.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	2	2
3.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	3	3
4.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	5	5
5.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1
6.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	5	5
7.	श्री टी. आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1

4.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

आईटी पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह –अध्यक्ष (गैर कार्यकारी) (दिनांक 27.12.2020 से अध्यक्ष)
2.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस आर मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें हुई :

15.04.2020	08.05.2020	14.07.2020	13.08.2020	20.11.2020	07.01.2021

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh - Chairman (Non – Executive)
2.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
3.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2020-21

30.05.2020	28.08.2020	21.12.2020	07.01.2021	06.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	5	5
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	2	2
3	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	3	3
4	Sh. Ajit Kumar Das – Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	5	5
5	Dr. Fareed Ahmed –Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1
6	Sh. S R Mehar - MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	5	5
7	Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1

4.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh –Chairman (Non-Executive) (Chairperson w.e.f. 27.12.2020)
2.	Sh. S. Krishnan - MD&CEO
3.	Sh. Ajit Kumar Das–Executive Director
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2020-21

15.04.2020	08.05.2020	14.07.2020	13.08.2020	20.11.2020	07.01.2021

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह –अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	6	6
2.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	4	4
3.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	2	2
4.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	3	3
5.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	6	6
6.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	6	6
7.	श्री मधु सूदन दादू – निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	5	5
8.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	2	2

4.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति:

अनुशासनात्मक प्रकरणों की अपील तथा समीक्षा याचिका में निर्णय के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 22389 दिनांकित 10.08.2016 के माध्यम से अपील और समीक्षा प्रकरणों से संबंधित समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.11 वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक को शामिल करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें हुई :

30.06.2020	29.09.2020	21.12.2020	28.01.2021	18.03.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस हरिसंकर – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2020 से 03.09.2020	1	1
2.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	4	4
3.	डॉ. फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020	1	1

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	6	6
2	Sh. S Harisankar – MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	4	4
3	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	2	2
4	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	3	3
5	Sh. Ajit Kumar Das – Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	6	6
6	Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	6	6
7	Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	5	5
8	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	2	2

4.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

No meeting was held during the year.

4.11. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2020-21

30.06.2020	29.09.2020	21.12.2020	28.01.2021	18.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Sh.S Harisankar - MD & CEO	01.04.2020 to 03.09.2020	1	1
2	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	4	4
3	Dr. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2020 to 31.07.2020	1	1

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
4.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	5	5
5.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	10.03.2021 से 31.03.2021	1	1
6.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	5	5
7.	श्री एस आर घेड़िया – गैर कार्यकारी निदेशक (सीए निदेशक)	01.04.2020 से 26.12.2020	3	3
8.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2020 से 30.06.2020	1	1

4.12 शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान :

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांकित 03.04.2012 के मामले में विभिन्न कंपनी, वित्तीय संस्थाओं तथा पीएसयू बैंकों में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 19840 दिनांकित 05.05.2012 के अनुसार बोर्ड की समिति का गठन किया गया।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2.	श्री अजित कुमार दास – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक

4.13 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति

पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.02.2021 से अध्यक्ष)
2.	श्री एस आर मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)
3.	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें हुई जिसमें सभी तीनों सदस्य उपस्थित रहे :

02.12.2020	18.03.2021

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह – गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	06.02.2021 से 31.03.2021	1	1
2.	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	04.09.2020 से 31.03.2021	2	2
3.	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021	2	2
4.	श्री मधु सूदन दादू – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	1	1

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
4	Sh. Ajit Kumar Das – Executive Director	01.04.2020 to 31.03.2021	5	5
5	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	10.03.2021 to 31.03.2021	1	1
6	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	5	5
7	Sh. S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	01.04.2020 to 26.12.2020	3	3
8	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2020 to 30.06.2020	1	1

4.12. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Ajit Kumar Das - Executive Director
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director

4.13. Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for Willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter.

The composition of the Committee as on 31st March 2021 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh–Non Executive Chairman (Chairperson w.e.f. 06.02.2021)
2.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)
3.	Sh. S Krishnan – MD & CEO

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2020-21 in which all three members were present.

02.12.2020	18.03.2021

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman	06.02.2021 to 31.03.2021	1	1
2	Sh. S. Krishnan – MD & CEO	04.09.2020 to 31.03.2021	2	2
3	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2020 to 31.03.2021	2	2
4	Sh. M S Dadu – Non-Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	1	1

4.14 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

'बोर्ड की नामांकन समिति' तथा 'बोर्ड की पारिश्रमिक समिति' दोनों के स्थान पर डीएफएस अधिसूचना एफ. सं. 19/19/2019-बीओ.I दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के नाम से एकल समिति का गठन किया गया।

आरबीआई द्वारा 'उचित और उपयुक्त' मानदंड के अनुसार नामांकन, अनुवीक्षण के आवश्यक प्रक्रिया के लिए समुचित सावधानी प्रारंभ करने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 24521 दिनांकित 18.09.2019 के माध्यम से न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' का पुनर्गठन किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें हुई:

29.07.2020

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह – अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2020 से 31.03.2021	1	1
2.	श्री मधु सूदन दादू – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2020 से 26.12.2020	1	1
3.	श्री एस आर घेड़िया – गैर-सरकारी निदेशक (सीए निदेशक)	01.04.2020 से 26.12.2020	1	1

4.15 पूंजी निर्गमन समिति : वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.16 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए समिति : वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.17 शेयर अंतरण समितिः

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित जीएम, डीजीएम/एजीएम को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयर अंतरण समिति के 26 बैठकें की गई।

4.18 अन्य प्रकटीकरण :

I. निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। निदेशकों के मध्य कोई संबंध नहीं है।

II. स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर 'निवेशकों को सूचना' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

5. निदेशक-मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, एक निदेशक के पास कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा।

क्र. सं.	निदेशक के नाम	निदेशकों की श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	डॉ. चरन सिंह	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	व्यावहारिक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अनुसंधान (एम. फिल) तथा न्यू साउथ वेल्स, सिडनी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट उपाधि धारक अर्थात पीएच.डी।	अर्थशास्त्र
2	श्री एस. कृष्णन	एमडी एण्ड सीईओ	लागत लेखाकार, सीएआईआईबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव।	अर्थशास्त्र

4.14. Nomination & Remuneration Committee

A single committee named 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 in place of separate 'Nomination Committee of Board' and 'Remuneration Committee of Board'.

'Nomination & Remuneration Committee' with minimum three members has been re-constituted vide Board Resolution No. 24521 Dated 18.09.2019 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)

The Committee met on following dates during the Financial Year 2020-21:

29.07.2020

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2020 to 31.03.2021	1	1
2	Sh. M S Dadu – Non-Official Director	01.04.2020 to 26.12.2020	1	1
3	Sh. S R Ghedia – Non-Official Director (CA Category)	01.04.2020 to 26.12.2020	1	1

4.15. Capital Issue Committee – No meeting was held during the year.

4.16. Committee for Performance Evaluation: No meeting was held during the year.

4.17. Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2020-21.

4.18. Other Disclosures:

i) The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.

ii) The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psb.india.com under head of "Investors Information".

5. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

S. No.	Name of Director	Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Dr. Charan Singh	Chairman (Non-Executive)	Post Graduate research in Applied Economics (M. Phil) and also a holder of doctorate degree i.e. Ph.D. in Economics from the University of New South Wales, Sydney	Economics
2	Sh.S Krishnan	MD & CEO	Cost Accountant, CAIIB and over 30 years experience in Nationalised Banks	Banking and Finance

क्र. सं.	निदेशक के नाम	निदेशकों की श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
3	श्री अजित कुमार दास	कार्यकारी निदेशक	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, बीएससी तथा सीएआईआईबी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विधि स्नातक, सीएआईआईबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
5	श्री एस आर मेहर	भारत सरकार नामित निदेशक	स्नातकोत्तर तथा विभिन्न स्तरों और अलग-अलग क्षमताओं पर व्यापक प्रशासनिक अनुभव।	प्रशासन एवं प्रबंधन
6	श्री बी. पी. विजयेन्द्र	आरबीआई नामित निदेशक	एम. ए. (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी , आरबीआई में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया।	बैंकिंग

आगे, यह है:

i. पुष्टि की जाती है कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं तथा

ii. सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है।

6. निदेशकों का पारिश्रमिकः

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों को यात्रा और ठहराव खर्चों सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे विस्तृत है :

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया सहित वेतन का भुगतान :

क्र. सं	नाम	पदनाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	श्री एस. कृष्णन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	16.58
2	श्री एस हरिसंकर	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	12.78
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	कार्यकारी निदेशक	1.47
4	श्री अजित कुमार दास	कार्यकारी निदेशक	26.15
5	डॉ. फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	9.12

ख. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया। बैठक शुल्क इस प्रकार है (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1.	डॉ. चरन सिंह	15.60
2.	श्री टी आर मेंदीरत्ता	3.20
3.	श्री बी पी विजयेन्द्र	11.20
4.	श्री हर्ष बीर सिंह	3.65
5.	श्री मधु सूदन दादू	9.35
6	श्री एस आर घेड़िया	9.35
	कुल योग	**52.35**

S. No.	Name of Director	Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
3	Sh. Ajit Kumar Das	Executive Director	B.Lib.Sc., B. Sc. and CAIIB and over 30 years experience in Nationalised Banks	Banking
4	Sh. Kollegal V Raghavendra	Executive Director	Post Graduate in Commerce, Law Graduate, CAIIB and over 38 years experience in Nationalised Banks	Banking and Finance
5	Sh. S R Mehar	Government of India Nominee Director	Post Graduate and has vast administrative experience at various levels and in different capacities	Administration and Management
6	Sh. B. P. Vijayendra	Reserve Bank of India Nominee Director	M.A. (Economics), CAIIB Worked in various capacities at RBI	Banking

Further, it is:

i. Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and

ii. Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure.

6. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended).

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2020-21:

S. No.	Name	Designation	Amount Paid in Rs. Lacs
1	Shri S Krishnan	Managing Director & CEO	16.58
2	Shri S Harisankar	Managing Director & CEO	12.78
3	Shri Kollegal V Raghavendra	Executive Director	1.47
4	Shri Ajit Kumar Das	Executive Director	26.15
5	Dr Fareed Ahmed	Executive Director	9.12

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2020-21 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India):

S. No.	Name of the Director	Amount Paid in Rs. Lacs
1	Dr. Charan Singh	15.60
2	Sh. T R Mendiratta	3.20
3	Sh. B P Vijayendra	11.20
4	Sh. Harsh Bir Singh	3.65
5	Sh. M S Dadu	9.35
6	Sh. S R Ghedia	9.35
	TOTAL	**52.35**

7. अदावी लाभांश :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को संबंधित असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त/अदावाकृत हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है।

क्रम सं	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2021 को शेष
1	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	654625.80
2	लाभांश 2014-15	515387.40
3	लाभांश 2015-16	1426266.60

8. प्रकटीकरणः

a. सार-रूप में कोई विशेष संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक हितों के साथ टकराव की संभावना हो सकती है।

b. बैंक वेबसाइट https://www.psbindia.com/content/psb-policy पर संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति उपलब्ध है।

c. पूंजी-बाजार से संबंधित किसी विषयों पर किसी विधि, दिशानिर्देश तथा निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए शेयर बाजारों तथा/या सेबी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान बैंक पर कोई मौद्रिक दंड तथा आक्षेप नहीं लगाया गया है।

d. बैंक की पर्दाफाश नीति है और किसी भी कर्मचारी को इसे प्राप्त करने से वंचित नहीं किया गया है।

e. व्यवसायिक जवाबदेही रिपोर्ट बैंक वेबसाइट https://www.psbindia.com/content/psb-policy पर उपलब्ध है।

f. लाभांश आबंटन नीति बैंक वेबसाइट पर https://www.psbindia.com/content/psb-policy पर उपलब्ध है।

g. अधिमान्य आबंटन के माध्यम से तथा पीएसबी-ईएसपीएस के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाए गए धनराशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है।

h. कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है।

i. वित्तीय वर्ष के दौरान कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां लागू नहीं है।

9. कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण :

रजि. सं	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
17 व 17 A	निदेशक-मंडल	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल का संघटन व विचारार्थ विषय, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् अधिनियम द्वारा शासित होता है जिसका अर्थ है कि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू नहीं हैं। अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से चुने गए 2 निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशक अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया किया जाता है। बोर्ड के कार्यकरण में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
18	लेखापरीक्षा समिति	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें, आरबीआई के निदेशों/ दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती हैं जिनका अनुपालन किया जाता है।

7. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

S. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2021
1	Dividend 2013-14 (Final)	654625.80
2	Dividend 2014-15	515387.40
3	Dividend 2015-16	1426266.60

8. DISCLOSURES:

a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict **w**ith the interests of the Bank at large.

b. Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at https://www.psbindia.com/content/psb-policy

c. No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

d. Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.

e. Business Responsibility Report is available on the website of the bank https://www.psbindia.com/content/psb-policy

f. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at https://www.psbindia.com/content/psb-policy

g. The Funds raised by the Bank by way of Preferential allotment and by way of PSB-ESPS have been utilized for the general business purpose.

h. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

i. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.

9. Disclosure of compliance with corporate Governance requirements

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	The composition & terms of reference of Board of Directors of Punjab & Sind Bank is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 i.e. the Act, meaning thereby that the provisions of the Companies Act, 2013 in this regard are Not Applicable. All the directors, except 2 directors elected from amongst the shareholders (other than the Central Government) pursuant to Section 9(3) (i) of the Act, are Appointed / Nominated by the Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	The composition and terms of reference of the Audit Committee of the Board of Punjab & Sind Bank is governed by the RBI directives / guidelines, which are complied with.

रजि. सं	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें, आरबीआई/भारत सरकार के निदेशों/ दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती हैं जिनका अनुपालन किया जाता है।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
22	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पक्ष लेनदेन	अनुपालन किया गया
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक के संबंध में कंपनी अभिशासन की आवश्यकताएं	अप्रयोज्य
24क	सचिवीय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	ऊपर विनियम 17 के अनुसार
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया
27	अन्य कंपनी अभिशासन आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (ख) से (च)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

10. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची v के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची ii {विनियम 27 (1)} के भाग-ई के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड – गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-निर्वहन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	भारत सरकार ने दिनांक 23.05.2018 से डॉ. चरन सिंह को बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकरा द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।
2.	शेयरधारकों का अधिकार – विगत छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयरबाजारों को भेजे जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर प्रदर्शित किया जाता है।
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर सकती है।	बैंक के वित्तीय विवरण अप्रतिबंधित है।
4.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
19	Nomination and Remuneration Committee	The composition and terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Punjab & Sind Bank is governed by the RBI / GOI directives / guidelines, which are complied with.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17 above
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (f)	Website	Complied with

10. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

S. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	**The Board** – A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Government of India has appointed Dr. Charan Singh as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f. 23.05.2018. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	**Shareholders Rights** – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
3.	**Modified Opinion(s) in audit report** – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
4.	**Reporting of internal auditor** – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

11. संचार के माध्यम :

बैंक, वर्तमान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार साधनों के माध्यम से अपने शेयरधारकों तथा हितधारकों को उनके हितों से संबंधित जानकारियों के विषय में अवगत कराते रहने की आवश्यकता को समझता है।

अनुमोदन पश्चात बोर्ड बैठक की समाप्ति पर तत्काल बैंक के वित्तीय परिणाम उन शेयर बाजारों को प्रस्तुत की जाती है जहाँ बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध है। आवश्यकतानुसार परिणामों को न्यूनतम दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक हिंदी) में भी प्रकाशित कराया जाता है।

बैंक की तिमाही/वर्ष-दर-वर्ष/वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा प्रेस-विज्ञप्ति बैंक वेबसाइट http://www.psbindia.com पर प्रदर्शित है।

बैंक का सामान्य शेयर भारत के निम्नांकित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है :

1) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

फिरोज जीजाभॉय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001

बीएसई कोडः 533295

2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

"एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्वी) मुंबई-400051

एनएसई कोडः पीएसबी-ईक्यू

एक्सचेंज (ओं) के साथ सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में एनएसडीएल, सीएसडीएल को अभिरक्षा शुल्क तथा बीएसई, एनएसई को सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है।

बैंक द्वारा निर्गम टीयर II बॉंडस के संबंध में सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांकित 29.10.2013 तथा ऋण सूचीयन करार के खंड 2 ए की शर्तों के अनुरूप डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटीकरण

बांडधारकों के लिए ट्रस्टी

IDBI trustee

IDBI Trusteeship Services Ltd

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्वेसेज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय
एशियन बिल्डिंग, भूतल
17, आर कमानी मार्ग
बलार्ड इस्टेट
मुंबई – 400 001
दूरभाष संख्या (022) 40807000
फैक्स संख्या 91-22-66311776/40807080
ई-मेल:itsl[at]idbitrustee.com

11. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: http://www.psbindia.com.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) **Bombay Stock Exchange Ltd.**

   Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

   BSE Code: 533295

2) **National Stock Exchange of India Ltd.**

   "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

   NSE CODE: PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS

IDBI trustee

IDBI Trusteeship Services Ltd

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Registered Office
Asian Building, Ground Floor
17, R Kamani Marg
Ballard Estate
Mumbai – 400 001
Tel No. (022) 40807000
Fax No. 91-22-66311776 / 40807080
E-mail:itsl[at]idbitrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड
एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर
पांडुरंग बुद्धकर मार्ग
वर्ली, मुंबई - 400 025
दूरभाष: +91 22 6226 0054/ 6226 0050
ई-मेल: debenturetrustee[at]axistrustee.com

विस्तरा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड
द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र
प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, सातवाँ तल
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 4000 51
दूरभाष : +91 22 2659 3535
फैक्स : +91 22 2653 3297
ई-मेल : mumbai[at]vistra.com

11.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण :

सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नैशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करा सकते हैं।

नीचे दिए गए विवरण अनुसार 31 मार्च 2021 को बैंक के पास 4,05,26,67,964 सामान्य शेयर हैं जिनमें से 4,05,25,82,834 शेयर अमूर्त रूप में है।

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	85,130	0.0121
अमूर्त		
एनएसडीएल	8,46,20,568	2.0880
सीडीएसएल*	3,96,79,62,266	97.9099
कुल योग	**4,05,26,67,964**	**100.0000**

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 3,93,39,32,610 सामान्य शेयर शामिल हैं।

Axis Trustee Services Limited
Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400 025
Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050
Email: debenturetrustee[at]axistrustee.com

Vistra ITCL (India) Limited
The IL&FS Financial Center
Plot No. C–22, G Block, 7th Floor
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400051
Tel: +91 22 2659 3535
Fax : +91 22 2653 3297
Email: mumbai[at]vistra.com

11.1. Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2021 the Bank has 4,05,26,67,964 Number of Equity Shares of which 4,05,25,82,834 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	85,130	0.0021
Dematerialized NSDL CDSL *	 8,46,20,568 3,96,79,62,266	 2.0880 97.9099
Grand Total	**4,05,26,67,964**	**100.0000**

***** includes 3,93,39,32,610 equity shares held by the Government of India.

11.2 इलेक्टॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं, भुगतान की आधुनिक पद्धति है जहाँ लाभांश/ब्याज इत्यादि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। ईसीएस/एनईसीएस सुविधा के अंतर्गत बैंक ने शेयरधारकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रक्षित सभी केंद्रों पर इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

11.3 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण :

बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार होते हैं। नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंकों के शेयर्स को अमूर्त रूप में रखने वाले दो डिपॉजिटरी हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख में अद्यतन हेतु सीधे अपने डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें।

शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती है तथा वह निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है।

निवेशक, शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नांकित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.
(इकाईः पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
नोबेल हाइट्स, प्रथम तल
प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी
सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058
दूरभाष : (011) 41410592 to 0594
फैक्स : (011) 41410591
ई मेलः **delhi@linkintime.co.in**

बैंक ने प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 पर शेयर कक्ष की स्थापना की है जहाँ शेयरधारक अपने सुझाव/शिकायतों के निराकरण के लिए नीचे दिए गए पर मेल कर सकते हैं :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय : लेखा व लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)
21, राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल
नई दिल्ली 110 008
दूरभाष संख्या : (011) 25782926, 25728930, 25812922
फैक्स : (011) 25781639
ई-मेलः **complianceofficer@psb.co.in**

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय 2015 के विनिमय 6 (2) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

11.2. Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

11.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) are the two depositories holding the Banks shares in Demat Form.

Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.

The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances..

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent.

The Investors may contact the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
Noble Heights, 1st Floor,

Plot NH 2, C-1 Block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi – 110058
Phone: (011) 41410592 to 0594
Fax: (011) 41410591
E Mail : **delhi@linkintime.co.in**

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank
Head Office: Accounts & Audit Department (Shares Cell),
21, Rajendra Place, 1st Floor,

New Delhi -110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : **complianceofficer@psb.co.in**

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

12. निलंब खाते में आबंटितीयों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2021) :

क्र. सं.	ब्यौरा	एनएसडीएल IN301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उंचत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

*प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के मताधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक इन शेयरों का वास्तविक स्वामी दावा नहीं करते हैं।

13. बैंक द्वारा प्राप्त ऋण पात्रता निर्धारण :

श्रेणी निर्धारक एजेंसी	टीयर-II बांड के लिए श्रेणी निर्धारण	अतिरिक्त टीयर-I बांड के लिए श्रेणी निर्धारण
सीएआरए	सीएआरई एए नकारात्मक से संशोधित सीएआरई एए-नकारात्मक	सीएआरई ए + नकारात्मक से संशोधित सीएआरई ए नकारात्मक
क्रिसिल	क्रिसिल एए स्थिर से क्रिसिल एए नकारात्मक	-
आईसीआरए	आईसीआरए एए नकारात्मक से संशोधित आईसीआरए एए-नकारात्मक	आईसीआरए ए + (एचवाईबी) नकारात्मक से संशोधित आईसीआरए ए - (एचवाईबी) नकारात्मक
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर एए स्थिर से संशोधित बीडब्ल्यूआर एए नकारात्मक	-

14. सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :

प्रकृति	राशि
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	7,99,85,950
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,49,40,857

15. कंपनी अभिशासन

बैंक ने उन पद्धतियों, परिपाटियों व संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो जमाकर्ताओं सहित अपने वित्तीय हितधारकों को गुणवत्तापूर्वक कंपनी अभिशासन पर उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक में पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुपरिभाषित कार्यकारी प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड व वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति व कार्यों में पारदर्शिता तथा इसके निरीक्षण विभाग व स्वतंत्र लेखापरीक्षक फर्मों दोनों द्वारा संपन्न विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली विद्यमान है।

16. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण :

01.04.2020 तक लंबित शिकायतों की संख्या	3
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	3
31.03.2021 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

12. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2021):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

13. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Additional Tier I Bonds
CARE	CARE AA- Negative revised from CARE AA Negative	CARE A Negative revised from CARE A+ Negative
CRISIL	CRISIL AA Negative revised from CRISIL AA Stable	-
ICRA	ICRA AA- Negative revised from ICRA AA Negative	ICRA A- (hyb) Negative revised from ICRA A+ (hyb) Negative
Brickwork	BWR AA Negative revised from BWR AA Stable	-

14. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	7,99,85,950
Statutory Central Auditors	1,49,40,857

15. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

16. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2020	3
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	0
Number of complaints disposed off during the year	3
Number of complaints pending as on 31.03.2021	0

17. वित्तीय कैलेंडर (संभावित) :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021	
11 वें वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	20.07.2021 (मंगलवार)
11 वें वार्षिक सामान्य बैठक का समय	प्रातः 11.00 बजे
11 वें वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	वीसी के माध्यम से बैंक की 11 वें एजीएम का आयोजन किया जाएगा तथा बैंक का प्रधान कार्यालय मानित स्थान होगा।
बुक संवरण तिथियां	14.07.2021 से 20.07.2021

18. 31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता प्रतिरूप :

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	ईक्वटी का प्रतिशत
1	वैकल्पिक निवेश निधि – III	1	27169	0.0007
2	समाशोधनकर्ता सदस्य	147	892744	0.0220
3	वित्तीय संस्थाएं	1	25000	0.0006
4	हिंदू अविभक्त परिवार	5677	2834980	0.0700
5	बीमा कंपनी	6	42192658	1.0411
6	राष्ट्रीयकृत बैंक	3	376934	0.0093
7	आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसीएस	1	10000	0.0002
8	गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	1	7946	0.0002
9	अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	433	489696	0.0121
10	अनिवासी भारतीय	567	1079033	0.0266
11	अन्य कॉरपोरेट निकाय	315	3576032	0.0882
12	भारत के राष्ट्रपति	1	3933932610	97.0702
13	सार्वजनिक	121248	67114310	1.6561
14	न्यास	7	106450	0.0026
15	अदावी शेयर्स	2	2402	0.0001
	कुल	**128410**	**4052667964**	**100.0000**

19. 31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता (शेयर) का संवितरण - श्रेणीवार :

शेयर की शेयरधारिता	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	कुल शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1 - 500	110037	85.6919	10614080	0.2619
501 - 1000	6666	5.1912	5501043	0.1357
1001 - 2000	3527	2.7467	5429730	0.1340
2001 - 3000	2209	1.7203	5428503	0.1339
3001 - 4000	644	0.5015	2316792	0.0572
4001 - 5000	2375	1.8495	10487762	0.2588
5001 - 10000	2260	1.7600	14982009	0.3697
10001 और अधिक	692	0.5389	3997908045	98.6488
कुल योग	**128410**	100.00	**4052667964**	100.00

17. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2020 to 31st March, 2021	
Date of Eleventh Annual General Meeting.	20.07.2021 (Tuesday)
Time of Eleventh Annual General Meeting	11.00 A.M.
Venue of Eleventh Annual General Meeting	11th AGM of the Bank will be held through VC and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank
Book Closure dates	14.07.2021 to 20.07.2021

18. Shareholding Pattern as on 31st March 2021

S. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Alternate Investment Funds - III	1	27169	0.0007
2.	Clearing Members	147	892744	0.0220
3.	Financial Institutions	1	25000	0.0006
4.	Hindu Undivided Family	5677	2834980	0.0700
5.	Insurance Companies	6	42192658	1.0411
6.	Nationalised Banks	3	376934	0.0093
7.	NBFCs registered with RBI	1	10000	0.0002
8.	Non Nationalised Banks	1	7946	0.0002
9.	Non Resident (Non Repatriable)	433	489696	0.0121
10.	Non Resident Indians	567	1079033	0.0266
11.	Other Bodies Corporate	315	3576032	0.0882
12.	President Of India	1	3933932610	97.0702
13.	Public	121248	67114310	1.6561
14.	Trusts	7	106450	0.0026
15.	Unclaimed Shares	2	2402	0.0001
	Total	**128410**	**4052667964**	**100.0000**

19. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2021

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	110037	85.6919	10614080	0.2619
501 – 1000	6666	5.1912	5501043	0.1357
1001 – 2000	3527	2.7467	5429730	0.1340
2001 – 3000	2209	1.7203	5428503	0.1339
3001 – 4000	644	0.5015	2316792	0.0572
4001 – 5000	2375	1.8495	10487762	0.2588
5001 – 10000	2260	1.7600	14982009	0.3697
10001 & Above	692	0.5389	3997908045	98.6488
TOTAL	**128410**	100.00	**4052667964**	100.00

20. शेयर बाज़ारों में शेयर का मूल्य, व्यापारित शेयरों की मात्रा (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) :

माह	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)					बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)				
	उच्च (रु.)	निम्न (रु)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बंद	बंद	उच्च (रु.)	निम्न (रु)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	बी.एस.ई. बंद	बंद
अप्रैल, 2020	17.80	10.50	4064945	9859.9	15.10	17.69	10.21	259780	33717.62	15.08
मई, 2020	15.10	12.50	1620629	9580.3	13.10	15.15	12.10	81092	32424.10	13.15
जून, 2020	18.50	13.10	7815790	10302.1	15.50	18.52	13.36	770052	34915.80	15.52
जुलाई, 2020	14.80	12.60	12178828	11073.45	13.40	14.75	12.60	1839864	37606.89	13.55
अगस्त, 2020	13.95	12.75	14614989	11387.5	12.95	13.90	12.61	1724118	38628.29	12.95
सितम्बर, 2020	13.25	10.80	7281161	11247.55	11.10	12.97	10.80	906348	38067.93	11.09
अक्टूबर, 2020	11.50	10.30	4192454	11642.4	10.65	11.45	10.42	442524	39614.07	10.57
नवम्बर, 2020	14.25	10.50	20010015	12968.95	13.90	14.19	10.48	1625016	44149.72	13.93
दिसम्बर, 2020	15.80	12.00	18197451	13981.75	13.30	15.77	11.94	2053713	47751.33	13.35
जनवरी, 2021	14.10	12.70	9117198	13634.6	13.20	14.10	12.60	1434337	46285.77	13.02
फरवरी, 2021	23.75	13.25	92675604	14529.15	18.25	23.79	13.31	8644382	49099.99	18.27
मार्च, 2021	19.15	15.75	18491253	14690.7	17.60	19.10	15.60	3569417	49509.15	17.60

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक शेयर के प्रदर्शन का आलेखी वर्णन नीचे दिया गया है

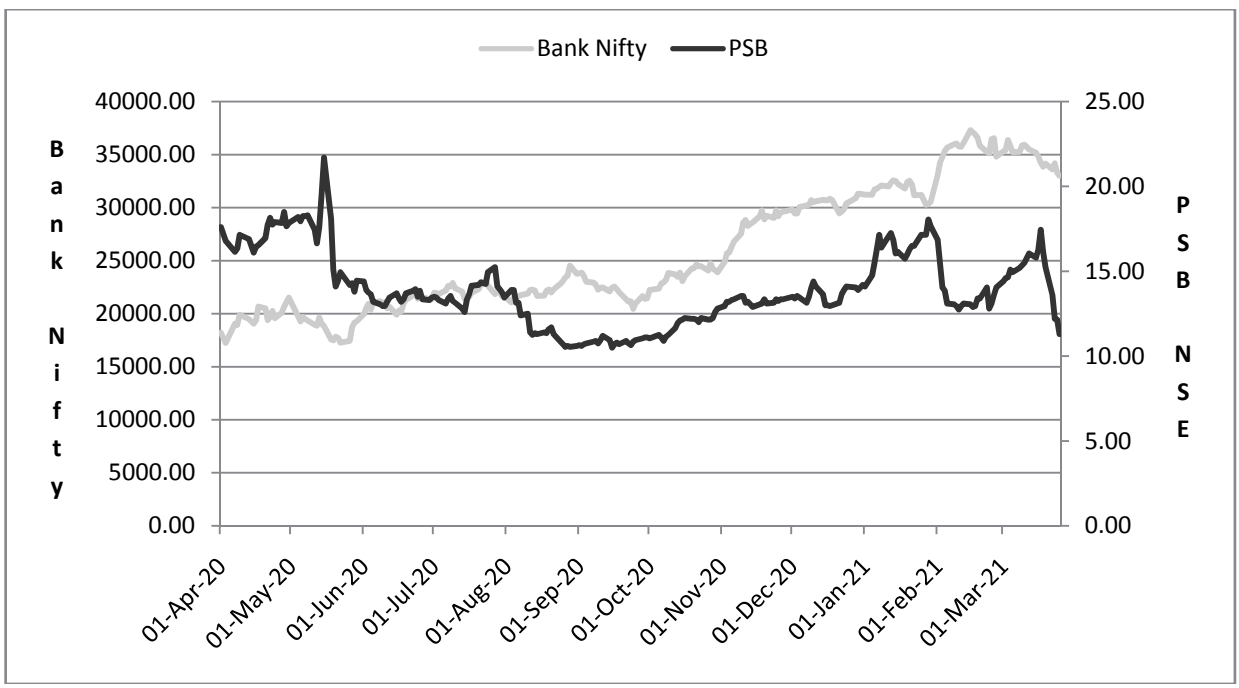

20. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2020 to 31.03.2021)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	NIFTY Close	Close	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Sensex Close	Close
APR 2020	17.80	10.50	4064945	9859.9	15.10	17.69	10.21	259780	33717.62	15.08
MAY 2020	15.10	12.50	1620629	9580.3	13.10	15.15	12.10	81092	32424.10	13.15
JUN 2020	18.50	13.10	7815790	10302.1	15.50	18.52	13.36	770052	34915.80	15.52
JUL 2020	14.80	12.60	12178828	11073.45	13.40	14.75	12.60	1839864	37606.89	13.55
AUG 2020	13.95	12.75	14614989	11387.5	12.95	13.90	12.61	1724118	38628.29	12.95
SEP 2020	13.25	10.80	7281161	11247.55	11.10	12.97	10.80	906348	38067.93	11.09
OCT 2020	11.50	10.30	4192454	11642.4	10.65	11.45	10.42	442524	39614.07	10.57
NOV 2020	14.25	10.50	20010015	12968.95	13.90	14.19	10.48	1625016	44149.72	13.93
DEC 2020	15.80	12.00	18197451	13981.75	13.30	15.77	11.94	2053713	47751.33	13.35
JAN 2021	14.10	12.70	9117198	13634.6	13.20	14.10	12.60	1434337	46285.77	13.02
FEB 2021	23.75	13.25	92675604	14529.15	18.25	23.79	13.31	8644382	49099.99	18.27
MAR 2021	19.15	15.75	18491253	14690.7	17.60	19.10	15.60	3569417	49509.15	17.60

The graphical depiction of performance of Banks share vis-à-vis bank Nifty is given below

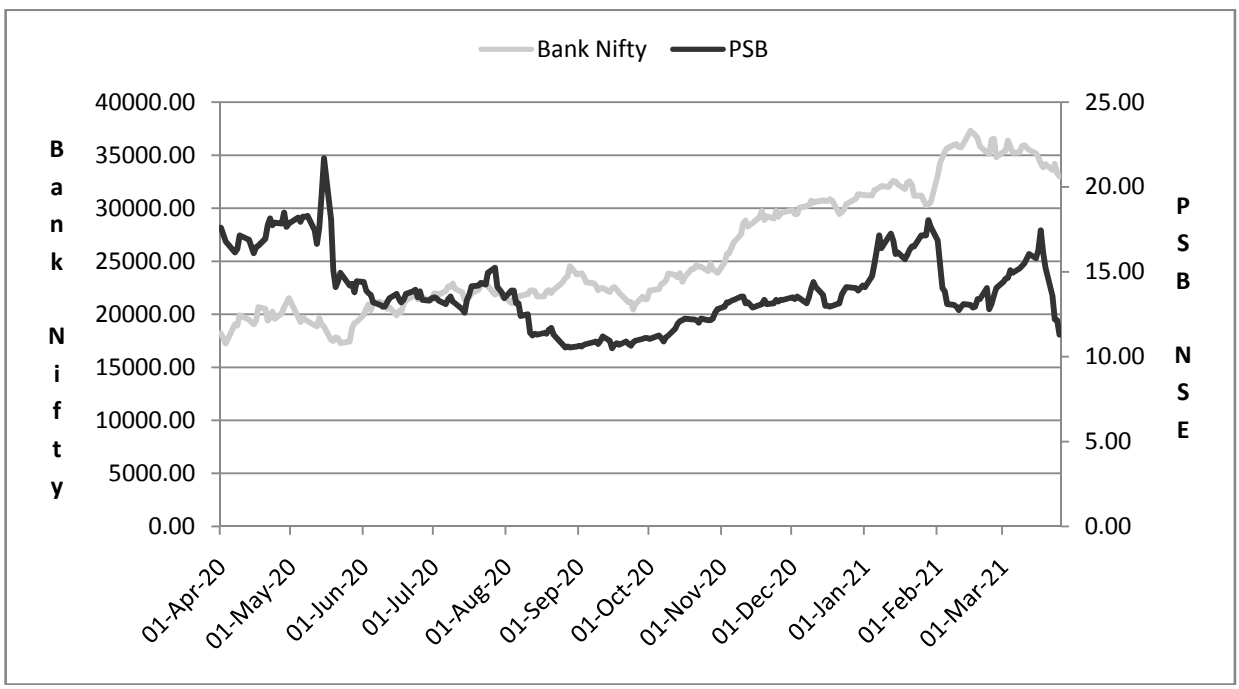

21. 31 मार्च, 2021 को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) वितरण :

क्र.सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	प्रतिशत
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	903	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	5184	2840119	0.08
3.	अरुणाचल प्रदेश	107	32396	0.00
4.	असम	571	321442	0.01
5.	बिहार	2134	2236064	0.06
6.	चंडीगढ़	899	1115623	0.03
7.	छत्तीसगढ़	735	421039	0.01
8.	दादर व नगर हवेली	19	61420	0.00
9.	दमन व दीव	9	2886	0.00
10.	दिल्ली	12284	3941774382	97.26
11.	गोवा	190	86758	0.00
12.	गुजरात	20541	7187980	0.18
13.	हरियाणा	5001	3843681	0.09
14.	हिमाचल प्रदेश	481	611767	0.02
15.	जम्मू व कश्मीर	358	380346	0.01
16.	झारखंड	1425	1279247	0.03
17.	कर्नाटका	5434	2352836	0.06
18.	केरला	1486	1123771	0.03
19.	मध्यप्रदेश	3900	2204260	0.05
20.	महाराष्ट्र	22742	54876109	1.35
21.	मणिपुर	56	176625	0.00
22.	मेघालय	22	15664	0.00
23.	मिजोरम	4	10809	0.00
24.	नागालैंड	42	99605	0.00
25.	ओड़िसा	1053	765372	0.02
26.	अन्य	1214	1073173	0.03
27.	पंडुचेरी	69	34295	0.00
28.	पंजाब	6587	7327362	0.18
29.	राजस्थान	11682	4864494	0.12
30.	सिक्किम	6	7252	0.00
31.	तमिलनाडु	5857	2710226	0.07
32.	त्रिपुरा	42	43213	0.00
33.	उत्तरप्रदेश	9035	6917258	0.17
34.	उत्तराखंड	916	846788	0.02
35.	पश्चिम बंगाल	8315	5022799	0.12
	कुल योग	**128410**	**4052667964**	**100.00**

22. कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा नीचे दिया गया है :

21. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2021

S. No.	State	Number of Shareholders	Number of Shares	Percentage
1	Andaman and Nicobar Islands	10	903	0.00
2	Andhra Pradesh	5184	2840119	0.08
3	Arunachal Pradesh	107	32396	0.00
4	Assam	571	321442	0.01
5	Bihar	2134	2236064	0.06
6	Chandigarh	899	1115623	0.03
7	Chhattisgarh	735	421039	0.01
8	Dadar Nagar Haveli	19	61420	0.00
9	Daman and Diu	9	2886	0.00
10	Delhi	12284	3941774382	97.26
11	Goa	190	86758	0.00
12	Gujarat	20541	7187980	0.18
13	Haryana	5001	3843681	0.09
14	Himachal Pradesh	481	611767	0.02
15	Jammu and Kashmir	358	380346	0.01
16	Jharkhand	1425	1279247	0.03
17	Karnataka	5434	2352836	0.06
18	Kerala	1486	1123771	0.03
19	Madhya Pradesh	3900	2204260	0.05
20	Maharashtra	22742	54876109	1.35
21	Manipur	56	176625	0.00
22	Meghalaya	22	15664	0.00
23	Mizoram	4	10809	0.00
24	Nagaland	42	99605	0.00
25	Orissa	1053	765372	0.02
26	OTHERS	1214	1073173	0.03
27	Pondicherry	69	34295	0.00
28	Punjab	6587	7327362	0.18
29	Rajasthan	11682	4864494	0.12
30	Sikkim	6	7252	0.00
31	Tamil Nadu	5857	2710226	0.07
32	Tripura	42	43213	0.00
33	Uttar Pradesh	9035	6917258	0.17
34	Uttarakhand	916	846788	0.02
35	West Bengal	8315	5022799	0.12
	TOTAL	**128410**	**4052667964**	**100.00**

22. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is provided below:

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretaries

28/1 Harmony Homes,
Shushant Lok III, Sector 57,
Gurgaon 122011
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 (3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध 10 (i) के अनुसरण में}

सदस्य,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली 8

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशकों जिसका पंजीकृत कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) में है, से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 (3) के साथ पठित अनुसूची v अनुच्छेद सी उपबंध 10 (i) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों {पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित} एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करना/बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्र भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

सुचिता कोली
कंपनी सचिव
सीपी नं.: 714
एफसीएस: 1647
यूडीआईएन: F001647C000355792

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2021

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretaries

28/1 Harmony Homes,
Shushant Lok III, Sector 57,
Gurgaon 122011
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members of
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having registered office at 21, Rajendra Place, New Delhi- 110 008 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Suchitta Koley
Company Secretary
CP No.: 714
FCS: 1647
UDIN: F001647C000355792

Place: New Delhi
Date: 21st May, 2021

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार के मामले में हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार में अनुबंद्ध अनुसार कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबंधित है।

कृते मेसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001359N
यूडीआईएन : 21090205AAAAAS8391

सीए मधुर गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 090205
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000203N
यूडीआईएन : 21530433AAAADD8743

सीए अभिषेक गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 530433
स्थान : लुधियाना

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001088C
यूडीआईएन : 21075000AAAAAL8150

सीए जी. पी गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 075000
स्थान : जयपुर

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N
यूडीआईएन : 21085084AAAACH8542

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
पार्टनर
एम. नं. 085084
स्थान : नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 2021

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2021 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For M/S Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001359N
UDIN:21090205AAAAAS8391

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205
Place: New Delhi

For M/s Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000203N
UDIN: 21530433AAAADD8743

CA Abhishek Gupta
Partner
M. No. 530433
Place: Ludhiana

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C
UDIN:21075000AAAAAL8150

CA G.P Gupta
Partner
M.No. 075000
Place: Jaipur

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N
UDIN: 21085084AAAACH8542

CA Shiv Prakash Chaturvedi
Partner
M. No. 085084
Place: New Delhi

Dated: 22 May, 2021
Place: New Delhi

निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषयः सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए घोषणा।

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों तथा उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाज़ारों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची – v के प्रसंग में किए गए सूचीयन करार के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2021

(एस. कृष्णन)
एमडी व सीईओ

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषयः वर्ष 2020-21 के लिए सीएफओ/सीईओ प्रमाणीकरण।

सेबी (एलओडीआर) 2015 के कंपनी अभिशासन की अनुसूची-II के अनुपालन प्रमाणपत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार

1) इन विवरणियों में कोई भी विषयगत असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया नहीं गया है या भ्रामक विवरणियों को शामिल नहीं किया गया है।

2) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों व विनियमों के अनुरूप है।

ख. हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो या बैंक के आचार संहिता के विरुद्ध हो।

ग. हम वित्तीय सूचना देने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने व बनाए रखने के लिए दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय विवरण से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकर के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व संचालन में कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में है तथा हमने इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, के विषय में लेखा परीक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बताया है ।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराया है :

1) वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव तथा इसका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट में कर दिया गया है; तथा

3) हमारे संज्ञान में आए विशिष्ट धोखाधड़ी के दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता (यदि हो) जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका है।

कृते **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**
(विनय कुमार मेहरोत्रा)
मुख्य वित्त अधिकारी

कृते **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**
(एस. कृष्णन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2021

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2020-21 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2021 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For **Punjab & Sind Bank**

Place : New Delhi
Dated : 22.05.2021

(S Krishnan)
Managing Director & Chief Executive Officer

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2020-21

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
   1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
   1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
   2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For **Punjab & Sind Bank**
(Vinay Kumar Mehrotra)
Chief Financial Officer

For **Punjab & Sind Bank**
(S Krishnan)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : New Delhi
Dated : 22.05.2021

व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड ए : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	अप्रयोज्य
2	कंपनी का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3	पंजीकृत पता	बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
4	वेबसाइट	www.psbindia.com
5	ई-मेल आईडी	complianceofficer@psb.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2020-21
7	क्षेत्र (ओं) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगित गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्त
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची, जो कंपनी उत्पादन करती है/उपलब्ध कराती है (जैसा कि तुलन पत्र में दिया गया है)	1. जमाराशि 2. ऋण व अग्रिम 3. प्रत्येषण व संग्रहण
9	स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है : 1) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख पाँच स्थानों का विवरण) 2) राष्ट्रीय स्थानों का संख्या	शून्य बैंक के 25 आंचलिक कार्यालय हैं जिनमें 1531 शाखाएं शामिल है।
10	कंपनी द्वारा बाज़ारों में प्रदान की जा रही सेवा – स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (रुपये में)	रु. 4052.67 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (रुपये में)	रु. 163,919.35 करोड़
3.	कराधान के बाद कुल लाभ (रुपये में)	रु. (2732.90) करोड़
4.	कर के पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	रु. 51,74,840/-
5.	गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 को व्यय किया गया है :	

क्र.सं.	**संगठन का नाम**	**राशि**
1.	कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का समर्थन करने के लिए पीएम केयर फंड में बैंक के योगदान के रूप में रु. 50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) सीएसआर निधि का आबंटन	रु. 50,00,000/-
2.	जिला प्रशासन, बठिंडा को पीपीई किट प्रदान करने के लिए सीएसआर निधि का आबंटन कुल 50 पीपीई किट प्रति रु. 400	रु. 20,000/-
3.	जिला प्रशासन, मानसा को 600 मास्क उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर निधि का आबंटन कुल 600 मास्क प्रति रु. 15/-	रु. 9,000/-
4.	प्रकाश मेमोरियल मूक व बधिर विद्यालय, रोपड़ को एक बॉटम लोडिंग वाटर डिस्पेंसर के दान के लिए सीएसआर फंड का आवंटन	रु. 9,990/-
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, राजस्थान में वाटर कूलर और आरओ उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर के बजट का आबंटन। विवरण 1) 100 एलपीएच (लीटर प्रति घंटा) यूनिट कैंट एलीट 2) वोल्टास वाटर कूलर 40/80 एफएसएस (पूर्ण स्टेनलेस स्टील)	रु. 93,850/-
6.	शहीदी जोड़ मेला 2020 के अवसर पर एसबीआई लीड बैंक कार्यालय, फतेहगढ़ साहिब को 6500 मास्क और 2500 सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर के बजट का आबंटन	रु. 42,000/-
	कुल	**रु. 51,74,840**

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number(CIN) of the Company	N.A.
2.	Name of the Company	PUNJAB & SIND BANK
3.	Registered Address	Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
4.	Website	www.psbindia.com
5.	E-mail ID	complianceofficer@psb.co.in
6.	Financial Year reported	2020-21
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Deposits 2. Loans & Advances 3. Remittances & Collections
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company a) Number of International Locations (Provide details of major 5) b) Number of National Locations	 Nil Bank has 25 Zonal Offices comprising of 1531 Branches
10.	Markets served by the Company-Local/State/National/ International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR)	Rs.4052.67 crore
2.	Total Business (INR)	Rs.163,919.35 crore
3.	Total profit after Taxes (INR)	Rs.(2732.90) crore
4.	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	**Rs.51,74,840/-**
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	

S. No.	NAME OF THE ORGANISATION	AMOUNT
1	Allocation of CSR funds to the tune of Rs.50,00,000/- (Rs Fifty lakhs only) as Bank's contribution to PM CARES Fund to support the government in its fight against COVID 19 pandemic	Rs 50,00,000/-
2	Allocation of CSR funds for providing PPE Kits to the District Administration, Bhatinda Total 50 PPE Kits @ Rs 400/-	Rs 20,000/-
3	Allocation of CSR funds for providing 600 masks to District Administration, Mansa Total 600 masks @ Rs 15/-	Rs 9,000/-
4	Allocation of CSR funds for donation of one bottom loading water dispenser to Parkash Memorial Deaf & Dumb School, Ropar	Rs 9,990/-
5	Allocation of Budget of CSR for providing Water Cooler and RO at Pandit Deendyal Upadhay Shekhawati University Sikar, Rajasthan. Item description - 1) 100 LPH (litre per hour) unit Kent Elite 2) Voltas Water Cooler 40/80 FSS (full stainless steel)	Rs 93,850/-
6	Allocation of Budget of CSR for providing 6500 masks and 2500 sanitizers to SBI Lead Bank Office, Fatehgarh Sahib on occasion of Shaheedi Jod Mela 2020	Rs 42,000/-
	TOTAL	**Rs. 51,74,840**

खंड सी : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है?	नहीं
2	क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां, मूल कंपनी के व्यवसायिक दायित्व पहल में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ तो, ऐसी अनुषंगी कंपनी (यों) की संख्या इंगित करें।	अप्रयोज्य
3	क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के व्यवसायिक उत्तरदायित्व में सहभागिता करती है? यदि हाँ तो इस प्रकार की कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत दर्शाएं।	अप्रयोज्य

खंड डी : बी आर जानकारी

1. व्यवसायिक दायित्वों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

a) व्यवसायिक दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण :

1. डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2. नाम	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
3. पदनाम	कार्यकारी निदेशक

b) व्यवसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

क्र.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2	नाम	श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष नंबर	011-25782928
5	ई-मेल आईडी	gmaccounts@psb.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजीएस अनुसार) व्यवसायिक दायित्व नीति/नीतियां :

a) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या उस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की एक विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं।	www.psbindia.com								
7	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों को औपचारिक तरीके से नीति के विषय में सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	**No**
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	**NA**
3.	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with; participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%)	**NA**

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

1. DIN Number	N.A.
2. Name	Shri Kollegal V Raghavendra
3. Designation	Executive Director

b) Details of the BR Head

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Mr Vinay Kumar Mehrotra
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	011-25782928
5.	E-Mail ID	gmaccounts@psb.co.in

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies**

a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national/international standards? If yes, specify (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.psbindia.com								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
8	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति/नितियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र/व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यप्रणाली का स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

बैंक द्वारा सभी नीतियों का अनुसरण आरबीआई, एमओएफ, भारतीय संविधान द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है इसलिए वे राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं।

b) यदि क्रम संख्या 1 के प्रश्नों में किसी भी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है तो कारण स्पष्ट करें : दो विकल्पों तक चिन्हित करें)

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई।	अप्रयोज्य								
2	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन कर सके।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4	इसे आगामी छह माह में संपन्न किए जाने की योजना है।									
5	इसे आगामी एक वर्ष में संपन्न किए जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया विवरण दें)									

3. व्यवसायिक दायित्वों से संबंधित अभिशासन

(a) निदेशक मंडल,बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए संबंधित आवधिकता का उल्लेख करेः 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह, वार्षिक,1 वर्ष से अधिक	बैंक के बीआर निष्पादन का आकलन सालाना किया जाता है।
(b) क्या कंपनी व्यवसायिक दायित्व या प्रतिधारण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक क्या है ? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	बैंक वार्षिक बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और इसका अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक www.psbindia.com है।

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

#All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by RBI, Ministry of Finance, Constitution of India, legal Acts etc. Hence they conform to national standards.

b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is "NO", please explain why: Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Not Applicable								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next one year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. **Governance related to BR**

(a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	BR performance of the Bank is assessed annually.
(b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	The Bank publishes the BR report annually and the hyperlink for viewing this is www.psbindia.com

खंड ई : सिद्धांत वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और संचालित करना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, यह केवल बैंक के रक्षित करता है। बैंक समय-समय पर सरकार, सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। यह वर्ष 1908 था जब देश के गरीबों में गरीब के उत्थान के लिए भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जैसे दिग्गजों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म हुआ था। बैंक की स्थापना सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आर्थिक प्रयासों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु की गई थी। हालांकि दशकों निकल गए हैं लेकिन आज भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, संस्थापक जन्मदाताओं की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था हैः 1. अधिकारियो द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) भरी जाती है तथा इसकी 100% जांच पड़ताल की जाती है। 2. प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों, जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है, की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। 3. मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशील जगहों पर न हो। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।
	क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्य तक विस्तृत है?	अप्रयोज्य
2	विगत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से हल किया गया है? यदि ऐसा है तो उसका 50 शब्दों में उसका विवरण दें।	पिछले वित्तीय वर्ष में 14449 हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98.2% शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ बंद कर दिया गया।

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

No.	Question	Reply
1.	Does the policy relating to ethic, bribery and corruption cover only the company? Yes/No.	Yes, it covers the Bank only. Bank follows guidelines issued by Govt., CVC from time to time. It was in the year 1908, when a humble idea to uplift the poorest of poor of the land culminated in the birth of Punjab & Sind Bank with the far-sighted vision of luminaries like Bhai Vir Singh, Sir Sunder Singh Majitha and Sardar Tarlochan Singh. The bank was founded on the principle of social commitment to help the weaker section of the society in their economic endeavors to raise their standard of life. Though decades have gone by but even today Punjab & Sind Bank stands committed to honor the social commitments of the founding fathers. Bank has arrangements regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under: 1) Annual Property Returns (APR) are filed by the Officers and 100% scrutiny is carried out. 2) Agreed List and List of Officers of Doubtful integrity is prepared by HO Vigilance Deptt. 3) It is ensured by HRD Deptt that the Officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.
	Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	Not applicable
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	In the past financial year 14449 stakeholder complaints were received, out of which 98.2% of the complaints were closed with the satisfaction of the complainant.

सिद्धांत 2

व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में दीर्घकालीन योगदान करती है :

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	अपने 3 उन उत्पादों एवं सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरोपित किया गया है।	बैंक ने वंचित और अयोग्य वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन को लागू किया है और बैंक का प्रयास इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए किया गया है, अर्थात् "बहिष्कृत का समावेश" और उन्हें समाज में एक उत्पादक संपत्ति बनाते हैं। बैंक की प्रमुख पहल इस प्रकार हैं: 1. बैंक को कुल 3192 गाँव आबंटित किए गए हैं। सभी 3192 गांवों को कवर करने के लिए सभी 961 सब सर्विस एरिया (SSAs) का गठन किया गया था। सभी एसएसए बैंक द्वारा या तो नियमित रूप से साधारण शाखाएं खोलकर या सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। 2. 357 बीसी बैंक द्वारा आज के दिन से आँचलिक कार्यालयों / शाखाओं में लगे हैं और बैंक के द्वारा उन्हें माइक्रो-एटीएम प्रदान किया है और मैसर्स टीसीएस के माध्यम से वित्तीय समावेशन गेटवे लागू किया है। ई-केवाईसी को बीसी बिंदुओं पर लागू किया गया है, जिसने ग्राहकों को आधार आधारित खातों को खोलने और विभिन्न आधार आधारित लेनदेन (यानी जमा /आहरण / फंड अंतरण) को आसानी से बायोमैट्रिक सहायता से आसानी से किया है। 3. बैंक ने 151 आधार नामांकन केंद्र (AECs) (अर्थात् अपनी 10% शाखाओं में) स्थापित किए हैं। ये 151 आधार नामांकन केंद्र सभी राज्यों के ग्राहक को आधार जनरेशन / अपडेशन सेवा प्रदान करते हैं।
2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, प्रति यूनिट उत्पाद (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: (क) इस संदर्भ में पिछले वर्ष से साधनों/उत्पादन/वितरण के दौरान उपयोगिता में लाई गई कमी ? (ख) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई गई कमी ?	अप्रयोज्य
3	क्या कंपनी की संसाधन प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) (क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थाई रूप से प्राप्त किया गया था? इसके अलावा लगभग 50 शब्दों में, विवरण प्रदान करें ।	अप्रयोज्य
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	अप्रयोज्य
5	क्या कम्पनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की पुनर्निर्माण की प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं के पुनर्निर्माण का प्रतिशत क्या है? (अलग-अलग जैसे <5%,5-10%, >10%).) साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।	अप्रयोज्य

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

No.	Question	Reply
1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities	Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under: **1.** Bank has been allotted total 3192 villages. All 961 Sub Service Areas (SSAs) were formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the Bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. **2.** 357 BCs has been engaged by Bank as on date through Zonal Offices/Branches & Bank has provided them micro-atm and implemented Financial Inclusion Gateway through M/s TCS. E-KYC has been implemented at BC points, which has helped the customers in opening of Aadhaar based accounts & performing various Aadhaar based transactions (i.e. Deposit/Withdrawal/fund transfer) easily with the help of bio metric Authentication. 3. Bank has set up 151 Aadhaar Enrolment Centers (AECs) (i.e. in 10% of its Branches). These 151 AECs provide Aadhaar Generation/Updation services to general public.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): a) Reduction during sourcing/ production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain? b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	**N.A.**
3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof, in about 50 words or so.	**N.A.**
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	**N.A.**
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	**N.A.**

सिद्धांत 3

व्यवसाय से सभी कर्मचारियों के हित संवर्धन होने चाहिए

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं ।	8832
2	कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं ।	1 (सीसीएसओ/CCSO)
3	कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	2587
4	कृपया दिव्यांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	268
5	क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन के द्वारा मान्य है ?	हां, • अखिल भारतीय पी.एस.बी. कर्मचारी संगठन • अखिल भारतीय पी.एस.बी. ऑफिसर्स फेडरेशन
6	आपके स्थाई कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं	• अखिल भारतीय पी.एस.बी. कर्मचारी संगठन– 73.95% • अखिल भारतीय पी.एस.बी. ऑफिसर्स फेडरेशन– 57.58%
7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं :	

क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण कार्य	शून्य	शून्य

8	पिछले वर्ष नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? क) स्थाई कर्मचारी ख) स्थाई महिला कर्मचारी ग) आकस्मिक/अस्थाई/संविदाकर्मचारी घ) दिव्यांग कर्मचारी	 62.79% 64.40% शून्य 61.20%

सिद्धांत 4

व्यवसाय के हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं? हाँ/नही	हां, बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं बैंक ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों को लाभ पहुंचाने और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।
2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों की पहचान कर ली है ?	हां, बैंक वंचित, सीमांत तथा कमजोर हितधारकों की वित्तीय सेवाओं और बीमा कवर पर पहुँच को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, कमजोर वर्ग को ऋण, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है ।

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

No.	Question	Reply
1.	Please indicate the total number of employees	**8832**
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis	**1 (CCSO)**
3.	Please indicate the number of permanent women employees	**2587**
4.	Please indicate the number of permanent employees with disabilities	**268**
5.	Do you have an employee association that is recognized by Management	Yes • All India PSB Staff organization • All India PSB Officer Federation
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	• All India PSB Staff organization-73.95% • All India PSB Officer Federation - 57.58%
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.	
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up- gradation training in the last year? a) Permanent Employees b) Permanent Women Employees c) Casual/Temporary/Contractual Employees d) Employees with Disabilities	 62.79% 64.40% NIL 61.20%

No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	Out of which No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour / forced labour / involuntary labour	**Nil**	**Nil**
2.	Sexual harassment	**Nil**	**Nil**
3.	Discriminatory Employment	**Nil**	**Nil**

Principle 4

Business should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

No.	Question	Reply
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes, Bank has mapped its internal and external stakeholder. Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, the Bank adheres to the RBI guidelines on Priority Sector Lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker section, SHG etc., and government- led initiatives to improve access to financial services and insurance cover for reaching out to disadvantaged, marginalized and vulnerable stakeholders.

3	क्या कम्पनी ने वंचित कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पहल की है यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें ।	**आंतरिक हितधारक:** **i. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिक:** बैंक अपने कर्मचारियों के साथ जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है। बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों हेतु कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराता है जैसे किः क) दिनांक 31.03.2021 को पदोन्नति से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों जिनमें 453 अनुसूचित जाति, 164 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 607 कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रक्रिया में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण/छूट दी गई है। ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें/विषयों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के पद का अधिकारी समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त है। इसके अतिरिक्त, आंचलिक कार्यालय स्तर पर मानव संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों के समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। **ii. दिव्यांग व्यक्तिः** बैंक, एक नियोक्ता के रूप में अपने सभी कार्मिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को कार्य सौंपते समय इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य सरलता से कर सकें। दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से कुछ लाभ/अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं जैसे कि नियुक्ति का सुविधाजनक स्थान, ग्रामीण/अर्ध-शहरी नियुक्ति से छूट, वाहन भत्ते का भुगतान आदि। **दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति:** दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि काम का माहौल दिव्यांगजन के विरुद्ध किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्रवाई करता है कि दिव्यांगजनों को उनकी भूमिका निभाने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं • दिव्यांगजन कर्मचारी समानता के अधिकार को प्राप्त करते हैं, गरिमा के साथ रहते हैं और दूसरे उनके साथ समान रूप से उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हैं। • उचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजन कर्मचारियों की क्षमता का उपयोग करना • किसी भी दिव्यांगजन कर्मचारियों को दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि लगाया गया अधिनियम या चूक एक वैध उद्देश्य प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है। • कोई भी व्यक्ति केवल दिव्यांगता (दिव्यांगजन) के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। • बैंक दिव्यांगजन के लिए व्यावहारिक और संपूर्ण कार्यस्थल के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Internal stakeholders:** **i. SC/ST Employees:** The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category employees such as: a) Pre- promotion training to SC/ST/OBC employees as on 31.03.2021, 453 SC, 164 ST, & 607 OBC employees were imparted Pre- promotion trainings. b) The Reservations/ relaxations have been given to SC/ST employees in promotion process as per Government guidelines. c) The Bank has Chief Liaison Officer of the rank of General Manager at Head Office for effectively addressing issues/grievances of SC/ST employees. in addition to this Head of the HR Department at Zonal offices are working as liaison officer for SC/ST/OBC/PHC employees. **ii. Persons with disabilities**: The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability. Certain benefits/ considerations are especially extended to persons with disabilities such as convenient place of posting, exemption from rural/ semi-urban posting, payment of conveyance allowance to etc. Equal Opportunity policy for Divyangjan: In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan. Further, the Bank takes all actions to ensure that the conducive environment is provided to divyangjan to enable them to perform their role and excel in the same. The systems and processes to ensure that • The divyangjan employees enjoy the right to equality, live with dignity and respect for his or her integrity equally with others. • To utilize the capacity of the Divyangjan employees by providing appropriate environment. • No divyangjan employees shall be discriminated on the grounds of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim. • No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability (Divyangjan). • The Bank shall take necessary steps to ensure practical and wholesome workplace environment for divyangjan.

		बाह्य हितधारक: बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को अपना ऋण बढ़ाने के लिए निम्नानुसार विभिन्न पहल की हैं: - • कोविड-19 के प्रकोप के कारण अस्थाई कठिनाइयों से निपटने व घरेलू जरूरतों को पूरा करने और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने कृषक समुदाय के लिए बैंक ने "पीएसबी कृषि रक्षक ऋण" की शुरुआत । • बैंक ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर एसएचजी सदस्यों की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए "पीएसबी एसएचजी तत्काल ऋण" की शुरुआत की। • बैंक ने "पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)" योजना शुरू की है। यह रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण प्रदान करने, उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। • बैंक ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना) का पीएम औपचारिककरण" शुरू की है। • बैंक ने उन किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना "पोल्ट्री फार्मिंग (पीएसबी पोल्ट्री) के वित्तपोषण के लिए पीएसबी योजना" शुरू की है जो सीधे पोल्ट्री फार्मिंग में लगे हुए हैं या इस तरह की गतिविधि में खुद को शामिल करना चाहते हैं। • उन किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना "पिगरी यूनिट्स (पीएसबी पिगरी) के वित्तपोषण पर पीएसबी योजना" शुरू की गई थी जो सीधे सुअर पालन में लगे हुए हैं या इस तरह की गतिविधि में खुद को शामिल करना चाहते हैं। • मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी पालन (पीएसबी एपिकल्चर) के वित्तपोषण पर पीएसबी योजना उन किसानों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी जो सीधे मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी पालन) में लगे हुए हैं या इस तरह की गतिविधि में खुद को शामिल करना चाहते हैं। • हमारे बैंक में लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरएसईटीआई हैं, जो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास के लिए पी.एस.बी. ट्रस्ट आरएसईटीआई के सभी प्रशिक्षण खर्चों को वहन करता है। • आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 15 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय समावेशन गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए, बैंक ने बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर एफ.एल.सी. / आरएसईटीआई वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

		External Stakeholders: Bank has taken various initiatives to increase its lending to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as under:- • Bank introduced "PSB KRISHI RAKSHAK RIN" an instant credit for farming community to meet the emergency requirements for Agriculture and allied activities and Household needs for tiding over temporary difficulties arose due to COVID-19 outbreak. • Bank introduced "PSB SHG TATKAL RIN" to meet emergent needs of SHG members in the wake of COVID-19 outbreak. • Bank has launched "PM street vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi)" scheme. This is a special Micro-credit facility for providing affordable loan to street vendors, to resume their livelihoods, who have been adversely affected due to COVID - 19 lockdown. • Bank has introduced a centrally sponsored Scheme "PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)" for providing financial, technical and business support for up gradation of existing micro food processing enterprises. • Bank has introduced a new scheme "PSB Scheme for Financing Poultry Farming (PSB Poultry)" for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in Poultry farming or intends to engage themselves in such an activity. • A new scheme "PSB Scheme on Financing Piggery Units (PSB Piggery)" was launched for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in Pig farming or intends to engage themselves in such an activity. • PSB Scheme on Financing Apiculture/Bee Keeping (PSB Apiculture) was launched for meeting working capital and investment credit requirements of the farmers who are directly engaged in apiculture (Bee keeping) or intends to engage themselves in such an activity. • Our bank has three RSETIs at Ludhiana, Moga and Faridkot which conducts training programmes for unemployed youth for self-employment. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. • With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at Block level. Presently, our bank has 15 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. To popularize our website and motivate field functionaries to participate in financial inclusion activities, Bank has launched FLC/RSETI Web Portal at Bank's website www.psbindia.com.

सिद्धांत 5

व्यवसाय को मानवाधिकारों का आदर एवं संवर्धन करना चाहिए

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्धम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/एनजीओ/ अन्य शामिल है।	मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केवल बैंक के संचालन को कवर करती हैं। **यौन उत्पीडन की रोकथामः** बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन को निषेध करता है और महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत एवं तेजी के साथ निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बैंक ने प्रत्येक अंचल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण बैंक की इंट्रानेट साइट पर उपलब्ध है। प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेष महिला कक्ष का सृजन किया गया है ताकि वे मुख्य धारा में सहभागिता कर सकें और उनको उच्च दायित्व ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
2.	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई है और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया ?	वर्ष 2020-21 के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में कोई हितधारक शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 6

व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरूद्धार करने का प्रयास करना चाहिए

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल है ?	जी हॉं, यह नीति केवल बैंक को कवर करती है।
2.	क्या कंपनी के पास भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन,भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं ?अगर हॉं तो वेब पेज इत्यादि के लिए हाईपरलिंक दें.	जी हॉं,बैंक द्वारा उठाएं गए विभिन्न कदमों में सम्मिलित हैं: • बैंक की ऋण देने की नीति के निर्देशों के अनुसार, बैंक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले/ओजोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों का उत्पादन करने वाली नई इकाइयों को ऋण नही देता है। • बैंक निर्धारित और सुनिश्चित करता है कि जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाली विनिर्माण इकाइयों के मामले में उधारकर्ता ग्राहक केंद्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करता है। • बैंक पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। • बैंक विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाता है। • बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत समाज सफाई अभियान चलाया। • उधारकर्ताओं को भुगतान / ऋण का आबंटन आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा किया जा रहा है, ताकि कागज की खपत को बचाया जा सके। इसके अलावा, कर्मचारियों से संबंधित भुगतान, जैसे वेतन, लाभ, दावे आदि ऑनलाइन किए जाते हैं जिससे कागज की खपत कम होती है।

Principle 5

Business should respect and promote human rights

No.	Question	Reply
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?	The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly cover only the operations of the Bank. **Prevention of sexual Harassment**: The Bank prohibits sexual harassment at the work place and initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. In compliance of the Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Bank has constituted Internal Complaints Committee at every Zone. The details of the members of the Internal Complaints Committee at Head Office level are also uploaded on the Bank's intranet site. A special women cell has been created at Head Office to exclusively look after the problems of the women employees, with a view to encourage them to participate more in the mainstream and motivate them towards taking up higher responsibilities.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No stakeholder complaints were received during the year 2020-21 with respect to human rights violation.

Principle 6

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

No.	Question	Reply
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors / NGOs/ Others	Yes. The policy covers only the Bank.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming etc.? Y/N, if yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes. Various green initiatives taken by Bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. We actively participate in digital banking and DBT. Further, the following additional steps have also been taken in this regard: • In terms of Bank's Lending Policy guidelines, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone depleting substances. • Bank stipulates and ensures that the borrower client obtains NOC from Central/State Pollution Control Board, in case of manufacturing units emitting toxic pollutants. • Bank gives preference to environment friendly projects like Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects. • Bank undertakes drives such as tree plantation on special occasions. • Bank carries out society cleanliness drives under Swachh Bharat Abhiyan. • Payment to borrowers/disbursement of loans is being made by RTGS/NEFT, so as to save paper consumption. In addition, staff related payments, such as salary, benefits, claims, etc. are made online, thereby reducing paper consumption.

3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का निर्धारण/आकलन करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, बैंक टी.ई.वी. अध्ययन/ परियोजना मूल्यांकन में जोखिम और संस्वीकृति के समय विचार कर रहा है। इसके अलावा सभी ऋणों के लिए किए ध्यान दिए गए हैं।
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है ? अगर है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें और यदि हाँ तो क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?	हाँ, बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में ई-मेल के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आंतरिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम. आदि से कागज़ रहित बैंकिंग सम्मिलित हैं। हम डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी में सक्रिय सहभागी है।
5.	क्या कम्पनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है, यदि हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें.	बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नही है लेकिन बैंक ने कई ऊर्जा नवीकरण परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की तथा जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमति सीमा के अंदर है?	बैंक सेवा उद्योग में है और इसलिए किसी प्रकार के जहरीले/खतरनाक प्रदूषण को पैदा नही करता है। परियोजना ऋणों को वित्त पोषित करते समय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऋण संस्वीकृति से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना हमारी प्रमुख शर्त है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या।	शून्य

सिद्धांत 7

व्यवसाय जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो, तो उसे उत्तरदायित्व पूर्वक सम्पन्न किया जाना चाहिए

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है ? यदि हाँ,तो उनमें से सिर्फ प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है.	हाँ 1. भारतीय बैंक संघ(आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान(आईआईबीएफ़) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान(आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान(एनआईबीएम) 5. राष्ट्रीय बैंकिंग शिक्षण एवं कार्पोरेट प्रबंधन संस्थान(एनआईबीएससीओएम) 6. बैंक बोर्ड ब्यूरो(बीबीबी) 7. द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
2.	क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है? यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाध सुरक्षा दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धांत, अन्य विनिर्दिष्ट करें।	बैंक, इन संगठनों के सदस्य होने के नाते नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास को शामिल करने वाली नीतियां तैयार करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत है।

3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/No	Yes. Environmental risk is duly considered in TEV study/ project appraisal, and the same is duly considered at the time of sanction.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?	Yes, various green initiatives undertaken by the bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. We actively participate in digital banking and DBT.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.	The Bank has no such direct project, but the Bank has financed many renewable energy projects including Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	The Bank is in the service industry and as such does not emit any toxic/ hazardous pollutants. While financing project loans, NOC from Pollution control Boards and Ministry of Environment and Climate change is one of our prominent conditions of credit sanctions.
7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, name only those major ones that your business deals with.	Yes 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance(IIBF) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM) 6. Banks Board Bureau (BBB) 7. The Associated Chamber of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No. If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.

सिद्धांत 8

व्यवसाय से समावेशी वृद्धि तथा सामयिक विकास को बल मिलना चाहिए

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल/ परियोजना 8 है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें.	बैंक ने समग्र वृद्धि तथा समुचित विकास के लिए कई कार्यक्रमों/ परियोजनाओं/पहलों को आरंभ किया है, जिनका विवरण निम्न है:- **1. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) :** हमारे बैंक की लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरसेटियां हैं जो बैंक के न्यास अर्थात ग्रामीण रोज़गार एवं कृषि विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डेअर हेतु पीएसबी ट्रस्ट) के अधीन स्थापित है जोकि बेरोजगार युवकों हेतु स्व-रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मोगा, फरीदकोट और लुधियाना की आरसेटियां अपने परिसर में कार्य कर रही हैं । आरसेटियों के प्रशिक्षण संबंधी व्ययों का वहन कृषि विकास एवं ग्रामीण रोजगार हेतु पीएसबी ट्रस्ट करता है। **2. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) -** आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 15 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि.बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निःशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। एफ.एल.सी. ऋणियों को भी संकट के समय उनके ऋणों की पुनर्संरचना योजनाओं में भी सहायता करती है और पूर्ववर्ती वित्तीय संस्थानों से उनका अनुमोदन भी करती हैं। यद्यपि, एफ.एल.सी. किसी भी बैंक/ बैंकों के उत्पाद हेतु निवेश सलाहकार केंद्रों/मार्केटिंग केंद्रों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। परामर्शदाता मार्केटिंग/बीमा पॉलिसियों में निवेश करने के संबंध में सलाह उपलब्ध कराने, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद या केवल बैंक के अपने उत्पादों को प्रोत्साहित करने अथवा निवेश करने पर सलाह नहीं देता है।
2.	क्या इस कार्यक्रम /परियोजना को आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है ?	कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास (डेयर हेतु पीएसबी न्यास) के लिए पी.एस.बी ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां करता है। डेयरी फार्मिंग में नवीनतम तकनीक से किसानों को प्रशिक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को जैसे ड्रेस डिजायनिंग एवं कढ़ाई कार्य, टाई एवं डाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्यूटी पॉर्लर, जैम और आचार बनाने आदि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पीएसबी डेयर द्वारा पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय वहन किए जा रहे हैं।
3.	क्या आपने कभी अपनी पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे आरएसईटीआई ने 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 1546 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। 1546 उम्मीदवारों में से 960 उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग, 598 बीपीएल और 1188 उम्मीदवार महिला लाभार्थी हैं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1546 आरएसईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 995 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर 274 उम्मीदवारों को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से स्थापित हो गए हैं। बैंक ने 15 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के सहयोग के साथ ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता फैलाने हेतु गाँवों में वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधारिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी. वाई., पी.एम.जे.जे.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गाँव वालों से विचार-विमर्श किया है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 583 कैंपों का आयोजन किया गया जिनमें 10424 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की।

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development

No.	Question	Reply
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If Yes details thereof.	The Bank has taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: 1. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana districts are working in their own premises. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. 2. Financial Literacy Centres (FLCs)- With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at District level. Presently, our bank has 15 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. FLCs also help borrowers in distress by formulating their debt restructuring plans and recommend the same to formal financial institutions. FLCs, however, do not act as investment advice centres /marketing centres for products of any particular bank/banks. Counselors refrain from marketing / providing advice regarding investment in insurance policies, investment in securities, value of securities, purchase/ sale of securities, etc., or promoting investments only in bank's own products.
2.	Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organization?	PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment (PSB Trust for DARE) undertake a number of welfare activities for farmer in rural areas. Special camps are being organized to train farmers about latest technology in Dairy Farming, Women Entrepreneurship in rural areas like Dress designing & embroidery work, tie & dye training programme, Beauty Parlor, Jam & pickle making etc. The entire expenses of such training programme are borne by PSB TDARE.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	During the current financial year 2020-21, our RSETIs have conducted 54 training programs wherein 1546 candidates have been trained. Out of 1546 candidates, 960 candidates belong to SC/ ST category, 598 belong to BPL and 1188 candidates are women beneficiary. Out of 1546 RSETI trained candidates, 995 candidates have settled during current financial year. 274 candidates have been settled through credit linkage during the year from different Banks. Bank in coordination with 15 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD, Digital Banking etc. are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 583 camps were organized in FY 2020-21 wherein 10424 people actively participated.

4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? (राशि रु. में एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण)	अब तक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों को करने के लिए अपनी सी.एस.आर. निधि से पीएसबी टीडेअर को अंशदान देता है। बैंक ने आरसेटी के भवन का निर्माण करने हेतु रु. 1.15 करोड़ तथा ग्रामीण बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु रु. 41.81 लाख का सहयोग दिया है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगो ने सफलतापूर्वक अपनाया है.यदि हाँ तो कृपया 50 शब्दों में विवरण दें।	बैंक ने आरसेटी से प्रशिक्षित आवेदकों को स्थापित करने के लिए स्वरोजगार अथवा ऋण प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में बैंक के प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल को अद्यतित करने के प्रयास प्रसिद्ध हुए हैं।

सिद्धांत 9

अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढ़ंग से व्यवसाय को महत्व देना चाहिए

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित है?	0.5% यथा 75 शिकायतों वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है।
2.	क्या कंपनी ने उत्पाद स्तर पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की है ? हाँ/नहीं/अप्रयोज्य (अतिरिक्त विवरण)	बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध कराई जाती है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती है
3.	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कम्पनी के विरूद्ध अवैध व्यापार, गैर जिम्मेंदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष तक लंबित है ? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	शून्य
4.	क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृति/ उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है ?	हाँ

4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Bank contributes out of its CSR fund to PSB TDARE for carrying welfare activities in rural areas. So far Bank has contributed Rs.1.15 Crore for construction of RSETIs building and Rs. 41.81 Lakh for providing various infrastructure facilities in RSETIs for training of rural unemployed youth.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Bank has taken a number of steps for settlement of RSETI trained candidates either through self-employment or through credit linkage. Bank's initiatives to impart training and skill upgradation have been popular among rural people.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year	0.5% i.e. 75 complaints are pending for closure at the end of the financial year.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA. Remarks (additional information)	The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available on the Bank's Website.
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, if about 50 words or so.	**Nil**
4.	Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?	**Yes**

बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1- अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक-प्रकटीकरण ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोख़िम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोख़िम प्रबंधन की व्यापक सरंचना कार्यरत है। जोख़िम भारित आस्तियों, बाजार जोख़िम तथा प्रचालन जोख़िम में वृद्धि के आसार के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोज़र कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :- ऋण जोख़िम के लिए मानकीकृत अवधारणा-परिचालनात्मक जोख़िम के लिए मूल सूचक अवधारणा

- बाजार जोख़िम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रुप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/ अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डस को घरेलू दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्डस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2021

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of Basel III.

- Standardised Approach for credit risk

- Basic Indicator Approach for operational risk

- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

The Bank has issued Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- बॉण्डस की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

ऋण जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रु/ लाखों में
- 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	379257
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोख़िम पर पूंजी प्रभार	राशि रु.लाखों में
- ब्याज दर जोख़िम	27586
- विदेशी विनिमय जोख़िम (सोने सहित)	225
- इक्विटी जोख़िम	1507

परिचालन जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रू. लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	38105

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल -III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	17.06%
बासल -III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.05%
बासल -III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	13.98%

तालिका डी एफ 3 - ऋण जोख़िम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ड़) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lacs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	379257
- Securitization exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. in Lacs**
- Interest rate risk	27586
- Foreign exchange risk (including gold)	225
- Equity risk	1507

Capital requirements for operational risk

	Amt. in Lacs
Basic indicator approach	38105

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	17.06%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	12.05%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	13.98%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

a) Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां ' अनियमित ' से अभिप्रायः एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नही की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित'माना जाएगा।

यहां ' अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं / कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नही करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नही होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नही करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

   एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणीयों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नही है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नही किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

   उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संरचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोख़िम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोख़िम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोख़िम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोख़िम दर्शन का लक्ष्य जोख़िम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

   A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

   Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g)

   Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

ऋण जोख़िम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोख़िम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार चैयरमैन द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:.

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोख़िम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोख़िम प्रबंधन सगठनात्मक ढ़ाँचा :

- ऋण जोख़िम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोख़िम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोख़िम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोख़िम सहित समन्वित जोख़िम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोख़िम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोख़िम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोख़िम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोख़िम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोख़िम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोख़िमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोख़िम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोख़िम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोख़िम प्रबंधन समिति/ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोख़िम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोख़िम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोख़िम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोख़िम प्रबंधन कक्ष तथा संचालनगत जोख़िम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोख़िम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोख़िम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोख़िम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोख़िम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Non-Executive Chairman devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager/ Deputy General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, ALM cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager/ Deputy General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Large Exposure Framework limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोख़िम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोख़िम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोख़िम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोख़िम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोज़र

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोज़र	6781117
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोज़र	367441

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	विदेशी	
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी	
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	6781117
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	367441

एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण **राशि रु./करोड़ में**

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक
क. खनन तथा उत्खनन	65.75	206.90
ख. खाद्य प्रसंस्करण	1431.87	21.07
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	216.70	5.71
घ. कपड़ा उद्योग	1642.31	12.69
ड़. चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	156.74	0.69
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	90.82	14.88
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	72.66	1.59
ज. पैट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	36.57	0.25
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	132.23	6.51
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	143.79	8.60
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	22.33	0.20
ड. सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	36.63	63.73
ढ़. मूल धातू तथा धातू उत्पाद	886.41	52.19
ण. समस्त इंजीनियरिंग	510.26	61.09
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	203.49	49.45
थ. रतन और आभूषण	37.63	0.01
द. निर्माण	471.71	342.83
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	14354.40	1496.09

- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collaterised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Sr. No.	Category	**Amt. in Lacs**
1	Fund Based Credit	6781117
2	Non Fund Based Credit	367441

Geographic distribution of Advances

Sr. No.	**Category**	**Amt. in Lacs**
1	**Overseas**	NIL
	- Fund Based Credit	
	- Non Fund Based Credit	NIL
2	**Domestic**	
	- Fund Based Credit	6781117
	- Non Fund Based Credit	367441

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF ADVANCES

Amt. in Cr

INDUSTRY	**Funded O/S**	**Non funded**
A.MINING & QUARRYING	65.75	206.90
B.FOOD PROCESSING	1431.87	21.07
C.BEVERAGES & TOBACCO	216.70	5.71
D.TEXTILES	1642.31	12.69
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	156.74	0.69
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	90.82	14.88
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	72.66	1.59
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	36.57	0.25
I.CHEMICALS & CHEMICAL PRODUCTS	132.23	6.51
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PRODUCTS	143.79	8.60
K.GLASS & GLASSWARE	22.33	0.20
L.CEMENT AND CEMENT PRODUCTS	36.63	63.73
M.BASIC METAL & METAL PRODUCTS	886.41	52.19
N.ALL ENGINEERING	510.26	61.09
O.VEHCLES/VEHICLE PARTS	203.49	49.45
P.GEMS & JEWELLARY	37.63	0.01
Q.CONSTRUCTIONS	471.71	342.83
R.INFRASTRUCTURE	14354.40	1496.09

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक
न. अन्य उद्योग	177.94	10.52
प. अवशिष्ट	47120.93	1319.42
कुल योग	67811.17	3674.41

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि रु./लाखों में

क्र. सं.	उद्योग	एक्सपोज़र
1	मूलभूत आवश्यक तत्व	1585049

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि रु./लाखों में

परिपक्वता स्वरूप: समयावधि	जमा राशियां	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	47431	272577	000	1	1520	14181
2 दिन से 7 दिन	320480	69109	8902	000	074	1740
8 दिन से 14 दिन	87902	56367	22590	000	306	3881
15 दिन से 30 दिन	222226	142693	000	000	837	5253
31 दिनों से 2 माह	691501	89562	1072	000	1523	6112
2 माह से अधिक 3 माह तक	648438	86206	51462	000	1348	6500
3 माह से अधिक 6 माह तक	1133487	328518	93044	1359	2936	7393
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	2608226	232411	185321	32718	6429	936
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	1694038	990044	500682	6548	6431	1616
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	1106962	988611	443695	000	1360	9775
5 वर्षों से अधिक	1050125	2838072	1895509	223730	000	000
कुल योग	9610818	6094170	3202277	264355	22764	57386

एन.पी.ए. (सकल) की राशि

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1.	अवस्तरीय	150148
2.	संदिग्ध 1	47185
3.	संदिग्ध 2	238616
4.	संदिग्ध 3	188565
5.	हानि	308886
	कुल	**933400**

INDUSTRY	Funded O/S	Non funded
S.OTHER INDUSTRIES	177.94	10.52
T. Residuary	47120.93	1319.42
Grand Total	67811.17	3674.41

Significant exposure:

Industry where the Total is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based Credit

Amt. in Lacs

S. No.	Industry	Amount
1	Infrastructure	1585049

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

(Rupees in Lacs)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	47431	272577	000	1	1520	14181
2 – 7 days	320480	69109	8902	000	074	1740
8 – 14 days	87902	56367	22590	000	306	3881
15 - 30 days	222226	142693	000	000	837	5253
31 days to 2 months	691501	89562	1072	000	1523	6112
Over 2 months & up to 3 months	648438	86206	51462	000	1348	6500
Over 3 months & up to 6 months	1133487	328518	93044	1359	2936	7393
Over 6 months & up to 1 year	2608226	232411	185321	32718	6429	936
Over 1 year & up to 3 years	1694038	990044	500682	6548	6431	1616
Over 3 years & up to 5 years	1106962	988611	443695	000	1360	9775
Over 5 years	1050125	2838072	1895509	223730	000	000
Total	9610818	6094170	3202277	264355	22764	57386

Amount of NPAs (Gross)

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	Substandard	150148
2	Doubtful 1	47185
3	Doubtful 2	238616
4	Doubtful 3	188565
5	Loss	308886
	Total	**933400**

निवल:- एन.पी.ए.

राशि रु./लाखों में

निवल:- एन.पी.ए	246195

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	13.76%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	4.04%

एन.पी.ए. (सकल) में उतार-चढ़ाव

राशि रु./लाखों में

अथशेष	887457
जमा	155671
कमी	109728
इतिशेष	**933400**

एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि रु./लाखों में

क्रम संख्या	प्रावधान	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	**413880**
जमा	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान:	**310195**
घटाएं: (ए)	अपग्रेड किए गए खाते	2991
(बी)	अतिरिक्त प्रावधानो को वापिस लेना/बट्टा खाते में डालना	7057
	बंद (एन.पी.ए.) खातों में उत्क्रमण	16957
		15400
	उप-योग (बी)	**42405**
	इतिशेष	**681670**

बट्टे खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

राशि रु./लाखों में

तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	1048.91
विविध आय – तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	12502.94
कुल	**13551.85**

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

राशि रु./लाखों में

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	48528

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

राशि रु./लाखों में

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	48528

Net NPAs

Amt. in Lacs

Net NPAs	246195

NPA Ratios

	Category	**Percent**
1	Gross NPAs to Gross advances	13.76%
2	Net NPAs to Net advances	4.04%

Movement of NPAs (Gross)

Amt. in Lacs

Opening Balance(Mar'20)	887457
Additions	155671
Reductions	109728
Closing Balance	**933400**

Movement of Provisions for NPAs

Amt. in Lacs

Sr. No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance(Mar'20)	**413880**
Add	Provisions made during the period (A)	**310195**
Less:	Upgraded Accounts	2991
	Write-off/ Write-back of excess provisions	7057
	Reversal in closed (NPA) accounts	16957
	Others	**15400**
	Sub- Total (B)	**42405**
	Closing Balance	**681670**

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

Amt. in Lacs

Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	1048.91
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	12502.94
TOTAL	**13551.85**

Amount of Non-Performing Investments

Amt. in Lacs

Amount of Non-Performing Investments	48528

Amount of provisions held for non-performing investments

Amt. in Lacs

Provisions held for non-performing investments	48528

निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि रु./लाखों में

अथ शेष	1117
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0
बट्टे खाते खोलना	0
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	81
इतिशेष	1036

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियां	306630	237636

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भौगोलिक वितरण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	933400	681670	159432
विदेशी	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.- 4 - ऋण जोख़िम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, इन्फोमेरिक, एक्विट तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।

3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोख़िम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोख़िम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोख़िमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।

4. जोख़िम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोख़िम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोख़िम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

Movement of provisions for depreciation on investments

Amt. in Lacs

Opening Balance	1117
Provisions made during the period	0
Write-off	0
Write-back of excess provisions	81
Closing Balance	1036

Major Industry Breakup of NPA

Amt. in Lacs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	306630	237636

Geography wise Distribution of NPA & Provision

Amt. in Lacs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	933400	681670	159432
Overseas	0.00	0.00	0.00

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, ACUITE, BRICKWORK,CARE and Infomerics for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

   The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel III as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोख़िम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोख़िम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोख़िम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोख़िम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है ।

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोख़िम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोख़िम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है,अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।

9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोख़िम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

   i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोख़िम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोख़िम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।

   ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोख़िम भार से अधिक या उसके बराबर जोख़िम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोख़िम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोख़िम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोख़िम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि रु./लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	**ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार**
100 % जोखिम भार से कम	5667692
100 %जोखिम भार	1023307
100% जोखिम भार से अधिक	523537
कटौती	2399483
कुल	4815053

तालिका डी.एफ. 5. ऋण जोख़िम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोख़िम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोख़िमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोख़िम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोख़िम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

   → संपार्श्विक लेनदेन

   → ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

   → गारंटियाँ

6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for short-term exposures.

   A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *paripassu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim**, e**xcept where the rated claim is a short term obligation.

   ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *paripassu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lacs

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	5667692
100 % risk weight	1023307
More than 100 % risk weight	523537
Deducted	2399483
TOTAL	4815053

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under Basel III are as follows:

   → Collateralised transactions

   → On-balance-sheet-netting

   → Guarantees

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोख़िम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।

2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।

3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।

4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।

5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।

6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।

7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।

8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।

9.) पुनः प्रत्याभूतन (पुनः प्रतिभूतीकरण), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोख़िम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-II तथा बासल-III के अनुसार पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में ये शामिल हैं :

i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोख़िम युक्त हैं।

ii) किसी प्रतिभूतीकरण अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल हैं जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।

iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.- अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए- अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोज़र के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोख़िमों का समंजन से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोख़िम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोख़िम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोख़िम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. 426963 लाख

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

i. Cash and Certain Deposits.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. KisanVikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGTMSE coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs. 426963 lacs**

तालिका डी.एफ.- 6- प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।

1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।

1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।

1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन: पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

मानक समूह आस्तियों के समनुदेशन के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) रु. 8470 लाखो में ।

तालिका डी.एफ.- 7- ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोख़िम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोख़िम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है,जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोख़िम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर ज़ोखिम एवं विनिमय दर जोख़िम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थो की पर्याप्त एवं उचित रिर्पोटिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	राशि रु./लाखों में
ब्याज दर जोख़िम	47585
ईक्विटी स्थिति जोख़िम	5299
विदेशी विनिमय जोख़िम	225

Table DF 6 -SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.

1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.6 To maximize the returns by churning assets fast.

1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets **- Rs 8470 lacs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. in Lacs**
Interest rate risk;	47585
Equity position risk;	5299
Foreign exchange risk;	225

तालिका डी.एफ.- 8- परिचालनगत जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने "परिचालन जोखिम प्रबंधन" और "व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन" पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक ज़ोनल ऑफिस / हेड ऑफिस से " हानि आंकड़ों " एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढ़ाचा है। बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित / कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोख़िम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोख़िम प्रबंधन समिति(ओ. आर.एम.सी.) गठित की गई है।ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है।शाखाओं की ऑन साईट जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमश: निरीक्षण विभाग,समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोख़िम तथा व्यवसाय निरंतरता योजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है।

तालिका डी.एफ.- 9- बैंक की बहियों में ब्याज दर

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोख़िम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोख़िम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोख़िम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोख़िम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्चलेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नही।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management" and "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting "Loss Data" from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. जोख़िम पर आय राशि रु./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	3010

ख. आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई) 13.59%

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोख़िम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोख़िम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोख़िम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन-देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(राशि रु./लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदशी मुद्रा संविदाएं	257477	5977

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोज़र)/लेन -देन नहीं है।

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(राशि रु./लाखों में)

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		**संदर्भ सं.**
क्रम सं.	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित**		
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूँजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	888778	
2	प्रतिधारित उपार्जन	-77874	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	-28448	
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूँजी	लागू नहीं	
5	अनुषंगियों द्वारा ज़ारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूँजी (सीईटी 1 समूह हेतू स्वीकृत राशि)	लागू नहीं	
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी**	782455	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0	
9	बंधक सर्विसग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	235	

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. in Lacs

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	3010

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) 13.59%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting. For reporting purpose total exposure is considered.

Amt. in Lacs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	257477	5977

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lacs

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S. No.	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	888778	
2	Retained earnings	-77874	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-28448	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	782455	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	235	

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित		
10	आस्थगित कर आस्तियां	0	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	1988	
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉं, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहॉं बैंक के पास ज़ारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0	
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉं, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसारए (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	लागू नहीं	
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉं (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	155980	
22	आरम्भिक 15 प्रतिशत से अधिक की राशि	लागू नहीं	
23	जिसकाः वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
24	जिसकाः बंधक सर्विसिंग अधिकार	लागू नहीं	
25	जिसकाः अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉं	0	
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	0	
26ए	असमेकित बीमा सहायिकाएं की इक्विटी पूंजी में निवेश		
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय सहायिकाएं की इक्विटी पूंजी में निवेश	लागू नहीं	
26सी	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई	लागू नहीं	
26डी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	लागू नहीं	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	158203	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)**	624252	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत		
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31++32)	0	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S. No.	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**		
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of elegible DTL) to be deducted in full from CET1)	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1988	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	0	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	Not Relevant	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	155980	
22	Amount exceeding the 15% threshold	N.A.	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	N.A.	
24	of which: mortgage servicing rights	N.A.	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	N.A.	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries8		
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries8	N.A.	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	N.A.	
26d	Unamortised pension funds expenditures	N.A.	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	158203	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	624252	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित		
31	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0	
32	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में पारिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0	
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0	
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0	
35	जिसकाः सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0	
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	0	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0	
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास ज़ारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता न हो की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0	
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0	
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायिकाएं का अतिरिक्त टियर I पूंजी में निवेश।	0	
41बी	जिसमें से: सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई, के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	0	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन	0	
43	अतिरिक्ति टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0	
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	100000	
45	(टियर-1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29++ पंक्ति 44)	724252	
	टियर-2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0	
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	123730	सबार्डीनेट ऋण
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0	
49	जिसकाः निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा ज़ारी किए गए हों	0	
50	प्रावधान	36042	
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	159772	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S. No.	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	0	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	0	
41	National specific regulatory adjustments	0	
41a	Of which : Investment in the Additional Tier I capital of unconsolidated insurance subsidiaries.	0	
41b	Of which : Shortfall in the Additional Tier I capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank..		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	100000	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	724252	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	123730	Subordi-nate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	N.A.	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	N.A.	
50	Provisions	36042	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	159772	

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित		
	टियर-2 पूँजीः विनियामक समायोजन		
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0	
53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0	
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास ज़ारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0	
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0	
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56 ए + 56 बी)	0	
56ए	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायिकाओं की टियर II पूंजी में निवेश।		
56बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियाँ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई, के टियर-2 पूंजी में कमी	0	
57	**टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	0	
58	**टियर-2 पूँजी (टी2)**	159772	
59	**कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58)**	884024	
60	**कुल ज़ोख़िम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)**	5179071	
60ए	जिसकाः कुल ऋण ज़ोख़िम भारित आस्तियां	4213966	
60बी	जिसकाः कुल बाजार जोख़िम भारित आस्तियां	488798	
60सी	जिसकाः कुल परिचालित जोख़िम भारित आस्तियां	476307	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.05%	
62	टियर-1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.98%	
63	कुल पूँजी (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	17.06%	
64	संस्था विषयक बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकताएं जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.375%	
65	जिसकाः पूँजी अभिरूपता बफ़र आवश्यकता	1.875%	
66	जिसकाः बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	-	
67	जिसकाः जी-एसआईबी बफ़र आवश्यकता	-	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.55%	
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00 %	
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)		

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S. No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0	
56a	Of which : Investment in the Tier II capital of unconsolidated insurance subsidiaries.		
56b	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0	
58	**Tier 2 capital (T2)**	159772	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)**	884024	
60	**Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)**	5179071	
60a	of which: total credit risk weighted assets	4213966	
60b	of which: total market risk weighted assets	488798	
60c	of which: total operational risk weighted assets	476307	
	Capital ratios and buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.05%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.98%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	17.06%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-	
67	of which: G-SIB buffer requirement	-	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.55%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित		
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0	
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	0	
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा		
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		

तालिका डी.एफ.-12 - पूँजी का संयोजन -समाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वितीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S. No.	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**		
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0	
73	Significant investments in the common stock of financials	0	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी-एफ-13-विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताएं

क्रम स.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट(डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज - XIII=300 करोड़	सीरीज - XIV=500 करोड़	अतिरिक्त टियर -1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV=237.30 करोड़	सीरीज - XVI=500 करोड़
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता(अर्थात् सी-यू-एस-आई-पी-, आई-एस-आई-एन- अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई608A09130	आईएनई608A08017	आईएनई608A08025	आईएनई608A08033	आईएनई608A08041
3.	लिखत के शासी विधान	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014	परिपत्र दिनांक 06 जून, 2008 संख्या Lad-Nro/ Gn/2008/13/127878 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2008 जोकि परिपत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 संख्या Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 द्वारा यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2012 यथा संशोधित और दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 का परिपत्र संख्या CIR/ IMD/DF/18/2013) तथा परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 संख्या Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 मार्च, 2015 संख्या Lad-Nro/Gn/2014-15/25/539 यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम,2015 और भा.रि. बैंक दिनांक 01.07.2015 संख्या RBI/2015-16/58 DBR. No.BP.BC1/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 संख्या RBI/2015-16/285 DBR.No.BP.BC.71/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 01.03.2016 संख्या RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 तथा अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 संख्या NO.DBR BP. BC NO./ 50/ 21.06.201/2016-17	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014
	विनियामक व्यवहार					
4.	ट्रांजिशनल बासल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-1	टियर-2	टियर 2
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-1	टियर-2	टियर 2
6.	एकल/समूह/ समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I लिखित

Tabe DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIII =300 crore	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09130	INE608A08017	INE608A08025	INE608A08033	INE608A08041
3	Governing law(s) of the instrument	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/ GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012 AND CIR/IMD/DF/18/2013 DATED OCTOBER 29, 2013) AND THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014 AS AMENDED SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539 DATED MARCH 24, 2015 AND RBI CIRCULAR NO.RBI/2015-16/58 DBR. No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 DATED 01.07.2015, NOTIFICATION NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP. BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR. NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BP.BC. NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/ GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/ GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/ GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier I	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier I	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier I instrument	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments

क्रम स.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट(डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज - XIII=300 करोड़	सीरीज - XIV=500 करोड़	अतिरिक्त टियर -1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV=237.30 करोड़	सीरीज - XVI=500 करोड़
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि-(करोड़ रूपयों में)	0	500	1000	237.3	500
9.	लिखत का सममूल्य	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता (ऋण)
11.	ज़ारी करने की मूल तिथि	24.06.2011	19.10.2016	08.05.2017	27.06.2019	04.11.2019
12.	सतत् अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत्	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्कवता तिथि	24.10.2021	19.10.2026	लागू नही	26.10.2029	03.12.2029
14.	ज़ारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी हां	जी नहीं	जी हां- लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भा.रि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।	जी नहीं	जी नहीं
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है।	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	किसी भी कूपन तिथि पर उसके पश्चात्।	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/ लाभांश					
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश / कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	9.73%	7.99%	10.90%	9.50%	8.67%
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार	अनिवार्य	अनिवार्य
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	नहीं
22.	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर-संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विर्निदिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के ज़ारीकर्ता को विर्निदिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	बट्टे में डालना लागू है	बट्टे में डालना लागू है	बट्टे में डालना लागू है	बट्टे में डालना लागू है	बट्टे में डालना लागू है

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIII =300 crore	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crore, as of most recent reporting date)	0	500	1000	237.3	500
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	24.06.2011	19.10.2016	08.05.2017	27.06.2019	04.11.2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated
13	Original maturity date	24.10.2021	19.10.2026	NA	26.10.2029	03.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior RBI approval. The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for atleast five years..	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	Every coupon date thereafter	NA	NA
	Coupons / dividends					
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.73%	7.99%	10.90%	9.50%	8.67%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	Yes	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable

क्रम स.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट(डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज - XIII=300 करोड़	सीरीज - XIV=500 करोड़	अतिरिक्त टियर -1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV=237.30 करोड़	सीरीज - XVI=500 करोड़
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की दिशा-निर्देशानुसार में लिखा हैं	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की दिशा-निर्देशानुसार में लिखा हैं	1 अक्टूबर 2021 से पहले जारी किए गए बाण्डों अर्थात् बॉसल III को पूर्णतयाः लागू करने से पहले दो पूर्व-निर्धारित ट्रिगर होंगे। सीईटी 1 पर आर.डब्लू.ए. का 5.5% पूर्व-निर्धारित लोअर ट्रिगर लागू होगा तथा 1 अक्टूबर 2021 से पहले तक प्रभावी रहेगा। ऐसे सभी बाण्डों के लिए इस तिथि से सीईटी पर आर.डब्लू.ए. के 6.125% के ट्रिगर में वृद्धि की जाएगी।	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की guidelines में लिखा हैं	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की दिशा-निर्देशानुसार में लिखा हैं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक
33.	अवलेखन की दशा में स्थाई हैं अथवा अस्थाई	स्थाई	स्थाई	बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार अवलेखन प्रणाली अस्थायी अथवा स्थायी हो सकती है	स्थाई	स्थाई
34.	यदि अस्थाई अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	परिवर्तन और स्थायी अवलेखन से एक अस्थायी अवलेखन से भिन्न है अर्थात् मूल लिखित को पूर्णतयाः समाप्त नहीं किया जा सकता है। सामान्यतयाः, आकस्मिक ट्रिगर की पुनरावर्ती होने पर लिखित के सम-मूल्य का अवलेखन (गिरावट) किया जाता है और जिसको भविष्य में भा.रि. बैंक के बॉसल III के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की संपुष्टि करते हुए इसके मूल मूल्य में प्रतिलेखन (वृद्धि) की जा सकती है। बाण्डों के विस्तृत लक्षणों तथा प्रचलित लेखांकन मानकों पर अस्थायी अवलेखन के बाद तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि निर्भर कर सकती है।	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	दावों के अधीन (क) सभी जमाकर्ता (ख) आम ऋणी और (ग) बैक के टियर I पूंजी के तौर पर अर्हता प्राप्त गौण ऋणों के अतिरिक्त गौण ऋण (जैसा कि बॉसल III के दिशा-निर्देशों में परिभाषित है); (घ) बैंक द्वारा जारी तथा भविष्य में जारी किए जाने वाली टियर 2 पूंजी में सम्मिलित होने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखित; (ङ) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर; (च) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर; (छ) टियर 2 पूंजी में सम्मिलित करने हेतु पात्र बैंक द्वारा जारी और भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर।	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों
36.	संक्रमणकालीन गैर अनुपालन स्वरूप	जी हाँ	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37.	यदि हाँ तो गैर अनुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIII =300 crore	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	The Bonds issued before October 1, 2021 i.e. before the full implementation of Basel III shall have two prespecified triggers. A lower pre-specified trigger at CET1 of 5.5% of RWAs shall apply and remain effective before October 1,2021From this date the trigger shall be raised to CET1 OF 6.125% of RWAs for all such Bonds.	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines
32	If write-down, full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent	The write down mechanism may be Temporary or Permanent at Bank's Discretion.	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	A temporary writedown is different from a conversion and a permanent writedowni.e.the original instrument may not be fully extinguished. Generally, the par value of the instrument is written-down (decrease) on the occurrence of the trigger event and which may be written-up (increase) back to its original value in future in conformity with the provisions of the RBI Basel III Guidelines. The amount shown on the balance sheet subsequent to temporary write-down may depend on the precise features of the Bonds and the prevailing accounting standards.	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinated to the claims of (a) all depositors,(b) general creditors (c) subordinated debt of the bank other than subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) ;(d) Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank; (e) perpetual cumulative preference shares;(f) redeemable non-cumulative preference shares; (g)redeemable cumulative preference shares eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued infuture by the Bank	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank
36	Non-compliant transitioned features	YES	NA	NO	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	NA	NA	NA	NA

तालिका डी-एफ-14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बाण्ड निर्गमन - XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्त्तनीय सबॉर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, प्रतिभूति रहित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए-\निगेटिव" और केयर द्वारा "केयर एए-\निगेटिव"
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	छटे वर्ष के अंत में(भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्क्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी सर्विसज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)डिमांड ड्राफ्ट(टों)/ आरटीजीएस की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9-73 % वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस प्रणाली/ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आरटीजीएस खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि^	24.06.2011
पे-इन डेटस^	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि^	24.06.2011

*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. **BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA-\Negative" by ICRA and "CARE AA-\Negative" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **"Punjab & Sind Bank RTGS Account"** IFSC Code: **"PSIB0000001"** for New Delhi
Issue Opens on ^	20th June 2011
Issue Closes on ^	24th June 2011
Pay-In Date ^	20th June 2011 to 24th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

2. बाण्ड निर्गमन- XIV 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बासल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूँजी को बढ़ाया जाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बासल III कॉप्लाधएंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, अरक्षित होंगे। बॉंडधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो रक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए\निगेटिव" और केयर द्वारा "केयर एए-\निगेटिव"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बॉंड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (10,00,000 रुपये /- प्रति बॉण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु 10,00,000 / - प्रति बॉण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बॉन्ड तथा उसके बाद 1 (एक) बॉन्ड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीम्ड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्क्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्तूबर 2026
कूपन दर*	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बॉंड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्तूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	निर्गम में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लींकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बॉण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीम्ड दिनांक को सम्मितलित नहीं किया जाएगा। आबंटिती को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज/ प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आरटीजीएस एकाउंट" के पक्ष में "केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्था न/ केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्ले स, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांस्फेर/ आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
इश्यू के खुलने की तिथि^	05.10.2016
इश्यू के बंद होने की तिथि^	05.10.2016
पे-इन डेटस^	19.10.2016
आबंटन की मानी गई तिथि^	19.10.2016

2. **BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"CRISIL AA\Negative" by CRISIL and "CARE AA-\ Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 19, 2026
Coupon Rate	7.99% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Axis Trustee Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
Issue Opens on	05.10.2016
Issue Closes on	05.10.2016
Pay in Date	19.10.2016
Deemed Date of Allotment	19.10.2016

3. ऐटी 1 बॉन्डों 1000 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 1000 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	दीर्घ अवधि के स्रोत मे वृद्धि करने तथा भविष्य के विकास हेतु बासल III के अनुसार इसकी अपनी पूंजी पर्याप्यता को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक की समग्र पूंजी मे वृद्धि करना।
लिखत	डिबेंचर के रूप मे वचनपत्र ("बाण्ड") असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी कर योग्य बाण्ड जो टीयर 1 पूंजी के रूप मे मान्य होगे (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के बासल III की शर्तो मे परिभाषित है)
लिखत की प्रकृति	बॉन्ड न तो रक्षित हैं, ना ही निर्गमकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही संबंधित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर बॉन्ड धारको के दावो की वरिष्ठता मे वृद्धि करता है ("बॉन्ड धारको") अर्थात निर्गमकर्ता के अन्य ऋणदाता। बॉन्ड धारको के दावे होगे : (i) ईक्विटी शेयरो मे निवेशको तथा बैंक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरो, यदि कोई हैं, के दावो पर तरजीह पाएंगे; (ii) जमाकर्ताओ के दावो, आम ऋणदाताओ तथा टीयर 1 पूंजी के तौर पर गौण ऋणो (जैसा की बासल III की शर्त मे परिभाषित है) के अतिरिक्त बैंक के गौण ऋणो से गौण होगे; (iii) ना तो रक्षित हैं, ना ही निर्गमकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही संबंधित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर दावो की वरिष्ठता मे वृद्धि करता है अर्थात बैंक के अन्य ऋणदाता। (iv) अधिमान के बगैर समान रूप रखते हैं; (v) यदि बैंक द्वारा तत्पश्चात जारी किए गए बॉन्डो/डिबेंचरो (ए.टी.आई. लिखित की प्रकृति अनुसार) की शर्तो मे उल्लेखित नही किया जाता है कि ऐसे बॉन्ड धारको के दावो को तरजीह दी जाएगी या इस प्रकटन प्रलेख के अंतर्गत जारी किए गए बॉन्डो से गौण होगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अपने दिशा-निर्देशो मे अन्यथा निर्धारित नही करता है, बैंक के ऐसे डिबेंचरो/बॉन्डो के धारको के दावो के समरूप बॉन्ड धारको के दावे होगे।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए-(हाइब्रिड)\निगेटिव" और केयर द्वारा "केयर ए\निगेटिव"।
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बॉंड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बॉन्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बॉन्ड)
न्यूनतम आवेदन	दस (10) बॉन्ड और उसके बाद 1(एक) के गुणांक मे बॉन्ड
अवधि	बेमियादी
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	लिखित की कम से कम पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर काल विकल्प की अनुमति है।
प्रतिदेयता/ परिपक्क्वता	सम मूल्य पर
प्रतिदेयता तिथि	बेमियादी
कूपन दर	10.90% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष 08 मई को वार्षिक
न्यासी	विस्त्रा आई.टी.सी.एल. (इंडिया) लिमिटेड
डिपाजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3. **PSB AT-1 BONDS SERIES I- Rs 1000 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 1000 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Unsecured, subordinated, non-convertible, perpetual taxable bonds which will qualify as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines of the Reserve Bank of India) in the nature of Debentures (the "Bonds")
Nature of Instrument	The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis- àvis other creditors of the Issuer. The claims of the Bondholders shall be : (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual noncumulative preference shares of the Bank, if any; (ii) subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines); (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors. (iv) rank pari passu without preference amongst; (v) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures (in the nature of AT1 instruments) by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the bond issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall be pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank;
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"ICRA A-(hyb)\Negative" by ICRA and "CARE A\Negative" by CARE.
Security	Unsecured
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	10 (Ten) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	Perpetual
Put Option	None
Call Option	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years
Redemption/ Maturity	At PAR
Redemption Date	Perpetual
Coupon Rate	10.90% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annual on May 08, of each year
Trustee	Vistra ITCL (India) Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited

आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की शर्तो के अंतर्गत आय कर की कटौती या कोई संविधानिक संशोधन अथवा पुनः क्रियाशील करना जैसा भी लागू हो) का भुगतान सभी आवेदकों को बॉन्डो की आवेदन राशि पर चैक (ओ)/डिमांड ड्राफ्ट(ओ) के पास होने की तिथि से किया जाएगा और आर.टी.जी.एस./अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण के मामलो मे, निधियो की प्राप्ति होने पर आवेदन की अनुमानित तिथि से एक दिन पहले ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दिन के गणना की परम्परा/ वास्तविकता के अनुसार आवेदन राशि पर गणना की जाएगी। सभी वैध आवेदनो पर जिसमे रिफंड भी शामिल हैं, ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आवेदन राशि जिसको वापस लौटाया गया है, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान रिफंड आदेश के साथ लौटाया जाएगा और आवेदन राशि जिसके विरुद्ध बॉन्डो को आबंटन किया गया है, आबंटन की अनुमानित तिथि से आवेदन राशि पर ब्याज 10 कार्य दिवसों के अंदर अदा किया जाएगा। जहाँ एक आवेदक को आवेदित बॉन्डो से कम संख्या मे बॉन्डो का आबंटन किया जाता है, आवेदक को आवेदन पर अदा की गई व्यर्थ राशि के साथ वापस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। आवेदन राशि पर ब्याज पर लागू दर पर स्रोत पर आय कर कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज/ प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	विप्रेषण को या तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष मे आहरित "केवल अदाता के खाते मे" क्रास चैक(ओ)/मांग पत्र(ओ) जो की सम मूल्य पर देय हो जिन स्थानो/केद्रो पर आवेदन पत्र जमा किया गया हो और निधि अंतरण/ आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000606" मे किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	02.05.2017
इश्यू के बंद होने की तिथि^	02.05.2017
पे-इन डेटस^	08.05.2017
आबंटन की मानी गई तिथि^	08.05.2017

4. बाण्ड निर्गमन-XII 237.30 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रु. 237.30 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूँजी को बढ़ाया जाना
साधन	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III अनुपालन टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति मे(("बांड")
साधन की प्रकृति	ये बॉन्ड पूरी तरह से अरक्षित, भुगतान किए जाएंगे। बॉन्डहोल्डर्स के दावे इस प्रकार होंगे: (ए) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए योग्य उपकरणों में निवेशकों के दावों के लिए वरिष्ठ; (बी) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ; और (ग) बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी या कानूनी रूप से या आर्थिक रूप से दावे की वरिष्ठता को बढ़ाता है कि बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी द्वारा न तो रक्षित है और न ही कवर किया गया है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	ब्रीकवर्क द्वारा " ब्रीकवर्क एए\निगेटिव" और केयर द्वारा "केयर एए-\निगेटिव"।
प्रतिभूति	अरक्षित और अधीनस्थ
अंकित मूल्य	रु. 10,00,000/- प्रति बॉड
निर्गत मूल्य	सम मूल्य पर (रु. 10,00,000/- प्रति बॉड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु. 10,00,000/- प्रति बॉड)

Interest on Application Money	Interest at the Coupon Rate (subject to deduction of Income-tax under the provisions of the Income-tax Act 1961, or any statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the application money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/demand draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The Interest on application money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. For the application amount that has been refunded, the Interest on application money will be paid along with the refund orders and for the application amount against which Bonds have been allotted, the Interest on application money will be paid within ten working days from the Deemed Date of Allotment. Where an applicant is allotted lesser number of Bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on Interest on application money.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi
Issue Opens on	02.05.2017
Issue Closes on	02.05.2017
Pay in Date	08.05.2017
Deemed Date of Allotment	08.05.2017

4. **BOND ISSUE – XV Rs 237.30 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 237.30 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"Brickwork AA\Negative" by Brickwork and "CARE AA-\Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)

न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बॉंड और एक बॉंड उसके बाद गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्क्वता	आबंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह के अंत पर
प्रतिदेयता तिथि	अक्तूबर, 26, 2029
कूपन दर*	9.50% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथि	बॉंड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्तूबर वार्षिक
न्यासी	विस्तरा आईटीसीएल(इंडिया) लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	अंक में बांड का आबंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के संबंध में, आवेदन धन पर ब्याज का भुगतान कूपन दर (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आयकर में कटौती के अधीन, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या फिर से किया जाएगा) जारी करने के लिए (जैसा कि लागू हो) बांड की कुल अंकित मूल्य राशि से शुरू होने वाली अवधि के लिए और जारीकर्ता के खाते में आवेदन धन की प्राप्ति की तारीख सहित, लेकिन आबंटित की जमा तिथि को छोड़कर। आबंटन की धनराशि पर इस तरह का ब्याज आबंटक द्वारा आबंटित की गई दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर आबंटियों को भुगतान किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की पुर्नअदायगी आरटीजीएस/ एनीएफटी तंत्र के द्वारा या ऐसी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी जिसको आरबीआई मान्य करेगा।।
इश्यू के खुलने की तिथि^	25.06.2019
इश्यू के बंद होने की तिथि^	25.06.2019
पे-इन डेटस	27.06.2019
आबंटन की मानी गई तिथी	27.06.2019

5. बाण्ड निर्गमन- XVI 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय पूर्णत: चुकता बेसल III कॉप्लाएंट टीयर 2 बाण्ड (सीरीज XIV) टीचर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में (बाण्ड)
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, अरक्षित होंगे। बॉंड धारकों के दावों में यह होगा कि: (क) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखितों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जोकि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए\निगेटिव" और केयर द्वारा "केयर एए-\निगेटिव"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/- प्रति बाण्ड)

Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 26, 2029
Coupon Rate	9.50% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Vistra ITCL (India) Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Issue Opens on	25.06.2019
Issue Closes on	25.06.2019
Pay in Date	27.06.2019
Deemed Date of Allotment	27.06.2019

5. **BOND ISSUE – XVI Rs 500 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XVI) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"CRISIL AA\Negative" by CRISIL and "CARE AA-\Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)

प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीम्ड दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्क्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	03 दिसंबर 2029
कूपन दर*	8.67% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बॉंड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 08 मई वार्षिक
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीसिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट
आवेदन राशि पर ब्याज*	निर्गम में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जोकि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बॉण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डिम्ड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटिती को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15(पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी आरटीजीएस प्रणाली/एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य अन्य ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
इश्यू के खुलने की तिथि^	31.10.2019
इश्यू के बंद होने की तिथि^	31.10.2019
भुगतान करने की तिथि^	04.11.2019
आबंटन की मानी गई तिथि^	04.11.2019

तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ- 16: इक्विटी - बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

• धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है।	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्य से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।
• बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओ के मूल्यांकन • संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओ तथा इन प्रथाओ में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीके और मूल्यांकन प्रणालिया शामिल होनी चाहिए।	ऐसे निवेश, जिसे परिक्वता तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में अस्थाई ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् ''आरक्षित पूँजी'' से समायोजित किया जाता है।

Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	December 03, 2029
Coupon Rate	8.67% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on May 08, of each year till maturity of Bonds
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Issue Opens on	31.10.2019
Issue Closes on	31.10.2019
Pay in Date	04.11.2019
Deemed Date of Allotment	04.11.2019

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosures

• Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons.	Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
• Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to "Capital Reserves" in accordance with RBI guidelines.

राशि रु./लाखों में

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	
1	तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्य, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्य से तुलना, जहाँ शेयर मूल्य, वास्तविक मूल्य से वस्तुतः भिन्न है।	शून्य
2	निवेशों के प्रकार और स्वरुप, जिसमे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: • सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा • निजी रूप से धारित।	शून्य
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ(हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	शून्य
6	उपर्युक्त में से टीयर-I तथा/या टीयर-II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाएं और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओ के संबंध में किन्ही पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश,को मास्टर परिपत्र बासल-III पूँजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डी-एफ- 17- लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति			31.03.2021
	मदें	(रु. करोड़ों में)	(रु. लाखों में)
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	110481.89	11048188.53
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	-	
3.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।	-	
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	-	
5.	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	4088.89	408889.02
6.	तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	4566.05	456604.78
7.	अन्य समायोजन	-	
8.	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**115047.93**	**11504793.31**

Amount in Lacs

	Quantitative Disclosures	
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Nil
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held.	Nil
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	Nil
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure			**31.03.2021**
	Item	(Rs. in Crores)	(Rs. in Lakhs)
1	Total consolidated assets	110481.89	11048188.53
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-	
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-	
4	Adjustments for derivative financial instruments	-	
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	4088.89	408889.02
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	4566.05	456604.78
7	Other adjustments	-	
8	**Leverage ratio exposure**	**115047.93**	**11504793.31**

	तालिका डी-एफ-18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट		31.03.2021
	लीवरेज अनुपात मद संरचना	(रु. करोड़ों में)	(रु. लाखों में)
	तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1.	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक हित)	106393.00	10639299.51
2.	(निर्धारक बेसल III टियर 1 पूँजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	-1582.0345	-158203.45
3.	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	104810.9606	10481096.06
	डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4.	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	-	-
5.	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	-	-
6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।	-	-
7.	(डेरिवेटिव लेन-देनों मे दर्शाए गये नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	-	-
8.	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	-	-
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-	-
10.	लिखत ऋण डेरिवेटिव हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ	-	-
11.	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)**	**0**	**0**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर	-	-
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत	4088.890225	408889.02
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	-	-
14.	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-	-
15.	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	-	-
16.	**कुल प्रतिभूति वित्तापोषण लेनदेन एक्सपोज़र (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)**	4088.890225	408889.02
	अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	14282.2509	1428225.09
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	-9716.203128	-971620.31
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)	4566.05	456604.78
	पूँजी तथा कुल एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूँजी	7242.5175	724251.75
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	113465.8986	11346589.86
	लीवरेज अनुपात		
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	6.38%	6.38%

	Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template		31.03.2021
	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Crores)	(Rs. in Lakhs)
	On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	106393.00	10639299.51
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-1582.0345	-158203.45
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	104810.9606	10481096.06
	Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-	-
5	Add-on amounts transactions for PFE associated with *all* derivatives	-	-
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-	-
7	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-	-
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**0**	**0**
	Securities financing transaction exposures	-	-
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	4088.890225	408889.02
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-	-
14	CCR exposure for SFT assets	-	-
15	Agent transaction exposures	-	-
16	**Total securities lines 12 to 15) financing transaction exposures (sum of**	4088.890225	408889.02
	Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	14282.2509	1428225.09
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-9716.203128	-971620.31
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	4566.05	456604.78
	Capital and total exposures		
20	**Tier 1 capital**	7242.5175	724251.75
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	113465.8986	11346589.86
	Leverage ratio		
22	**Basel III leverage ratio**	6.38%	6.38%

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन: 001359N	मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन :000203N	मैसर्स घिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 001088C	मैसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन:009989N

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की एकल वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित एकल वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियों जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में वर्ष की समाप्ति पर उस तिथि पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित विवरणियां, 20 शाखाएं तथा 1 ट्रेजरी विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 775 शाखाएं और 25 कार्यालय/प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में भी शामिल है, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो का विवरण बैंक की 736 शाखाओं से रिटर्न है जो ऑडिट के अधीन नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम का 8.84 प्रतिशत, जमा का 24.07 प्रतिशत, ब्याज आय का 6.73 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 22.41 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

2. हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण बैंक के लिए आवश्यक तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

   क. तुलन पत्र व नोट्स एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

   ख. लाभ हानि खाता समाप्त वर्ष के लिए उस तिथि को वास्तविक हानि को दर्शाता है; और

   ग. नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष को सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपना लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खंड में प्रतिपादित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा भारत में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यों का प्रभाव

4. हम आपका ध्यान अनुसूची संख्या 18 (नोट संख्या 16) से संलग्न एकल वित्तीय परिणाम की ओर आकर्षित करते हैं जो कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप के कारण हुई अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव का प्रबंधन के मूल्यांकन की व्याख्या करता है।

   हमारी राय ऊपर दिए गए तथ्यों से प्रभावित नहीं होगी।

M/s Suresh Chandra & Associates Chartered Accountants FRN: 001359N	**M/s Raj Gupta & Co Chartered Accountants FRN:000203N**	**M/s Ghiya & Co Chartered Accountants FRN: 001088C**	**M/s Shiv & Associates Chartered Accountants FRN:009989N**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of **Punjab & Sind Bank**

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Punjab & Sind Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and 1 treasury division audited by us and 775 branches and 25 Offices/ Processing Centers audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 736 branches of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.84 percent of advances, 24.07 percent of deposits, 6.73 percent of interest income and 22.41 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of **loss;** and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. We draw your attention to Schedule No.18 (Note No.16) to the accompanying standalone financial results, which describes the uncertainties due to outbreak of Corona Virus (Covid-19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the bank.

   However, our opinion is not modified in respect of the matter stated above.

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले

5. वर्तमान अवधि के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा में मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई
अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधानन **(वित्तीय विवरण की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)** अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंडों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। वर्गीकरण और प्रावधान बैंक के आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत किया जाता है। पहचान किए गए एनपीए के लिए प्रावधान समय बढ़ने और एनपीए के वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सुरक्षा के मूल्य पर आधारित है और आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान मानदंडों के अधीन है। विवेकपूर्ण मानदंडों/नियामक आवश्यकताओं के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के गलत मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भौतिक रूप से खराब हो सकता है और वित्तीय वक्तव्यों में अग्रिमों की राशि के महत्व के मद्देनजर, अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधान को हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	हमने आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आरबीआई के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक निदेशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण, अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के डिजाईन की जांच करना है ताकि मामले में आरबीआई के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की नमूना जांच सुनिश्चित हो सके। हमने किसी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए बड़े एवं दबावग्रस्त ऋणों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसरण में इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को, यथाआश्यक था, किया गया। हमने क्रेडिट लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, नियामक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की है ताकि किसी भी प्रतिकूल विशेषताओं/टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाया जा सके और बैंक की प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। हमने आरबीआई मास्टर परिपत्र/ दिशानिर्देश/ न्यायिक कथनों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की पुनर्समीक्षा की है। लेखापरीक्षा के दौरान जहां कहीं आवश्यक था, आवश्यक परिवर्तन किए गए और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया।

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances **(Refer Schedule 9 to the financial statements)** The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) which are governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The classification and provisioning are carried out by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The provisioning for identified NPAs is based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and is subject to the provisioning norms specified by RBI. In the event of any improper application of the prudential norms/regulatory requirements or consideration of the incorrect value of the security, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and it's provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non-Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking identification and valuation of Non-performing assets. We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches audited by us. In respect of the branches, audited by the other branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary. We have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments and reviewed the reports generated from the bank's system. We reviewed advances including stressed advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines/ Judicial pronouncements. Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2021.

निवेश अभिज्ञान का वर्गीकरण और मूल्यांकन तथा अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधानन **(वित्तीय विवरण की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)** बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। मूल्यांकन में शामिल निर्णय, लेनदेन की मात्रा, हाथ में निवेश, नियामक आवश्यकताओं और वित्तीय विवरण में निवेश की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे चालू वर्ष के लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।	आरबीआई परिपत्रों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधानन/मूल्यह्रास के संबंध में विशेष्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमने आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा उसे समझा है। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया तथा अप्राप्त आय का तदनुरूप व्युत्क्रम और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है। हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित करने और मूल्यह्रास के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूने के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार अनुरक्षण के प्रावधान की पुनर्गणना की; ऑडिट के दौरान जहाँ भी आवश्यक थे परिवर्तन किए गए और उसके प्रभाव को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन बैंक का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अंतर-निर्भर आईटी सिस्टम शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के संचालन में किया जाता है। परिणामस्वरूप, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर उच्च स्तर की निर्भरता है। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ऐसी आईटी प्रणालियां विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह सटीक और आवश्यक डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं। आईटी लेनदेन की रिकार्डिंग पर नियंत्रण रखता है, आरबीआई के दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी रिपोर्टिंग बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्य पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सत्यापन में विफलताओं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण से प्रबंधन और नियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। बैंक अपने सभी अग्रिमों से संबंधित लेनदेन के लिए खाते सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) में रखता है अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) जो यह पहचानता है कि अग्रिम सही हैं या गैर-निष्पादित हैं और उन पर प्रावधान की गणना करता है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर आईटी सिस्टम और संबंधित नियंत्रण वातावरण के प्रभाव के महत्व के कारण, हमने चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए इस प्रकार के आईटी प्रणाली तथा उससे संबंधित नियंत्रण वातावरण के परीक्षण को महत्वपूर्ण मामले के रूप में चिह्नित किया है।	हमने बैंक द्वारा अपनाई गई सीबीएस प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा। हमने विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के भीतर प्रमुख स्वचालित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का आकलन किया। इसमें सिस्टम इंटरफेस की पूर्णता का परीक्षण, डेटा की पूर्णता और सटीकता, प्रणाली समायोजन नियंत्रण और स्वचालित गणना शामिल है। हमने प्रणाली में डाटा की प्रविष्टि का आंकलन किया और बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने का अध्ययन किया। नमूने के आधार पर सिस्टम द्वारा दी गई आउटपुट और तैयार किए गए रिपोर्ट की समीक्षा की। जहां कमियों की पहचान की गई थी, हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या वैकल्पिक प्रक्रियाओं का परीक्षण किया। प्रणाली से इनपुट/आउटपुट डेटा की कमियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी प्रभावकारिता हेतु सिस्टम को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

Classification and valuation of Investments identification and provisioning for Non-Performing Investments. **(Refer Schedule 8 to the financial statements)** Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade. Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. Considering judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand, regulatory requirements and significance of the amount of investments in the Financial statement, we have identified this as a key audit matter for the current year audit.	Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines. We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of unrealized income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2021.
Assessment of Information Technology (IT) The IT environment of the bank is complex and involves a large number of independent and inter-dependent IT systems used in the operations of the Bank for processing and recording a large volume of transactions at various locations. As a result, there is high degree of reliance and dependency on such IT systems for the financial reporting process of the bank. Appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data as required, completely accurately and consistently for reliable financial reporting. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines/directions is dependent on working of Core Banking System in the Bank. Therefore, any validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which identifies whether the advances are performing or non-performing and calculation of provisions thereon. Due to the importance of the impact of the IT systems and related control environment on the Bank's financial reporting process, we have identified testing of such IT systems and related control environment as a key matter for the current year audit.	We evaluated and understood the CBS system adopted by the Bank. We assessed the operative effectiveness of key automated controls within various business processes. This includes testing the integrity of system interfaces, the completeness and accuracy of data, system reconciliation controls and automated calculations. We assessed the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the bank. Reviewed the output and reports generated by the system on sample basis. Where deficiencies were identified, we tested compensating controls or performed alternate procedures. The system needs to be further strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.

आकस्मिक देयताएं तथा दावे आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होन पर आकस्मिकता होती है। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित हैं। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून के संदर्भ में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	हमने बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थायित्व, हाल के आदेशों की जांच और/या विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक न्यायाधिकरण से प्राप्त संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा उपलब्ध अभिलेखों और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के परिणामिक दायित्व में बदलने की संभाव्यता की समीक्षा के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।
जारी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संशोधित लेखा परीक्षा कार्यवाही कोविड-19 महामारी जारी होने के कारण, कुछ राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन और हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकारों/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को जहां कहीं भी भौतिक रूप से पहुंच नहीं हो सकती, वहां दूरस्थ लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। बैंक के कतिपय शाखाओं/ अंचल कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के परिसर में जाकर लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका। जैसा कि हम शाखा/ आंचलिक/ प्रधान कार्यालय में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से/ शारीरिक और व्यक्तिगत बातचीत में लेखापरीक्षा साक्ष्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से एकत्रित नहीं कर सके, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	जहां तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां डिजिटल माध्यम, ईमेल और सीबीएस में दूरस्थ पहुंच के माध्यम से हमें बैंक द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी जिस पर लेखापरीक्षा संपन्न करवाने और वर्तमान अवधि हेतु रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया है: बैंक की कुछ शाखाओं/ आंचलिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों के संबंध में दूरस्थ एक्सेस/इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक अभिलेखों, दस्तावेजों का सत्यापन किया गया जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी। हमें बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर दूरस्थ एक्सेस के माध्यम से सीबीएस तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल/कॉन्फ्रेंस कॉल पर संवाद व विचार-विमर्श, इलेक्ट्रॉनिक संचार और इसी तरह के संचार चैनलों के माध्यम से पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्रित करना। संबंधित/नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने के स्थान पर दूरभाष/ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से लेखापरीक्षा पर्यावलोकन पर चर्चा और समाधान।

Contingent Liabilities and Claims Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law this has been determined as a key Audit Matter	We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.
Modified Audit Procedures carried out in the light of continuing COVID-19 pandemic Due to the continuing COVID-19 pandemic, lockdown declared by some of the State Governments and travel restrictions imposed by State Governments / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ ZOs/various departments at Head Office of the Bank. As we could not gather audit evidence in person/ Physically and personal interaction with the officials at the Branch/ Zonal/ Head Office, either fully or partially, we have identified such modified audit procedures as Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out remotely.	Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, electronic communications and remote access to CBS. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: Conducted verification of necessary records, Documents electronically through remote access/ electronic communications in respect of some of the Branches/ ZO and Head Office Departments of the Bank wherever physical access was not possible. Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates and the related records made available to us through electronic communications and CBS through remote access over secure network of the bank. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, electronic communications and similar communication channels. Discussions and resolution of audit observations telephonically/ through electronic communications instead of face-to-face interaction with the concerned/designated officials.

6. **वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी**

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की है, तथा उसमें निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नकों, यदि हो, सहित, जिसे उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है, समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारी तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 शामिल नहीं है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारियों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा के दौरान में आए हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पूर्व हमें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत गलती है, तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशक रिपोर्ट को उसके अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले में प्रशासन प्रभारी से संपर्क करने की अपेक्षा है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित हैं और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसार उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समग्र रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आंकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में षड़यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

6. Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexure, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके, लेकिन यह बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धतियों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण को समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बीच, शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा पहचाने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को इंगित करते हैं।

हम अन्य विषयों में लेखापरीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी को विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण को लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 775 शाखाओं तथा 25 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों के वित्तीय विवरणी/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी, दिनांक 31.03.2021 को ₹ 26,024.76 करोड़ के कुल आस्ति तथा उस तिथि को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणी में माना गया है, समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,347.95 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, सांविधित शाखा लेखापरीक्षकों द्वारी की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे अभिमत में जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारे अभिमत को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार के किए गए हैं।

11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 9 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने अपने लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;

ख) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं ; और

ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाया गया है।

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements / information of 775 branches and 25 offices / Processing Centers included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total asset of Rs. 26,024.76 Crore as at 31st March 2021 and total revenue of Rs. 1,347.95 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches has been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. आरबीआई के पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.नं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17.03.2020 (यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। 31 मार्च 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट एक असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।

ख) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बैंक पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अनर्हता बैंक में लागू नहीं होती है।

ग) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरित प्रभाव डालते हो।

घ) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

ख) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।

ग) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धार 29 के अंतर्गत बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है ; और

घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते का विवरण और नगदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

कृते मेसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001359N
यूडीआईएन : 21090205AAAAAS8391

सीए मधुर गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 090205
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000203N
यूडीआईएन : 21530433AAAADD8743

सीए अभिषेक गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 530433
स्थान : लुधियाना

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001088C
यूडीआईएन : 21075000AAAAAL8150

सीए जी. पी गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 075000
स्थान : जयपुर

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N
यूडीआईएन : 21085084AAAACH8542

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
पार्टनर
एम. नं. 085084
स्थान : नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 2021

12. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we report that:

(a) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2021.

(b) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

(c) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

(d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

13. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/S Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001359N
UDIN:21090205AAAAAS8391

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205
Place: New Delhi

For M/s Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000203N
UDIN: 21530433AAAADD8743

CA Abhishek Gupta
Partner
M. No. 530433
Place: Ludhiana

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C
UDIN:21075000AAAAAL8150

CA G.P Gupta
Partner
M.No. 075000
Place: Jaipur

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N
UDIN: 21085084AAAACH8542

CA Shiv Prakash Chaturvedi
Partner
M. No. 085084
Place: New Delhi

Dated: 22 May, 2021
Place: New Delhi

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "ए"

[समतिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 12 (ए) में संदर्भित]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र डीओएस.एआरजी.नं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17.03.2020 (यथा संशोधित) (आरबीआई सूचना) द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने, उस तिथि जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है, को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में दिनांक 31.03.2021 तक के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बैंक) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने तथा अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का अनुपालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने व पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे जैसा कि बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसरण में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। उन मानकों तथा मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व अनुरक्षित किया गया था और इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक मामले में प्रभावी ढंग से परिचालित होते थे।

हमारे संपरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उसकी प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि महत्वपूर्ण अशक्ति विद्यमान है, आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का आंकलन शामिल है ।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए रूपित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेख के रखरखाव से शामिल हैं जो उचित विवरण सहित बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा प्रवृत्ति को सटीक व निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को अनिवार्य रूप से दर्ज किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या प्रकृति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में तार्किक आश्वासन देते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

ANNEXURE"A"TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab & Sind Bank ("the Bank") as of March 31,2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act,1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमन

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों का प्रत्यादिष्ट, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के परिमाण के कारण अपकर्षित हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के अनुच्छेद में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मापदंडों पर आधारित हैं।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 38 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के अभिकलन का परीक्षण उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की तदनुरुपी रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारे अभिमत में कोई संशोधन नहीं है।

कृते मेसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001359N
यूडीआईएन : 21090205AAAAAS8391

सीए मधुर गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 090205
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000203N
यूडीआईएन : 21530433AAAADD8743

सीए अभिषेक गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 530433
स्थान : लुधियाना

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001088C
यूडीआईएन : 21075000AAAAAL8150

सीए जी. पी गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 075000
स्थान : जयपुर

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N
यूडीआईएन : 21085084AAAACH8542

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
पार्टनर
एम. नं. 085084
स्थान : नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 2021

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March31,2021,based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 38 branches, testing the design of operating effectiveness of internal financial controls is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/S Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001359N
UDIN:21090205AAAAAS8391

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205
Place: New Delhi

For M/s Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000203N
UDIN: 21530433AAAADD8743

CA Abhishek Gupta
Partner
M. No. 530433
Place: Ludhiana

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C
UDIN:21075000AAAAAL8150

CA G.P Gupta
Partner
M.No. 075000
Place: Jaipur

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N
UDIN: 21085084AAAACH8542

CA Shiv Prakash Chaturvedi
Partner
M. No. 085084
Place: New Delhi

Dated: 22 May, 2021
Place: New Delhi

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		रु.	रु.
पूँजी तथा देयताएं	**अनुसूची**	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
पूँजी	1	40526680	7010531
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	43103461	48953443
जमाराशियाँ	3	961081796	896675534
उधार	4	26435500	32130500
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	33671416	20268062
जोड़		**1104818853**	**1005038070**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	72085155	94884015
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	11309329	898529
निवेश	8	320227734	245520958
अग्रिम	9	609417022	584119082
अचल आस्तियाँ	10	15849119	12408273
अन्य आस्तियाँ	11	75930494	67207213
जोड़		**1104818853**	**1005038070**
आकस्मिक देयताएं	12	62998743	53899320
वसूली के लिए बिल		8454006	8990861
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2021

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES SCHEDULE AS ON	**SCHEDULE**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
Capital	1	40526680	7010531
Reserves & Surplus	2	43103461	48953443
Deposits	3	961081796	896675534
Borrowings	4	26435500	32130500
Other liabilities & Provisions	5	33671416	20268062
TOTAL		**1104818853**	**1005038070**
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	72085155	94884015
Balances with banks & money at call and short notice	7	11309329	898529
Investments	8	320227734	245520958
Advances	9	609417022	584119082
Fixed Assets	10	15849119	12408273
Other Assets	11	75930494	67207213
TOTAL		**1104818853**	**1005038070**
Contingent Liabilities	12	62998743	53899320
Bills for Collection		8454006	8990861
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

			रु.	रु.
		अनुसूची	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	69739143	79295261
	अन्य आय	14	9028019	8973975
	जोड़		**78767162**	**88269236**
II.	**व्यय**			
	ब्याज पर किया गया व्यय	15	47119993	58719813
	परिचालन व्यय	16	23934965	18580275
	प्रावधान और आकस्मिक		35041208	20877131
	जोड़		**106096166**	**98177219**
III.	**लाभ/हानि**			
	अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (-)		-27329004	-9907983
	अग्रानीत लाभ/हानि (-)		-7492325	3231063
	सामान्य रिज़र्व से आहरण		0	0
	जोड़		**-34821329**	**-6676920**
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		-35.71	-15.76
IV.	**विनियोजन**			
	अंतरण: सांविधिक आरक्षित निधियाँ		0	0
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		1033277	601708
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		-87260	87260
	आरक्षित निवेश		8121	126437
	आस्थगित कर देयताएं		0	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
	प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी)		0	0
	लाभांश वितरण कर		0	0
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		-35775467	-7492325
	जोड़		**-34821329**	**-6676920**
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.21 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.20 [Audited]
I.	**INCOME**			
	Interest earned	13	69739143	79295261
	Other income	14	9028019	8973975
	TOTAL		**78767162**	**88269236**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest expended	15	47119993	58719813
	Operating expenses	16	23934965	18580275
	Provisions and contingencies		35041208	20877131
	TOTAL		**106096166**	**98177219**
III.	**PROFIT/LOSS**			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		-27329004	-9907983
	Profit/ Loss(-) brought forward		-7492325	3231063
	Withdrawal from General Reserve		0	0
	TOTAL		**-34821329**	**-6676920**
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		-35.71	-15.76
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to: Statutory Reserve		0	0
	Capital Reserve [Investment]		1033277	601708
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-87260	87260
	Investment Reserve		8121	126437
	Deferred Tax Liability		0	0
	Corporate Social Responsibility Fund		0	0
	Proposed Dividend (Equity)		0	0
	Dividend Distribution Tax		0	0
	Balance carried over to Balance Sheet		-35775467	-7492325
	TOTAL		**-34821329**	**-6676920**
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

वी. के. महरोत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कोल्लेगाल वी राघवेंद्र
कार्यकारी निदेशक

एस. कृष्णन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर कार्यकारी अध्यक्ष

कृते मेसर्स सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001359N
यूडीआईएन:21090205AAAAAS8391

कृते मेसर्स राज गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000203N
यूडीआईएन: 21530433AAAADD8743

सीए मधुर गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 090205
स्थान: नई दिल्ली

सीए अभिषेक गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 530433
स्थान: लुधियाना

कृते मेसर्स घिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001088C
यूडीआईएन: 21075000AAAAAL8150

कृते मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009989N
यूडीआईएन: 21085084AAAACH8542

सीए जी.पी गुप्ता
साझेदार
एम.सं.. 075000
स्थान : जयपुर

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
साझेदार
एम.सं.. 085084
स्थान: नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 20211

V.K. MEHROTRA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

KOLLEGAL V RAGHAVENDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

S. KRISHNAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

For M/S Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001359N
UDIN:21090205AAAAAS8391

For M/s Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000203N
UDIN: 21530433AAAADD8743

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205
Place: New Delhi

CA Abhishek Gupta
Partner
M. No. 530433
Place: Ludhiana

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C
UDIN:21075000AAAAAL8150

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N
UDIN: 21085084AAAACH8542

CA G.P Gupta
Partner
M.No. 075000
Place: Jaipur

CA Shiv Prakash Chaturvedi
Partner
M. No. 085084
Place: New Delhi

Place: New Delhi
Dated: May 22, 2021

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 1 - पूँजी	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	प्राधिकृत पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी	100000000	30000000
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
		100000000	30000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	प्रत्येक रु. 10/- के 405,26,67,964 इक्विटी शेयर पूंजी (पिछले वर्ष 70,10,53,096) [जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रू. 10/. के 393,39,32,610 शेयर (पिछले वर्ष 58,23,17,742) सम्मिलित हैं]	40526680	7010531
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
	कुल [I+II]	40526680	7010531

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
I	**सांविधिक आरक्षित निधि**		
	अथशेष	10936906	10936906
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप-योग- I	**10936906**	**10936906**
II.	**पूँजी आरक्षित निधि**		
	क) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	**9241274**	9298144
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56871	-56870
	उप-योग II क	**9184403**	**9241274**
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	5756077	5154369
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1033277	601708
	उप-योग II ख	**6789354**	**5756077**
III.	**शेयर प्रीमियम**		
	अथ शेष	26872069	19375543
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	21483850	7508592
	जमा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	-4828	-12066
	उप-योग - III	**48351091**	**26872069**
IV.	**राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089003	1089003
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	उप-योग- IV. क	**1089003**	**1089003**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital	100000000	30000000
II.	(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
		100000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 405,26,67,964 (Previous Year 70,10,53,096) shares of Rs.10/- each [including 393,39,32,610 (Previous Year 58,23,17,742) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	40526680	7010531
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	40526680	7010531

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
I.	**Statutory Reserves**		
	Opening Balance	10936906	10936906
	Addition during the year	0	0
	Sub Total I	**10936906**	**10936906**
II.	**Capital Reserves:**		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	**9241274**	9298144
	Add: Addition during the year	0	0
	Less:Deduction during the year	-56871	-56870
	Sub Total II.a	**9184403**	**9241274**
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	5756077	5154369
	Add: Addition during the year	1033277	601708
	Sub-Total II.b	**6789354**	**5756077**
III.	**Share Premium:**		
	Opening Balance	26872069	19375543
	Add: Addition during the year	21483850	7508592
	Less: Share Issue Expenses	-4828	-12066
	Sub-Total III	**48351091**	**26872069**
IV.	**Revenue & Other Reserves**		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	**1089003**	**1089003**

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	219440	162570
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	56871	56870
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	उप-योग IV ख	**276311**	**219440**
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत:		
	अथशेष	2005902	1918642
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-87260	87260
	उप-योग IV ग	**1918642**	**2005902**
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	325097	198660
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	8121	126437
	उप-योग IV घ	**333218**	**325097**
V.	**लाभ-हानि खाते में शेष**	-35775467	-7492325
	कुल योग (I-V)	**43103461**	**48953443**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 3 - जमा राशियाँ	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क.	**I मांग जमा**		
	i) बैंकों से	451001	471789
	ii) अन्य से	40783129	31655987
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ	274069790	233045225
	III. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	5619536	12385620
	ii) अन्य से	640158340	619116913
	जोड़ (I+II+III)	**961081796**	**896675534**
ख)	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	**961081796**	**896675534**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 4 - उधार	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	4410000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	1062500	347500
	iv) अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड	10000000	10000000
	v) गौण ऋण	15373000	17373000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (1+2)	**26435500**	**32130500**
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	1062500	4757500

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	219440	162570
	Add: Addition during the year	56871	56870
	Less:Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	**276311**	**219440**
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	2005902	1918642
	Add: Addition during the year	-87260	87260
	Sub-Total IV.c	**1918642**	**2005902**
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	325097	198660
	Add: Addition during the year	8121	126437
	Sub-Total IV.d	**333218**	**325097**
V.	**Balance in Profit & Loss Account**	-35775467	-7492325
	Total [I to V]	**43103461**	**48953443**

(000'S OMITTED)

		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
A	**I. Demand Deposits**		
	i. From Banks	451001	471789
	ii. From others	40783129	31655987
	II. Savings Bank Deposits	274069790	233045225
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	5619536	12385620
	ii. From others	640158340	619116913
	TOTAL [I+II+III]	**961081796**	**896675534**
B	**Deposits of branches in India**	**961081796**	**896675534**

(000'S OMITTED)

		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	0	4410000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	1062500	347500
	iv) Additional Tier - I Bonds	10000000	10000000
	v) Subordinated Debt	15373000	17373000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	**26435500**	**32130500**
	Secured borrowings Included in I & II above	1062500	4757500

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. देय बिल	2179547	1814011
	II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1146400	342400
	III. प्रोदभूत ब्याज	7362198	8756406
	IV. आस्थगित कर देयता	0	0
	VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	22983271	9355245
	जोड़	**33671416**	**20268062**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. हाथ में नकदी(इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2475204	3042599
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
	i) चालू खातों में	33609951	91841416
	ii) अन्य खातों में	36000000	0
	जोड़ (I तथा II)	**72085155**	**94884015**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में		
	i) बैकों में शेष		
	क) चालू खातों में	249263	371423
	ख) अन्य जमा खातों में	2000000	0
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क) बैंकों से	8000000	0
	ख) अन्य संस्थाओं से	0	0
	उप योग- (1)	**10249263**	**371423**
	2.) भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	1060066	527106
	ii) अन्य जमा खातों में	0	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
	उप-योग (2)	**1060066**	**527106**
	जोड़ (1+2)	**11309329**	**898529**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Bills Payable	2179547	1814011
	II. Inter-office adjustments [net]	1146400	342400
	III. Interest accrued	7362198	8756406
	IV. Deferred Tax Liability	0	0
	V. Others (including provisions)	22983271	9355245
	TOTAL	**33671416**	**20268062**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2475204	3042599
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	33609951	91841416
	ii) in Other Account	36000000	0
	TOTAL [I & II]	**72085155**	**94884015**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. In India		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	249263	371423
	b) in other Deposit Accounts	2000000	0
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	8000000	0
	b) with other institutions	0	0
	SUB-TOTAL [I]	**10249263**	**371423**
	II. Outside India		
	i) In Current Accounts	1060066	527106
	ii) In Other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	**1060066**	**527106**
	TOTAL [I & II]	**11309329**	**898529**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 8 - निवेश	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ **	193245712	190597471
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	14928	69969
	iii) शेयर	1217073	1301206
	iv) डिबैंचर तथा बांड्स	105623670	53135155
	v) सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	0	0
	vi) अन्य		
	क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	20003210	376223
	ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	123141	40934
	उप-योग (I)	**320227734**	**245520958**
	II. भारत से बाहर निवेश	NIL	NIL
	कुल योग (I+II)	**320227734**	**245520958**
	कुल मूल्य	325184098	249463766
	मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	4956364	3942808
	निवल निवेश	**320227734**	**245520958**

** इनमें रु. 232.90 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य 239.10 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 663.28 करोड़ (अंकित मूल्य 658.43 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 9 - अग्रिम	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क)	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4307067	3545869
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	237045110	251691819
	iii) मीयादी ऋण	368064845	328881394
	जोड़	**609417022**	**584119082**
ख)	**i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** (बही ऋण के एवज़ सहित अग्रिम)	484649643	455846086
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	109463415	111430163
	iii) प्रतिभूति रहित	15303964	16842833
	जोड़	**609417022**	**584119082**
ग)	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	251089558	239641997
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	146273291	146305934
	iii) बैंक	0	0
	iv) अन्य	212054173	198171151
	जोड़	**609417022**	**584119082**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities **	193245712	190597471
	ii) Other approved securities	14928	69969
	iii) Shares	1217073	1301206
	iv) Debentures & Bonds	105623670	53135155
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	0	0
	vi) Others:		
	a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	20003210	376223
	b) Units of UTI, other MF	123141	40934
	SUB-TOTAL [I]	**320227734**	**245520958**
	II. Investments outside India	NIL	NIL
	TOTAL [I + II]	**320227734**	**245520958**
	Gross Value	325184098	249463766
	Provision for Depreciation [-]	4956364	3942808
	Net Investments	**320227734**	**245520958**
** Includes encumbered securities of Rs.232.90 crore [Face Value Rs.239.10 crore] previous year Rs.663.28 crore [Face Value Rs.658.43 crore]			

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
A	i) Bills purchased & discounted	4307067	3545869
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	237045110	251691819
	iii) Term Loans	368064845	328881394
	Total	**609417022**	**584119082**
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	484649643	455846086
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	109463415	111430163
	iii) Unsecured	15303964	16842833
	Total	**609417022**	**584119082**
C	**ADVANCES IN INDIA**		
	i) Priority Sector	251089558	239641997
	ii) Public Sector	146273291	146305934
	iii) Banks	0	0
	iv) Others	212054173	198171151
	Total	**609417022**	**584119082**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियाँ	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) परिसर		
	मूल्य (अथ शेष)	1529157	1490259
	पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	9355015	9355015
	उप- योग	**10884172**	**10845274**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत	*2656283	39627
	पुनर्मूल्यन लागत पर	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	वास्तविक लागत पर	-70	-728
	पुनर्मूल्यन लागत पर	0	0
	घटाएं- अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
	वास्तविक लागत पर	-227054	-181099
	पुनर्मूल्यन लागत पर	-170611	-113741
	जोड़ 1	**13142720**	**10589333**
	2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुडनार सम्मिलित हैं)		
	मूल्य (अथ शेष)	5743434	5193901
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1807995	622531
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-101343	-72999
	अद्यतन मूल्यह्रास	-4743687	-3924493
	जोड़ 2	**2706399**	**1818940**
	कुल जोड़ (1+2)	**15849119**	**12408273**

* आवासीय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्माण हेतु पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के भवन की खरीद पर रुपये 262.88 करोड़ की राशि शामिल है जहाँ पट्टाकर्ता द्वारा पजेशन दे दिया गया है किंतु पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना है।

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
	II. प्रोदभूत ब्याज	5480131	6272917
	III. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	3918463	1682683
	IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	56927	40030
	V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
	VI. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	23159777	17502682
	VII. अन्य $$	43315196	41708901
	जोड़	**75930494**	**67207213**

$$ आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि रु. 3318.05 करोड. (पिछले वर्ष यह रु. 2977.53 करोड़ थी) सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Premises		
	Cost [Opening Balance]	1529157	1490259
	Appreciation in cost on account of revaluation	9355015	9355015
	Sub-Total	**10884172**	**10845274**
	Additions during the year		
	Original Cost	*2656283	39627
	Revaluation Cost	0	0
	Deductions during the year on		
	Original Cost	-70	-728
	Revaluation Cost	0	0
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-227054	-181099
	Revaluation cost	-170611	-113741
	Total-I	**13142720**	**10589333**
	II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	5743434	5193901
	Additions during the year	1807995	622531
	Deductions during the year	-101343	-72999
	Depreciation to date	-4743687	-3924493
	Total II	**2706399**	**1818940**
	TOTAL I & II	**15849119**	**12408273**

* Includes an amount of Rs. 262.88 crores on acount of purchase of lease hold building at East Kidwai Nagar, New Delhi for 30 years term for residential and creation of corporate office where possession has been given by the lessor, but lease deed yet to be executed

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Inter-office adjustments [net]	0	0
	II. Interest accrued	5480131	6272917
	III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3918463	1682683
	IV. Stationery & Stamps	56927	40030
	V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
	VI. Deferred Tax asset (Net)	23159777	17502682
	VII. Others $$	43315196	41708901
	TOTAL	**75930494**	**67207213**

$$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.3318.05 crore [Previous Year Rs. 2977.53 crore]

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	71685	74825
	II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	746957	840898
	III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	25747667	19426190
	IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
	क) भारत में	25982873	26310147
	ख) भारत के बाहर	0	0
	V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1328705	1292420
	VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9120856	5954840
	जोड़	**62998743**	**53899320**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	48654523	57738308
	II. निवेशों पर आय	18736718	19904903
	III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1140592	374777
	IV अन्य	1207310	1277273
	जोड़	**69739143**	**79295261**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 14 - अन्य आय	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I कमीशन, विनिमय और दलाली	924742	886823
	II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	4151028	4048278
	III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	-95	9639
	IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	274710	230557
	V. विविध आय	3677634	3798678
	जोड़	**9028019**	**8973975**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	**AS ON 31.03.21 [Audited]**	**AS ON 31.03.20 [Audited]**
	I. Claims against the bank not acknowledged as debts	71685	74825
	II. Liability for partly paid investments	746957	840898
	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	25747667	19426190
	IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) In India	25982873	26310147
	b) Outside India	0	0
	V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1328705	1292420
	VI. Other items for which the bank is contingently liable	9120856	5954840
	TOTAL	**62998743**	**53899320**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	**Year Ended 31.03.21 [Audited]**	**Year Ended 31.03.20 [Audited]**
	I. Interest/discount on advances/ bills	48654523	57738308
	II. Income on investments	18736718	19904903
	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1140592	374777
	IV. Others	1207310	1277273
	TOTAL	**69739143**	**79295261**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	**Year Ended 31.03.21 [Audited]**	**Year Ended 31.03.20 [Audited]**
	I. Commission, exchange and brokerage	924742	886823
	II. Profit on sale of Investments [net]	4151028	4048278
	III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	-95	9639
	IV. Profit on exchange transactions [net]	274710	230557
	V. Miscellaneous Income	3677634	3798678
	TOTAL	**9028019**	**8973975**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 15 - अपचित ब्याज	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I जमाराशियों पर ब्याज	44526485	56107308
	II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	118849	201364
	III अन्य	2474659	2411141
	जोड़	**47119993**	**58719813**

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	16880659	12110889
	II किराया, कर और रोशनी	1396901	1376175
	III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	68294	86403
	IV विज्ञापन और प्रचार	27179	56266
	V बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास	1021333	539094
	घटा: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	0	0
		1021333	**539094**
	VI निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	5372	9818
	VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	113800	112479
	VIII विधि प्रभार	137832	118774
	IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	77017	92360
	X मरम्मत और अनुरक्षण	203085	219896
	XI बीमा	1087933	895463
	XII अन्य व्यय	2915560	2962658
	जोड़	**23934965**	**18580275**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	**Year Ended 31.03.21 [Audited]**	**Year Ended 31.03.20 [Audited]**
	I. Interest on deposits	44526485	56107308
	II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	118849	201364
	III. Others	2474659	2411141
	TOTAL	**47119993**	**58719813**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	**Year Ended 31.03.21 [Audited]**	**Year Ended 31.03.20 [Audited]**
	I. Payments to and provisions for employees	16880659	12110889
	II. Rent, taxes and lighting	1396901	1376175
	III. Printing and stationery	68294	86403
	IV. Advertisement & publicity	27179	56266
	V. Depreciation on Bank's property	1021333	539094
	Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	0
		1021333	**539094**
	VI. Directors' fees, allowances and expenses	5372	9818
	VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	113800	112479
	VIII. Law Charges	137832	118774
	IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	77017	92360
	X. Repairs & maintenance	203085	219896
	XI. Insurance	1087933	895463
	XII. Other expenditure	2915560	2962658
	TOTAL	**23934965**	**18580275**

अनुसूची - 17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी हेतु प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि, सूचित आय और व्यय के अनुसार रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों में आंकलन करने और विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय वक्तव्यों बनाने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैड़ाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा-निर्देशों व एएस 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित आय और व्यय की वस्तुएं लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फैडाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा ''व्यापार हेतु रखना'' जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

I. सरकारी प्रतिभूतियां
II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
III. शेयर (अंश)
IV. ऋण-पत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
V. सहायक इकाईयां/संयुक्त उपक्रम तथा
VI. अन्य

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally Accepted Accounting Principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

i. Government Securities

ii. Other approved securities

iii. Shares

iv. Debentures

v. Subsidiaries / Joint Ventures and

vi. Others

3.3 वर्गीकरण का आधार

I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुन: विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

IV. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यत: बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास,यदि कोई हो, पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

3.4 प्रतिभूतियां, जिन्हें ''परिपक्वता तक रखना है'' को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि गत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वत: परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में ''निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है, (एक नेटिंग आइटम के रूप में)। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक इकाईयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थाई तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।

3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणीवार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है।

3.6 ''व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों'' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 **लेखा पद्धति - लेखा निपटान तिथि**

लेखा निपटान तिथि का अभिप्राय (क) संस्था द्वारा प्राप्त की गई आस्ति जिस दिन इसकी पहचान हुई, और (ख) संस्था द्वारा इसके निस्तारण किए जाने वाले दिन पर होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का, एस.एल.आर. और गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार आधारित है।

3.9 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष ''बाजार दर'' निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां: और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/पीडीएआई/एफबीआईएल द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स पर लाभ:	फिम्डा/पीडीएआई/एफबीआईएल द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा/ एफबीआईएल एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर:	निर्दिष्ट भाव वाले शेयर के लिए बाजार मूल्य एनएसई तथा बीएसई से लिया गया है । नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य (आरक्षित पुनर्मूल्यांकन को बिना ध्यान में रखकर) आधार पर जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स : जोखम पूंजी निधि तथा सुरक्षा रसीदें:	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुन: पूंजीगत बॉंड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान	शुद्ध लागत पर।

3.3 **Basis Of Classification**:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II" as a netting item. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 **Method Of Accounting – Settlement Date Accounting**

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI/FBIL with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI/FBIL
c.	Equity Shares:	At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipts:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

a. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।

b. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।

c. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, ''परिपक्वता तक रखना'' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 अनर्जक निवेश:

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.14 यदि किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में एमटीएम खाते पर किसी भी वर्ष में मूल्य- ह्रास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातें में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातें – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर-आरक्षित ऋणों का 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा.निर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.10 In determining acquisition cost of investments:

a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;

b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;

c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 **Non Performing Investments**

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 In the event, depreciation booked on account of MTM in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	**Provision norms**
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है:

i) जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्सरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।

ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाता है।

iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. चल प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों को अलग से करने और उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थिति में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल संपत्तियां

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास:

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है:

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 % परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशेष मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान इसके परिवर्धन की तिथि के बावजूद वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यहास किया जाता है। उपयोगी जीवन तथा मूल्यहास दर नीचे इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यह्रास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर तथा फिक्चर	10	9.50%
3	प्लांट तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.

iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5 **Floating Provisions**

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 Fixed Assets

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 Depreciation on Fixed Assets

7.1 Depreciation is provided for on -

7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 Depreciation on fixed Assets is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8 Revenue Recognition

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 आरबीआई द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मामले हेतु अर्थात दबाव में आस्तियों की धारणीय भुगतान की अनुसूची पुन: बनाने की योजना (एस4ए). नीतिगत ऋण पुन:संरचना, लंबी अवधि की परियोजना ऋणों की लचीली संरचना(5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर), जहाँ उसके बाद खाता अनर्जक हो जाता है तो किसी भी वसूली को पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। उसके बाद वसूली को बकाया मूलधन में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आ रहे सभी खातों में लेखा प्रक्रिया एक समान एक सी बनी रहेगी ।

8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.9 टीयर - II पूँजी में उन्न्यन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 ग्रेच्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।

9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

अचल संपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों पर ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ-हानि खाते के नामे की जाती है।

11. आय पर कर

11.1 चालू आयकर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 ए.एस. 22- आस्थगित कर अनुसार इस अवधि को आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन किया गया है।

8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.

8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 Staff Retirement Benefits

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund, Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 Taxes on Income

11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1 बहियों का शेष मिलान व समायोजन

1.1 कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान /समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

1.2 सीबीएस सिस्टम से पहले, अंतर बैंक खाते (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट व क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान होता है। दिनांक 31.03.2021 तक समायोजन (पुराने बकाया प्रविष्टियों सहित) कर लिया गया है और समायोजन प्रक्रिया में है।

1.3 देय ड्राफ्ट, प्राप्य/देय नामे नोट, आरटीजीएस/एनईएफटी (उंचत) इत्यादि का समायोजन जारी है। आरबीआई नियमानुसार प्रावधान कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक नोस्ट्रो खाता का समायोजन कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ व हानि खाते तथा तुलनपत्र पर उपरोक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव, यदि कोई है, हालांकि मात्रात्मक नहीं है, तो नगण्य होगा।

1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 30.09.2020 तक की अवधि और 31.03.2021 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

1.5 विविध लेनदार अदावी (निरुद्ध) खाते, निरुद्ध नोस्ट्रो विविध खाता तथा निरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए निरुद्ध खाता) में दर्शित नोस्ट्रो खातों में 31.12.2010 तक बकाया जमा-प्रविष्टियाँ राशि रु. 0.08 करोड़ को दिसंबर 2020 तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है। 01.01.2011 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए अवरुद्ध खाता) में बकाया जमा-प्रविष्टि रुपये 0.04 करोड़ की राशि को मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 वर्षों से अधिक से संबंधित असमायोजित प्रविष्टियों को बैंक तिमाही आधार पर डीईएएफ खाते में अंतरित कर रहा है।

31.03.2021 को, दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2018 तक की अवधि से संबंधित असमायोजित जमा-प्रविष्टियाँ राशि रु. 0.52 करोड़ हैं तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है और इसलिए इसे निरुद्ध अदावा जमाराशि खाते (नए निरुद्ध खाता) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.1 31.03.2020 को रु. 1.00 करोड़ की मूल लागत वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना शेष है। (विगत वर्ष 2 संपत्ति रु. 1.00 करोड़ की लागत से)

3 पूंजी

3.1 भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के लिए रु. 5500 करोड़ का निवेश किया है। तदनुसार, बैंक ने रु. 10/- के 335,16,14,868 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक रु. 16.41 के निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर रु. 6.41 के प्रीमियम सहित) पर पूरी तरह से भुगतान किया गया है।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation

1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.

1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2021 and reconciliation is in progress.

1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2021.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2020 and remained outstanding as on 31.03.2021 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is required to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

1.5 Credit entries outstanding in Nostro Accounts up to 31.12.2010 amounting to Rs 0.08 Crore shown in Sundry Creditors Unclaimed (Blocked) Account, Blocked Nostro Sundry Account and Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) has been transferred to the DEAF account during Dec 2020 Quarter closing. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2011-31.03.2011 amounting to Rs 0.04 Crore has been transferred to DEAF account during quarter ended March 2021. Further the Bank is transferring unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2021, un-reconciled credit entries amounting to Rs 0.52 Crore pertain to the period from 01.04.2011 to 31.03.2018 and are outstanding for more than 3 years and hence are transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked Account).

2. Legal formalities are yet to be completed in respect of 2 Bank's properties having original cost of Rs 1.00 crore as on 31.03.2021 (Previous year 2 properties costing Rs.1.00 crore).

3. Capital

3.1 Government of India has infused Rs.5500 Crore towards preferential allotment of Equity shares. Accordingly, the bank has allotted 335,16,14,868 equity shares of Rs.10/- each fully paid up at an issue price of Rs.16.41 (including premium of Rs.6.41 per equity share).

3.2 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर)

(राशि करोड़ में)

मदें		2020-21	2019-20
(i)	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (बासल-III)	12.05%	7.59%
(ii)	अतिरिक्त टीयर I पूंजी अनुपात (एटी- I) (बासल-III)	1.93%	1.99%
(iii)	सीआरएआर- टीयर I पूंजी अनुपात (बासल-III)	13.98%	9.58%
(iv)	सीआरएआर- टीयर II पूंजी अनुपात (बासल-III)	3.08%	3.18%
(v)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (बासल-III)	17.06%	12.76%
(vi)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	97.07%	83.06%
(vii)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रिमियम सहित)	5500.00	887.00
(viii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर- I पूंजी राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस. : आई.पी.डी.आई. :	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
(ix)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर- II पूंजी राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखित अधिमान शेयर पूंजी लिखित [बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर (आर.एन.सी.पी.सी.)/ प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आर.सी.पी.सी.)	शून्य शून्य शून्य	737.30 शून्य शून्य

4. निवेश

4.1 निवेश का मूल्य

(रुपये करोड़ में)

मदे				2020-21	2019-20
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में	32518.41	24946.38
		(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान (एनपीए के लिए प्रावधान सहित)			
		(क)	भारत में	495.64	387.78
		(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	32022.77	24558.60
		(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	**निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (एनपीए के लिए प्रावधान सहित)**				
	(i)	अथ शेष		394.28	288.39
	(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		102.30	174.68
	(iii)	घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे में डालना/प्रतिलेखन		0.94	68.79
	(iv)	अंत शेष		**495.64**	**394.28**

3.2 **Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)**

(Rupees in crore)

	Items	2020-21	2019-20
(i)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	12.05%	7.59%
(ii)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	1.93%	1.99%
(iii)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	13.98%	9.58%
(iv)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	3.08%	3.18%
(v)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	17.06%	12.76%
(vi)	Percentage of the shareholding of the Government of India	97.07%	83.06%
(vii)	Amount of equity capital raised (including share premium)	5500.00	887.00
(viii)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	NIL NIL NIL	NIL NIL NIL
(ix)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL NIL NIL	737.30 NIL NIL

4. **Investments**

4.1 **Value of Investments**

(Rupees in crore)

		Items		2020-21	2019-20
(1)	(i)	Gross Value of Investments			
		(a)	In India	32518.41	24946.38
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)			
		(a)	In India	495.64	387.78
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments			
		(a)	In India	32022.77	24558.60
		(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	**Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)**				
	(i)	Opening balance		394.28	288.39
	(ii)	Add: Provisions made during the year		102.30	174.68
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		0.94	68.79
	(iv)	**Closing balance**		**495.64**	**394.28**

4.2 रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

4.2.1 रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (सरकारी प्रतिभूतियां)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2021 को शेष
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	-	441.00	201.92	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	-	6700.00	2511.31	3600.00

4.2.2 रेपो/ रिवर्स रिपो लेनदेन (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2021 को शेष
रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

4.3 एसजीएल अंतरण फॉर्म के वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए अर्थदंड की प्रमात्रा :

	2020-21	2019-20
i. ऐसे दृष्टांतों की संख्या जब निधि या प्रतिभूतियों के अभाव में एसजीएल फॉर्म वापस हो गया	शून्य	शून्य
ii. एसजीएल अंतरण फॉर्म के वापसी के कारण आरबीआई को भुगतान किया गया अर्थदंड	शून्य	शून्य

4.4 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग : दिनांक 31.03.2021 को जारीकर्ताओं के संघटन :

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	जारी कर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आबंटन	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन	'असूचीबद्ध' प्रतिभूति का आबंटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	8615.90	8331.36	0.00	8353.55	8073.94
ii.	वित्तीय संस्थान	951.73	14.60	0.00	46.66	14.60
iii.	बैंक	1525.02	0.00	0.00	24.90	0.00
iv.	निजी औद्योगिक	2049.79	238.64	549.60	286.53	614.29
v.	अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	अन्य	49.91	49.91	37.29	49.91	49.91
vii.	मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान (एनपीए सहित)	(495.64)	(229.12)	(495.64)	(258.97)	(258.18)
	कुल	**12696.71**	**8405.39**	**91.25**	**8502.58**	**8494.65**

4.5 गैर निष्पादित और गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार चढ़ाव

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**2020-21**	**2019-20**
प्रारंभिक शेष	468.36	382.67
वर्ष के दौरान परिवर्धन	17.05	141.84
वर्ष के दौरान कटौतियां	0.14	56.15
अंतिम शेष	485.28	468.36
धारित कुल प्रावधान	**485.28**	**383.11**

4.2 **Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)**

4.2.1 **Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)**

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2021
Securities sold under Repos	-	441.00	201.92	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	6700.00	2511.31	3600.00

4.2.2 **Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)**

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2021
Securities sold under Repos	-	-	-	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	-	-	-

4.3 **Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :**

	2020-21	**2019-20**
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 **Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2021**

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	8615.90	8331.36	0.00	8353.55	8073.94
ii.	FIs	951.73	14.60	0.00	46.66	14.60
iii.	Banks	1525.02	0.00	0.00	24.90	0.00
iv.	Private Corporate	2049.79	238.64	549.60	286.53	614.29
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Others	49.91	49.91	37.29	49.91	49.91
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	(495.64)	(229.12)	(495.64)	(258.97)	(258.18)
	Total	**12696.71**	**8405.39**	**91.25**	**8502.58**	**8494.65**

4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	**2020-21**	**2019-20**
Opening balance	468.36	382.67
Additions during the year	17.05	141.84
Reductions during the year	0.14	56.15
Closing balance	485.28	468.36
Total Provisions held	**485.28**	**383.11**

4.6 व्युत्पन्न :

व्युत्पन्न के अंतर्गत बैंक केवल व्यापारी वायदा ठेका में सौदा करता है तथा दिनांक 31.03.2021 को बकाया वायदा ठेका का मूल्य ₹ 488.89 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹ 427.40 करोड़)

4.7 वर्ष के दौरान पुनर्संरचित/ पुनर्निर्धारित/पुनःपरक्रमित निवेश :

(रुपये करोड़ में)

मदें	**2020-21**	**2019-20**
पुनर्संरचना इत्यादि के अधीन मानक आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचना इत्यादि के अधीन अवमानक आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचना इत्यादि के अधीन संदिग्ध आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचना इत्यादि के अधीन आस्तियों की कुल राशि	**शून्य**	**शून्य**

4.8 मार्च, 21 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1767.09 करोड़ (अंकित मूल्य) (बी. वी. ₹ 1724.03 करोड़) राशि की शासकीय प्रतिभूतियां "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" से "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणी में स्थानांतरित किया है तथा ₹ 1643.71 करोड़ (अंकित मूल्य) (बी. वी. ₹ 1665.25 करोड़) राशि की शासकीय प्रतिभूतियां "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" से "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में स्थानांतरित किया है। एएफएस से एचटीएम में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर कोई एमटीएम हानि नहीं हुई।

4.9.1 वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/बिक्री का मूल्य (भारत सरकार द्वारा पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी और शासकीय प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के अंतर्गत एकबारगी अंतरण व बिक्री के अतिरिक्त), वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

4.9.2 एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री पर सकल लाभ (कर के निर्धारण बिना) को आरक्षित पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है।

4.9.3 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यह्रास के कारण किए गए प्रावधान किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाए जाते हैं, अधिकता को लाभ-हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है और समकक्ष राशि को निवेश आरक्षित खाते में विनियोजित किया जाता है।

4.10 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. नं. 7/23/2019-बीओए-I दिनांकित 10.11.2020 के माध्यम से सामान्य शेयर पूंजी के अधिमान्य आबंटन के लिए ₹ 5500/- करोड़ का निवेश किया है। आगे, बैंक ने अ-ब्याजी (अनंतरणीय) विशेष जीओआई प्रतिभूति के समतुल्य राशि अभिदत्त की है जो 14.12.2030 से 14.12.2035 तक के सममूल्य और परिपक्वता तिथि पर जारी किया गया था तथा जीओआई अधिसूचना दिनांकित 11.12.2020 के अनुसार एचटीएम श्रेणी में धारित है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1. अनर्जक आस्तियां :

(रुपये करोड़ में)

	मदें		**2020-21**	**2019-20**
(i)	निवल एनपीए को निवल अग्रिम (%)		4.04	**8.03**
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)		**82.89**	**66.74**
(iii)	**सकल एनपीए का उतार-चढ़ाव**			
	(क)	प्रारंभिक शेष	8874.57	8605.87
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1556.71	2908.56
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1097.28	2639.86
	(घ)	**अंतिम शेष**	**9334.00**	**8874.57**
(iv)	**निवल एनपीए में उतार चढ़ाव**			
	(क)	प्रारंभिक शेष	4684.15	4994.23
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1244.79	2136.42
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	3466.99	2446.50
	(घ)	**अंतिम शेष**	**2461.95**	**4684.15**

4.6 **Derivatives**

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract as on 31.03.2021 is Rs 488.89 Crores. (Previous Year Rs.427.40 Crores)

4.7 **Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	**Nil**	**Nil**

4.8 During the year ending March, 21 the Bank has shifted Govt. securities amounting to Rs. 1767.09 crore (Face value) (B.V. Rs.1724.03Cr) from "Held till Maturity (HTM)" to "Available for Sale (AFS)" category and Rs. 1643.71 crore (Face Value) (B.V. Rs. 1665.25 crore) from "Available for Sale (AFS)" to "Held till Maturity (HTM)" category. There was no MTM loss on shifting of securities from AFS to HTM.

4.9.1 The value of shifting/ sales from HTM category(excluding one time transfer and sale under pre-announced OMO auctions and repurchase of Government securities by Government of India) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

4.9.2 Gross profit (without netting of Taxes) on sale of securities under HTM categories are transferred to Capital Reserve Account.

4.9.3 Provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account.

4.10 During the year ended March 31, 2021, Government of India vide Gazette Notification No. F.No. 7/23/2019-BOA-I dated 10.11.2020 has infused Rs.5500 Crore towards Preferential allotment of equity share capital. Further, the bank subscribed an equivalent amount to Non-Interest bearing (Non-Transferable) Special GOI Security which was issued at par and having date of maturity from December 14, 2030 to December 14, 2035 and held under HTM category as per GOI Notification dated 11.12.2020. The aforesaid securities would not be considered as an eligible investment which the bank is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the bank.

5. **Asset Quality**

5.1. **Non-Performing Assets**

(Rupees in crore)

Items			2020-21	2019-20
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)		4.04	**8.03**
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)		**82.89**	**66.74**
(iii)	**Movement of Gross NPAs**			
	(a)	Opening Balance	8874.57	8605.87
	(b)	Additions during the year	1556.71	2908.56
	(c)	Reductions during the year	1097.28	2639.86
	(d)	**Closing balance**	**9334.00**	**8874.57**
(iv)	**Movement of Net NPAs**			
	(a)	Opening Balance	4684.15	4994.23
	(b)	Additions during the year	1244.79	2136.42
	(c)	Reductions during the year	3466.99	2446.50
	(d)	**Closing balance**	**2461.95**	**4684.15**

(v)	**एनपीए के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव** (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अतिरिक्त)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	4138.79	3563.60
	(ख)	जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3101.96	805.68
	(ग)	घटा : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे में डालना/ प्रतिलेखन	424.05	230.49
	(घ)	**अंतिम शेष**	**6816.70**	**4138.79**

5.2 डीआईसीजीसी/सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी के पात्र, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावों को इस आधार पर अग्रिमों में प्रावधानन के लिए प्रतिभूति के रूप में माना गया है कि इस प्रकार के दावे वैध/वसूली योग्य हैं।

5.3 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में अंतर :

2019-20 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में, रिपोर्ट के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों को वर्गीकृत किया गया है और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आरबीआई परिपत्र सं. बीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18.04.2017 और डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 32/21.04.018/ 2018-19 दिनांकित 01.04.2019 तथा सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/80/2017 दिनांकित 18.07.2017 के अनुरूप अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे विस्तृत है :

क्र सं.	**विवरण**	**राशि (रुपये करोड़ में)**
1	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	8874.57
2	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित सकल एनपीए	8874.57
3	सकल एनपीए में विचलान (2-1)	शून्य
4	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	4684.15
5	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया निवल एनपीए	4595.15
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	(89.00)
7	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	4138.80
8	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधान	4227.80
9	प्रावधानन में विचलन (8-7)	89.00
10	मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	(990.80)
11	प्रावधानन में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (कल्पित) शुद्ध लाभ	(1079.80)

*31 मार्च, 2020 उस संदर्भ अवधि की समाप्त है जिसके संबंध में अंतर का मूल्यांकन किया गया।

(v)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)			
	(a)	Opening Balance	4138.79	3563.60
	(b)	Add: provisions made during the year	3101.96	805.68
	(c)	Less: write off, write back of excess provisions	424.05	230.49
	(d)	**Closing balance**	**6816.70**	**4138.79**

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 **Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs**

In compliance with the Risk Assessment Report (RAR) for the year ended 2019-20, non-performing assets as per report have duly been classified and additional provision has been made. In conformity with RBI Circular No. BR.BP. BC.NO.63/21.04.018/2016-17 dated 18th April 2017 & DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/80/2017 dated July 18, 2017, the required disclosure is detailed below-

S. No	Particulars	Amount (Rs. in crores)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2020* as reported by the bank	8874.57
2.	Gross NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	8874.57
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	Nil
4.	Net NPAs as on March 31, 2020 as reported by the bank	4684.15
5.	Net NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	4595.15
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	(89.00)
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as reported by the bank	4138.80
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	4227.80
9.	Divergence in provisioning (8-7)	89.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020	(990.80)
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020 after taking into account the divergence in provisioning	(1079.80)

* March 31, 2020 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed.

5.4 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31.03.2021 को पुनः संरचित खातों के प्रकटीकरण का विवरण

(राशि करोड़ों में)

क्र सं.	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था					एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनःसंरचना व्यवस्था					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय-वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)*	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	3,985	125	5	-	4,115	111	9	2	-	122	4,096	134	7	-	4,237
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	226.43	15.60	0.13	-	242.16	279.35	0.35	61.26	-	340.96	505.78	15.95	61.39	-	583.12
		प्रावधान	-	-	-	-	-	19.86	2.36	0.04	-	22.26	18.92	0.06	24.50	-	43.48	38.78	2.42	24.54	-	65.74
2	वर्ष के दौरान नए पुनःसंरचित खाते	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	4,419	289	16	1	4,725	5,237	1,126	22	2	6,387	9,656	1,415	38	3	11,112
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	393.73	47.22	3.57	0.01	444.53	794.44	116.10	1.08	0.02	911.64	1,188.17	163.32	4.65	0.03	1,356.17
		प्रावधान	-	-	-	-	-	30.92	8.58	1.51	0.01	41.02	100.17	23.66	0.50	0.02	124.35	131.09	32.24	2.01	0.03	165.37
3	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्नयन	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	अग्रिम पुनःसंरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त-वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित मानक दिखाने की आवश्यकता नहीं है	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं.(-)	-	-	-	-	-	-	476	106	2	584	-	26	-	1	27	-	502	106	3	611
		बकाया राशि (-)	-	-	-	-	-	-	35.98	9.83	0.02	45.83	-	4.05	-	0.02	4.07	-	40.03	9.83	0.04	49.90
		प्रावधान (-)	-	-	-	-	-	-	6.66	3.17	0.02	9.85	-	0.98	-	0.02	1	-	7.64	3.17	0.04	10.85
6	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अपलिखित	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	1,075	156	2	1	1,234	26	-	-	-	26	1,101	156	2	1	1,260
		बकाया राशि (-)	-	-	-	-	-	63.25	17.21	0.01	0.01	80.48	35.91	-	31.74	-	67.65	99.16	17.21	31.75	0.01	148.13
		प्रावधान						5.37	2.72	0.01	0.01	8.11	2.85	-	4.70	-	1.85	8.22	2.72	4.69	0.01	6.26
7	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खाते (अंतिम आंकडे,*)	ऋणियों की सं.	-	-	-	-	-	7,329	734	125	2	8,190	5,322	1,161	24	3	6,510	12,651	1,895	149	5	14,700
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	556.91	81.59	13.52	0.02	652.04	1,037.88	120.50	30.60	0.04	1,189.02	1,594.79	202.09	44.12	0.06	1841.06
		प्रावधान	-	-	-	-	-	45.41	14.88	4.71	0.02	65.02	116.24	24.70	29.70	0.04	170.68	161.65	39.58	34.41	0.06	235.70

* मानक अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)

5.4 **Details of Accounts Restructured:**

Punjab & Sind Bank

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2021

(Rupees in crores)

Sl.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					TOTAL				
	Asset Classification → / Details ↓		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No.of Borrower	-	-	-	-	-	3,985	125	5	-	4,115	111	9	2	-	122	4,096	134	7	-	4,237
		Amt.O/s	-	-	-	-	-	226.43	15.60	0.13	-	242.16	279.35	0.35	61.26	-	340.96	505.78	15.95	61.39	-	583.12
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	19.86	2.36	0.04	-	22.26	18.92	0.06	24.50	-	43.48	38.78	2.42	24.54	-	65.74
2	Fresh Restructuring during the year #	No.of Borrower	-	-	-	-	-	4,419	289	16	1	4,725	5,237	1,126	22	2	6,387	9,656	1,415	38	3	11,112
		Amt.O/s	-	-	-	-	-	393.73	47.22	3.57	0.01	444.53	794.44	116.10	1.08	0.02	911.64	1,188.17	163.32	4.65	0.03	1,356.17
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	30.92	8.58	1.51	0.01	41.02	100.17	23.66	0.50	0.02	124.35	131.09	32.24	2.01	0.03	165.37
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No.of Borrower	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amt.O/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No.of Borrower	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amt.O/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No.of Borrower(-)	-	-	-	-	-	-	476	106	2	584	-	26	-	1	27	-	502	106	3	611
		Amt.O/s (-)	-	-	-	-	-	-	35.98	9.83	0.02	45.83	-	4.05	-	0.02	4.07	-	40.03	9.83	0.04	49.90
		Prov. Thereon (-)	-	-	-	-	-	-	6.66	3.17	0.02	9.85	-	0.98	-	0.02	1	-	7.64	3.17	0.04	10.85
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No.of Borrower	-	-	-	-	-	1,075	156	2	1	1,234	26	-	-	-	26	1,101	156	2	1	1,260
		Amt.O/s (-)	-	-	-	-	-	63.25	17.21	0.01	0.01	80.48	35.91	-	31.74	-	67.65	99.16	17.21	31.75	0.01	148.13
		Prov. thereon						5.37	2.72	0.01	0.01	8.11	2.85	-	4.70	-	1.85	8.22	2.72	4.69	0.01	6.26
7	Restructured accounts as on Mar. 31 of the FY (Closing figures*)	No.of Borrower	-	-	-	-	-	7,329	734	125	2	8,190	5,322	1,161	24	3	6,510	12,651	1,895	149	5	14,700
		Amt.O/s	-	-	-	-	-	556.91	81.59	13.52	0.02	652.04	1,037.88	120.50	30.60	0.04	1,189.02	1,594.79	202.09	44.12	0.06	1841.06
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	45.41	14.88	4.71	0.02	65.02	116.24	24.70	29.70	0.04	170.68	161.65	39.58	34.41	0.06	235.70

***/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)**

5.5 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना का अनुप्रयोग

(रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की भारित औसत जोखिम अवधि	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पूर्व	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2019-20)	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय वर्ष(2020-21)	-	-	-	-	-

5.6 अनुकूल ऋण पुनःसंरचना योजना (खाते जो वर्तनाम में यथावत स्थिति में है)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को लागू किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.7 एसडीआर योजना के बाह्य स्वामित्व में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/ इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा गया है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.8 दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनःसंरचना हेतु योजना (एस4ए)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
		पार्ट A में	पार्ट B में	
मानक के रुप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनपीए वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.5 **Application of Flexible Structuring to Existing Loans**

(Rupees in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexile structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year (2019-20)	-	-	-	-	-
Current Financial Year (2020-21)	-	-	-	-	-

5.6 **Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(Rupees in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

5.7 **Change in Ownership outside SDR Scheme**

(Rupees in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

5.8 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

(Rupees in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard	NIL	NIL	NIL	NIL
Classified as NPA	NIL	NIL	NIL	NIL

5.9 **आस्ति पुनःसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निमाण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण**

क. बिक्री का विवरण (रुपये करोड़ में)

	मदें	2020-21	2019-20
(i)	खातों की संख्या	शून्य	1
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	0
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	66.62
(iv)	पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	शून्य	66.62

ख. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण (रुपये करोड़ में)

	मदें	2020-21	2019-20
(i)	बैंक द्वारा गैर-निष्पादित खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	37.30	37.62
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गैर-निष्पादित खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	-	-
	कुल	37.30	37.62

5.10 खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क). खरीदी गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण: (रुपये करोड़ में)

		विवरण	2020-21	2019-20
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख). बेची गईं गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

	विवरण	2020-21	2019-20
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	01
2.	कुल बकाया (रु.करोड़ में)	शून्य	122.32
3.	कुल प्रतिफल प्राप्त हुआ (रु.करोड़ में)	शून्य	66.62

5.11 मानक आस्तियों पर प्रावधान (रुपये करोड़ में)

मदें	2020-21	2019-20
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1594.32	309.96
अंकित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	52.77	13.49

5.12 धोखाधड़ी संबंधी खातों में प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	सम्मिलित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित राशि	आज की तिथि में अपरिशोधित राशि
2020-21	144	3825.86	3804.08*	शून्य	शून्य
2019-20	67	397.28	380.09	17.19	17.19
2018-19	41	412.27	412.27	शून्य	शून्य
2017-18	23	136.60	136.28	शून्य	शून्य

*(i) यह राशि धोखाधड़ी की राशि में रु. 38.97 करोड़ की वसूली के बाद है।

5.9 **Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction**

A. Details of Sales

(Rupees in crore)

Item		2020-21	2019-20
(i)	Number of Accounts	Nil	1
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	0
(iii)	Aggregate consideration	Nil	66.62
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	66.62

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Rupees in crore)

Item		2020-21	2019-20
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	37.30	37.62
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	-	-
	Total	37.30	37.62

5.10 **Details of non-performing financial assets purchased / sold:**

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2020-21	2019-20
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold:

Particulars		2020-21	2019-20
1.	No. of accounts sold	NIL	01
2.	Aggregate outstanding (Rupees in crore)	NIL	122.32
3.	Aggregate consideration received (Rupees in crore)	NIL	66.62

5.11 **Provisions on Standard Assets**

(Rupees in crore)

Item	2020-21	2019-20
Provisions towards Standard Assets	1594.32	309.96
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances	52.77	13.49

5.12 **Provisioning pertaining to Fraud Accounts**

(Rupees in crore)

Year	No of Frauds Reported	Amount Involved	Provision made	Unamortized Amount	Unamortized Amount As on Date
2020-21	144	3825.86	3804.08*	Nil	Nil
2019-20	67	397.28	380.09	17.19	17.19
2018-19	41	412.27	412.27	Nil	Nil
2017-18	23	136.60	136.28	Nil	Nil

* (i) The amount is after deducting recoveries of Rs. 38.97 Crores in fraud amount.

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 की रु. 17.19 करोड़ रुपये की अनाशोधित राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

(iii) इस राशि में 31 मार्च 2020 तक पहले से उपलब्ध कराए गए रु. 2667.09 करोड़ का प्रावधान / बट्टा खाता में डाले गए शामिल है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने 31 मार्च 2021 तक घोषित धोखाधड़ी के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया है।

5.13.1 आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 के के तहत विस्तारित दिशा-निर्देश तथा आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर.सं.बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 "एक बार एमएसएमई अवसंरचना" के माध्यम से फिर से बढ़ाए गए दिशानिर्देश, 31 मार्च, 2021 को एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण इस प्रकार है:

पुनर्गठन किए गए खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
8251	604.79

5.13.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को मानक खाते के रूप में रखा है। 31.03.2021 की स्थिति इस प्रकार है:

राशि (करोड़ में)

आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए के अनुसार नहीं मानी गई राशि	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान	वास्तविक प्रावधान
161.45	40.36	87.06

5.13.3 मार्च 31, 2021 को बैंक ₹ 10.97 करोड़ का प्रावधानन कर रहा है जो एसबीआई, अग्रणी बैंक को जारी किए गए आरबीआई पत्र संख्या डीबीआर (बीपी) संख्या ! 7201! 21.04.132 /2017 - 18 दिनांकित 08.02.2018 के अनुसार पंजाब राज्य सरकार द्वारा उपभोग किए गए बकाया खाद्य ऋण का 5% है।

5.13.4 मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹ 3824.83 करोड़ (₹ 205.00 करोड़ के निवेश सहित) राशि के उधारकर्ता धोखाधड़ी श्रेणी के अंतर्गत 70 उधार खातों की रिपोर्टिंग की है। वर्ष 2019-20 से संबंधित ₹ 38.97 करोड़ की वसूली तथा ₹ 17.19 करोड़ के अनिस्तारित भाग के समायोजन पश्चात 31 मार्च, 2021 तक बैंक के पास ₹ 3803.04 करोड़ (31 मार्च, 2020 को धारित ₹ 2667.09 करोड़ के प्रावधान सहित) का प्रावधान है।

6 कारोबार अनुपात

	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	6.52%	7.25%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.84%	0.82%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	0.72%	1.00%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	(-)2.55%	(-) 0.91%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि + अग्रिम) (राशि करोड़ में)	18.49	16.98
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (राशि लाख में)	(-)30.94	(-) 11.14

(ii) Unamortized amount of Rs. 17.19 Crores of financial year 2019-20 has been provided during the year.

(iii) This amount includes Rs. 2667.09 Crores provision / write off already provided upto 31st March 2020.

During the FY 2020-21, bank has fully provided for frauds declared up to 31st March 2021.

5.13.1 As per RBI Circular No.DBR.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019 and extended guidelines for the same vide RBI Circular No. DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and again extended guidelines for the same vide RBI Notification No. DOR.No.BP.BC.4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "One time MSME restructuring", the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2021 are as under

No. of Accounts Restructured	Amount(Rs.in crore)
8251	604.79

5.13.2 In terms of Hon`ble Supreme Court order and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI), the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Private Limited (DAMEPL) as standard account. Position as on 31.03.2021 is as under:

(Rs. in crore)

Amount not treated as per NPA as per IRAC norms	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held
161.45	40.36	87.06

5.13.3 The Bank is carrying a provision of Rs.10.97 Crore as at 31st March, 2021 being 5% of outstanding food credit availed by the State Government of Punjab as per the RBI letter No. DBR (BP) No! 7201! 21.04.132 /2017 - 18 dated 08.02.2018 issued to SBI the lead bank.

5.13.4 Bank has reported 70 borrowal accounts under borrower fraud category amounting to Rs 3824.83 Crores (including investment of Rs.205.00 Crores) to Reserve Bank of India during the year ended 31st March,2021. The bank is holding provision of Rs.3803.04 Crores (including provision of Rs 2667.09 Crores held as on 31st March 2020) as at March 31, 2021 after adjustment of recoveries of Rs.38.97 Crores and unamortized portion of Rs.17.19 Crores pertaining to year 2019-20.

6. **Business Ratios**

	Items	2020-21	2019-20
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	6.52%	7.25%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.84%	0.82%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	0.72%	1.00%
(iv)	Return on Assets	(-)2.55%	(-) 0.91%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	18.49	16.98
(vi)	Profit per employee (Rs. in lacs)	(-)30.94	(-) 11.14

7. आस्ति देयता प्रबंधन

दिनांक 31.03.2021 को आस्ति एवं देयताओं पर परिपक्वता प्रकार (रुपये करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	474.31	2725.77	0.00	0.00	15.20	141.81
2 – 7 दिन	3204.80	691.09	89.02	0.00	0.74	17.40
8 – 14 दिन	879.02	563.67	225.90	0.00	3.06	38.81
15 – 30 दिन	2222.26	1426.93	0.00	0.00	8.37	52.53
31 दिन से 2 माह	6915.01	895.62	10.72	0.00	15.23	61.12
2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	6484.38	862.06	514.62	0.00	13.48	65.00
3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	11334.87	3285.18	930.44	13.59	29.36	73.93
6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	26082.26	2324.11	1853.21	327.18	64.29	9.36
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	16940.38	9900.44	5006.82	65.48	64.31	16.16
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	11069.62	9886.11	4436.95	0.00	13.60	97.75
5 वर्ष अधिक	10501.25	28380.72	18955.09	2237.30	0.00	0.00
कुल	**96108.18**	**60941.70**	**32022.77**	**2643.55**	**227.64**	**573.86**

8. एक्सपोज़र

8.1 स्थावर संपदा को एक्सपोज़र

(रुपये करोड़ में)

	प्रवर्ग			31.03.2021	31.03.2020
1)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र				
	(क)	आवासीय बंधक			
	i.	आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है जो उधारकर्ता द्वारा अधिभोगित है या अधिभोगित किया जाएगा या किराए पर दिया है।		7084.69	6575.30
	ii.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण		4542.00	4536.96
	(ख)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट			
		वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।		1833.36	2054.98
	(ग)	बंधक रखे गए प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोज़र में निवेश		शून्य	शून्य
		क.	आवासीय	शून्य	शून्य
		ख	व्यवसायिक रियल इस्टेट	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र [नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीएस) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र]			3209.37*	4647.32*
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर			**12127.42**	**13277.60**

* एनएचबी व हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में निवेश के माध्यम से ₹ 1040.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1256.55 करोड़) शामिल है।

7. **Asset Liability Management**

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2021:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	474.31	2725.77	0.00	0.00	15.20	141.81
2 – 7 days	3204.80	691.09	89.02	0.00	0.74	17.40
8 – 14 days	879.02	563.67	225.90	0.00	3.06	38.81
15 - 30 days	2222.26	1426.93	0.00	0.00	8.37	52.53
31 days to 2 months	6915.01	895.62	10.72	0.00	15.23	61.12
Over 2 months & up to 3 months	6484.38	862.06	514.62	0.00	13.48	65.00
Over 3 months & up to 6 months	11334.87	3285.18	930.44	13.59	29.36	73.93
Over 6 months & up to 1 year	26082.26	2324.11	1853.21	327.18	64.29	9.36
Over 1 year & up to 3 years	16940.38	9900.44	5006.82	65.48	64.31	16.16
Over 3 years & up to 5 years	11069.62	9886.11	4436.95	0.00	13.60	97.75
Over 5 years	10501.25	28380.72	18955.09	2237.30	0.00	0.00
Total	**96108.18**	**60941.70**	**32022.77**	**2643.55**	**227.64**	**573.86**

8. **Exposures:**

8.1 **Exposure to Real Estate Sector**

(Rupees in crore)

Category				31.03.2021	31.03.2020
1)	Direct Exposure				
	(a)	Residential Mortgages			
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		7084.69	6575.30
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		4542.00	4536.96
	(b)	Commercial Real Estate			
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;		1833.36	2054.98
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		Nil	Nil
		a.	Residential	Nil	Nil
		b.	Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]			3209.37*	4647.32*
Total Exposure to Real Estate Sector				**12127.42**	**13277.60**

* includes Rs 1040.67 crore (Previous year Rs. 1256.55 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूंजी बाजार को एक्सपोज़र

(रुपये करोड़ में)

	मदें	31.03.2020	31.03.2019
1.	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	342.20	352.25
2.	शेयरों/बॉड/डिबेंचरों/के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉड/परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम ;	शून्य	शून्य
3.	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ;	शून्य	शून्य
4.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहां मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/परिवर्तनीय बॉडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम ;	शून्य	शून्य
5.	शेयर दलालों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों व बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियां ;	7.35	8.60
6.	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉडों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण ;	शून्य	शून्य
7.	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं ;	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन व्यवसाय हेतु शेयर दलालों के लिए वित्तपोषण ;	शून्य	शून्य
10.	उद्यम के लिए पूंजी में सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	12.61	4.38
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र	**362.16**	**365.23**

8.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोजर

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में बैंक का निवल कंट्री-वाइज़ वित्त पोषित एक्सपोज़र, बैंक के कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत के भीतर है। इसलिए, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, का विवरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता के लिए निर्धारित एलईएफ सीमा का निम्नांकित प्रकरणो में उल्लंघन किया है :

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एलईएफ के अनुसार एक्सपोज़ की सीमा (%)	31.03.2021 को सीमा/देयताएं	31.03.2020 को टियर-1 पूंजी के संबंध में एक्सपोज़र (%)
1	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8.2 **Exposure to Capital Market**

(Rupees in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	342.20	352.25
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	Nil
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	Nil	Nil
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	7.35	8.60
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	12.61	4.38
	Total Exposure to Capital Market	**362.16**	**365.23**

8.3 **Risk Category wise Country Exposure**

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

During the year 2020-21, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases:-

(Rupees in crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2021	Exposure (%) w.r.t. Tier-I Capital as on 31.03.2020
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

8.5 अमूर्त संपार्श्विक के विरूद्ध अप्रतिभूत अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
अमूर्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध कुल अग्रिम जैसे अधिकार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकारी इत्यादि पर ऋण भार।	481.30	520.49
अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य जैसे अधिकार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकारी इत्यादि पर ऋण भार।	477.29	520.49

8.6 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (आईबीपीसी)

आरबीआई दिशानिर्देशों डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांकित 31.12.1988 की शर्तों के अनुसार बैंक ने अधिकतम शून्य दिनों की अवधि के लिए जोखिम भागीदारी आधार पर ₹ 0.00 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (आईबीपीसी) जारी किए हैं जिससे दिनांक 31.03.2021 तक बैंक के कुल अग्रिम को उसी सीमा तक किया जा सके।

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
क. वर्ष के दौरान बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाया गया अर्थदंड	0.00	3.87
ख. प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर आरबीआई द्वारा निंदा या निर्देश	शून्य	शून्य

9.2 बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटन

(रु.करोड़ में)

	2020-21	2019-20
क. जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/पारिश्रमिक	9.20	5.15
ख. सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/पारिश्रमिक	2.67	शून्य
ग. एपीवाई पर कमीशन	1.33	0.89

10. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटन

10.1 अवधि के लिए एएस-5 निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

10.1.1 नोट में अन्यत्र उद्घाटित को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के साथ पठित एएस-5 के अनुसार लाभ और हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मामले शामिल नहीं है जिन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है।

10.2 01 अप्रैल 2017 से लागू संपत्ति संयंत्र व उपकरण पर लेखा मानक -10 (संशोधित 2016) के अनुसरण में, अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन भाग पर वर्ष के लिए ₹ 5.68 करोड़ के मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में जमा करने के स्थान पर वर्तमान वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में अंतरित किया गया है परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 5.68 करोड़ की कमी आई है।

10.3 एएस-9 राजस्व अभिज्ञान

10.3.1 आय की कतिपय मदों को अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के "राजस्व अभिज्ञान" जैसा कि बंदु संख्या 8 में उद्घाटित है, उगाही के आधार पर स्वीकार किया गया है। हालांकि आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

10.4 एएस 15- कर्मचारी हितलाभ

10.4.1 आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उपदान, अवकाश नगदीकरण तथा अन्य दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

10.4.2 लाभ व हानि खाते तथा तुलन-पत्र में अभिज्ञात नियोजन पश्चात लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है :

8.5 **Unsecured Advances against Intangible Collaterals**

(Rupees in crore)

Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	481.30	520.49
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	477.29	520.49

8.6 **Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC)**

In terms of RBI Guidelines DBOD No. BP.BC.57/62-88 dated December 31,1988, Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) of Rs. 0.00 Crore has been issued on risk sharing basis for maximum period of NIL days. Thereby reducing the Bank's Total advances as on 31.03.2021 to the same extent.

9.1 **Disclosure of penalties imposed by Reserve Bank of India**

(Rupees in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
A. Penalty imposed by RBI on Bank during the year	0.00	3.87
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	NIL	NIL

9.2 **Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business**

(Rupees in crore)

	2020-21	2019-20
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	9.20	5.15
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	2.67	NIL
C. Commission on APY	1.33	0.89

10. **Disclosure as per Accounting Standard (AS)**

10.1 **AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies**

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 Pursuant to Accounting Standard – 10, (Revised 2016) on Property Plant & Equipment, applicable from 1st April 2017, depreciation of Rs.5.68 crore for the year on revalued portion of fixed assets has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve during the current year instead of crediting to Profit and Loss Account resulting decrease in profit by Rs.5.68 crore.

10.3 **AS-9 Revenue Recognition**

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 **AS 15 - Employees Benefit**

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59
ब्याज लागत-	216.20	205.39	17.73	15.81	12.04	8.92
गत सेवा लागत	0	0	0	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	167.10	165.89	30.76	14.11	16.69	16.36
प्रदत्त लाभ	(385.24)	(355.05)	(46.23)	(65.00)	(26.25)	(30.01)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	571.51	206.78	44.13	44.50	38.20	42.73
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59

10.4.4 योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	295.86	292.76	21.90	24.14	10.53	14.11
अंशदान	436.27	244.24	60.34	18.00	85.55	12.00
प्रदत्त लाभ	(385.24)	(355.05)	(46.23)	(65.00)	(26.25)	(30.01)
बीमांकिक हानि/ (लाभ)	1.79	37.23	1.98	5.10	4.35	(0.14)
31 मार्च को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	297.65	329.99	23.88	29.24	14.88	13.97

10.4.5 निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
दायित्व (ए) पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	571.51	206.78	44.13	44.50	38.20	42.73
प्लान एसेट्स (बी) पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (बी)	(1.79)	(37.23)	(1.98)	(5.10)	(4.35)	0.14
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
अवधि में अभिज्ञात बीमांकिक हानि/ (लाभ)	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.3 **Changes in the Present value of the Obligation**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59
Interest cost	216.20	205.39	17.73	15.81	12.04	8.92
Past Service Cost	0	0	0	0	0	0
Current service cost	167.10	165.89	30.76	14.11	16.69	16.36
Benefits paid	(385.24)	(355.05)	(46.23)	(65.00)	(26.25)	(30.01)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	571.51	206.78	44.13	44.50	38.20	42.73
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59

10.4.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Fair value of Plan Assets as at 1st April	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
Expected return of Plan Assets	295.86	292.76	21.90	24.14	10.53	14.11
Contributions	436.27	244.24	60.34	18.00	85.55	12.00
Benefits paid	(385.24)	(355.05)	(46.23)	(65.00)	(26.25)	(30.01)
Actuarial gain/(loss)	1.79	37.23	1.98	5.10	4.35	(0.14)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
Actual return on Plan Assets	297.65	329.99	23.88	29.24	14.88	13.97

10.4.5 **Net Actuarial Loss/ (Gain)**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	571.51	206.78	44.13	44.50	38.20	42.73
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(1.79)	(37.23)	(1.98)	(5.10)	(4.35)	0.14
Net Actuarial loss/(gain)	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

10.4.6 तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59
घटा : 31 मार्च को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
तुलन पत्र में मान्य गैर निधिक निवल आस्ति/ (देयताएं)	(247.05)	(26.16)	(11.78)	(3.38)	(7.89)	(41.39)
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	---	---
अमान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	---	---
तुलन पत्र में मान्य गैर निधिक निवल आस्ति/ (देयता)	(247.05)	(26.16)	(11.78)	(3.38)	(7.89)	(41.39)

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्तमान सेवा लागत	167.10	165.89	30.76	14.11	16.69	16.36
विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत	216.20	205.39	17.73	15.81	12.04	8.92
प्लान एसेट्स पर अनुमानित प्रतिफल	(295.86)	(292.76)	(21.90)	(24.14)	(10.53)	(14.11)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
निवल (लाभ)/व्यय	657.16	248.07	68.74	45.18	52.05	54.04

10.4.8 तुलन-पत्र में अभिज्ञात देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)
निवल लाभ व्यय	657.16	248.07	68.74	45.18	52.05	54.04
घटा : प्रदत्त अंशदान	436.27	244.24	60.34	18.00	85.55	12.00
समापन देयता/ (आस्ति)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39
जोड़ : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समापन देयताएं/ (आस्ति)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39

10.4.6 **Amount recognized in the Balance Sheet**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(247.05)	(26.16)	(11.78)	(3.38)	(7.89)	(41.39)
Higher Provisioning kept	NIL	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Transitional liability recognized during the year	---	---	---	---	---	---
Unrecognized transitional liability	---	---	---	---	---	---
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(247.05)	(26.16)	(11.78)	(3.38)	(7.89)	(41.39)

10.4.7 **Expenses recognized in the Profit & Loss Account**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Current service cost	167.10	165.89	30.76	14.11	16.69	16.36
Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
Interest cost	216.20	205.39	17.73	15.81	12.04	8.92
Expected return on plan assets	(295.86)	(292.76)	(21.90)	(24.14)	(10.53)	(14.11)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	569.72	169.55	42.15	39.40	33.85	42.87
Net (benefit)/ expense	657.16	248.07	68.74	45.18	52.05	54.04

10.4.8 **Movements in the liability recognized in the Balance Sheet**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Opening net Liability/(Asset)	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)
Net benefit expense	657.16	248.07	68.74	45.18	52.05	54.04
Less: Contribution paid	436.27	244.24	60.34	18.00	85.55	12.00
Closing liability/(Asset)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39

10.4.9 न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	10.40	11.36	--	---	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	23.95	32.55	22.77	24.34	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बॉंडस	23.15	32.61	31.20	36.96	100.00	100.00
अन्य निवेश	42.50	23.48	46.03	38.70	शून्य	शून्य

10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

ब्यौरा	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
छूट दर	6.29	6.36	6.94	6.68	6.94	6.68
प्लान एसेट्स पर अनुमानित प्रतिफल दर	8.21	8.65	7.96	8.24	7.25	9.46
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ह्रास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक पूर्वानुमानों का आधार

ब्यौरा	पूर्वानुमान का आधार
छूट दर	देयता के अनुमानित आधार पर शासकीय बॉंडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि को बाजार लाभ के संदर्भ में छूट दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान एसेट्स पर प्रतिफल का अनुमानित दर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, प्लान एसेट्स पर प्रतिफल अवधि के प्रारंभ में बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य के वेतन-वृद्धि का मूल्यांकन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ह्रास-दर	ह्रास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित हैं लेकिन दिव्यांगता कारक शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	एलटीसी/एलएफसी नगदीकरण*		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ*		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
देयता का वर्तमान मूल्य	6.37	6.28	1.26	1.22	0.76	0.598	1.39	1.45
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मान्य देयता	6.37	6.28	1.26	1.22	0.76	0.598	1.39	1.45

* जैसा कि प्रबंधन ने आकलन किया।

10.4.9 **Investment percentage maintained by the trust**

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Central Government Securities	10.40	11.36	--	---	Nil	Nil
State Government Securities	23.95	32.55	22.77	24.34	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	23.15	32.61	31.20	36.96	100.00	100.00
Other investments	42.50	23.48	46.03	38.70	Nil	Nil

10.4.10 **Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date**

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Discount rate	6.29	6.36	6.94	6.68	6.94	6.68
Expected rate of return on plan assets	8.21	8.65	7.96	8.24	7.25	9.46
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 **Basis of Actuarial Assumptions considered**

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 **Other long term employee benefit (Non funded)**

(Rupees in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Present Value of Obligation	6.37	6.28	1.26	1.22	0.76	0.598	1.39	1.45
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.37	6.28	1.26	1.22	0.76	0.598	1.39	1.45

* As assessed by the management

10.5 एएस-17 - खंड रिपोर्ट करना

भाग ए : कारोबार खंड (रु.लाखों में)

ब्यौरा	समाप्त वर्ष	
	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	31.03.2020 (लेखापरीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	228877	239532
ख. कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	328231	403037
ग. खुदरा बैंकिंग	229262	239519
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	1302	604
कुल	**787672**	**882692**
2. परिणाम खंड		
क. राजकोष	96227	72770
ख. कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	28456	53713
ग. खुदरा बैंकिंग	19876	31921
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	1302	604
कुल	**145861**	**159008**
3. गैर-आबंटित व्यय	68739	49317
4. परिचालन लाभ	**77122**	**109691**
5. प्रावधान व आकस्मिकताएं	417545	261928
6. आयकर	-67133	-53157
7. असाधारण लाभ/हानि	0	0
8. निवल लाभ	**-273290**	**-99080**
अन्य जानकारी		
9. आस्ति खंड		
क. राजकोष	3251517	2500578
ख कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	4430960	4593134
ग. खुदरा बैंकिंग	3094929	2729632
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्ति	270783	227037
कुल आस्ति	**11048189**	**10050381**
10. देयताएं खंड		
क. राजकोष	3077443	2415041
ख कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	4193743	4436017
ग. खुदरा बैंकिंग	2929238	2636260
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्ति	11464	3424
कुल आस्ति	**10211888**	**9490742**

10.5 **AS 17 – Segment Reporting:**

Part A : Business Segment: (Rupees in Lacs)

Particulars	Year ended	
	31.03.21 (Audited)	**31.03.20 (Audited)**
1. Segment Revenue		
a) Treasury	228877	239532
b) Corporate/ Wholesale Banking	328231	403037
c) Retail Banking	229262	239519
d) Other Banking Operations	1302	604
Total	**787672**	**882692**
2. Segment Result		
a) Treasury	96227	72770
b) Corporate/ Wholesale Banking	28456	53713
c) Retail Banking	19876	31921
d) Other Banking Operations	1302	604
Total	**145861**	**159008**
3. Unallocated Expenses	68739	49317
4. Operating Profit	**77122**	**109691**
5. Provisions & Contingencies	417545	261928
6. Income Tax	-67133	-53157
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	**-273290**	**-99080**
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	3251517	2500578
b) Corporate/ Wholesale Banking	4430960	4593134
c) Retail Banking	3094929	2729632
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	270783	227037
Total Assets	**11048189**	**10050381**
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	3077443	2415041
b) Corporate/ Wholesale Banking	4193743	4436017
c) Retail Banking	2929238	2636260
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	11464	3424
Total Liabilities	**10211888**	**9490742**

नोट – आईसीएआई के एएस-17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए बैंक के व्यवसाय को चार खंडों यथा a) राजकोष परिचालन, b) कॉरपोरेट/समष्टिगत बैंकिंग, c) खुदरा बैंकिंग तथा d) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉरपोरेट/ समष्टिगत तथा खुदरा बैंकिंग के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताएओं को इन खंडों के एक्सपोज़र के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग बी - भौगोलिक खंड

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10.6 एएस 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटन

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

(i) श्री एस. कृष्णन	दिनांक 04.09.2020 से प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(ii) श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	दिनांक 10.03.2021 से कार्यकारी निदेशक
(iii) श्री अजित कुमार दास	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक कार्यकारी निदेशक
(iv) श्री एस. हरिसंकर	दिनांक 20.09.2018 से 03.09.2020 तक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(v) श्री फरीद अहमद	दिनांक 17.02.2017 से 31.07.2020 तक कार्यकारी निदेशक
(vi) श्री गोविंद एन. डोंग्रे	दिनांक 10.10.2017 से 31.03.2020 तक कार्यकारी निदेशक

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक :

(रुपये लाख में)

नाम एवं पदनाम	2020-21	2019-20
श्री एस. कृष्णन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	16.58	-
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र, कार्यकारी निदेशक	1.47	-
श्री अजित कुमार दास, कार्यकारी निदेशक	26.15	-
श्री एस. हरिसंकर	12.78	29.37
श्री फरीद अहमद	9.12	26.42
श्री गोविंद एन. डोंग्रे	-	26.04

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को स्वीकृत ऋण :

ब्यौरा	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

10.7 एएस 20 - प्रति शेयर अर्जन

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरा	2020-21	2019-20
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात निवल लाभ	-2732.90	-990.80
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	76.53	62.89
मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	-35.71	-15.76
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

10.8 एएस 21- समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुषंगी/सहयोगी नहीं है अतः एएस 21 लागू नहीं है।

10.9 एएस 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

10.9.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक -22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया है।

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B : Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 **AS 18 – Related Party Disclosures**

Key Managerial Personnel:

(i)	Mr. S. Krishnan	Managing Director & CEO w.e.f. 04.09.2020
(ii)	Mr. Kollegal V Raghvendra	Executive Director w.e.f. 10.03.2021
(iii)	Mr.Ajit Kumar Das	Executive Director w.e.f. 01.04.2020 upto 31.03.2021
(iv)	Mr. S. Harisankar	Managing Director & CEO w.e.f. 20.09.2018 upto 03.09.2020
(v)	Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017 upto 31.07.2020
(vi)	Mr.Govind N.Dongre	Executive Director w.e.f. 10.10.2017 upto 31.3.2020

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rupees in Lacs)

Name and Designation	2020-21	2019-20
Mr. S. Krishnan, Managing Director & CEO	16.58	-
Mr. Kollegal V Raghvendra, Executive Director	1.47	-
Mr.Ajit Kumar Das, Executive Director	26.15	-
Mr. S. Harisankar,	12.78	29.37
Mr. Fareed Ahmed	9.12	26.42
Mr.Govind N.Dongre	-	26.04

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Loans outstanding	Nil	NIL

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rupees in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Net Profit After tax available for equity Shareholders	-2732.90	-990.80
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	76.53	62.89
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	-35.71	-15.76
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 आस्थगित कर आस्तियां/देयताओं के मुख्य घटक इस प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

शीर्ष		आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास		-	19.43	21.89
2	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	85.17	-	-
3	धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व	-	-	67.05	70.10
4	निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	169.58	133.87	-	-
5	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (एनपीए) के लिए प्रावधान	1964.86	1618.50	-	-
6	पुनर्संरचित मानक आस्तियों के एफवाई में ह्रास के लिए प्रावधान	18.44	4.72	-	-
7	संचित हानि	249.58	-	-	-
	कुल	**2402.46**	**1842.26**	**86.48**	**91.99**

10.9.3 बैंक द्वारा धारित आयकर तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधान को विधि विशेषज्ञों के अभिमत तथा अनुकूल न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

10.9.4 भविष्य की कर योग्य आय की उपलब्धता की तार्किक निश्चितता पर बैक द्वारा की गई समीक्षा, जिसमें अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के प्रावधान के कारण उत्पन्न होने वाले समयांतर को महसूस किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान उपरोक्त समयांतर पर बैंक ने ₹ 346.36 करोड़ के आस्थगित कर को अभिज्ञात किया है।

10.9.5 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹ 595.48 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 595.48 करोड़) के आय की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

10.9.6 भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01.04.2019 से धारा 115 बी ए ए सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बी ए ए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए आय पर कर के मान्यता को जारी रखने का विकल्प चुना है।

10.10 एएस 23- समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/सहयोगी नहीं है अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.11 एएस 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर आंतरिक तंत्र में ही विकसित किए गए हैं तथा समय के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए, सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय यथा वेतन का अनिवार्य हिस्सा है और इसी प्रकार लाभ व हानि खाते के संबंधित शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।

10.12 एएस 28- आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास मौजूद अचल संपत्तियों को एएस – 28 में परिभाषित अनुसार 'निगमित आस्तियों' के रूप में माना गया है न कि 'नगद उत्पादक इकाइयों' के रूप में। प्रबंधन की राय में, 31.03.2021 तक भौतिक राशि के 'अचल संपत्ति' की कोई क्षीणता, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों में अभिज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अन्य आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

10.13 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

10.13.1 लेखा मानक-29 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति के अनुसार, बैंक निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है –

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य पर होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

	Head	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Depreciation on Fixed Assets	-	-	19.43	21.89
2	Provision for wage revision	-	85.17	-	-
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	-	-	67.05	70.10
4	Provision for NPA on Investments	169.58	133.87	-	-
5	Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	1964.86	1618.50	-	-
6	Provision for diminution in FV of Restructured Standard Assets	18.44	4.72	-	-
7	Accumulated loss	249.58	-	-	-
	Total	**2402.46**	**1842.26**	**86.48**	**91.99**

10.9.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.4 Review made by the bank on reasonable certainty of availability of future taxable income on which timing differences arising on account of provision for bad and doubtful debt, that can be realized and accordingly during the year 2020-21, the Bank has recognized Deferred Tax Asset of Rs. 346.36 crore on the above timing differences.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.595.48 crore (Previous year Rs.595.48 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the quarter and year ended 31.03.2021 as per the earlier provisions.

10.10 **AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements**

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

10.11 **AS 26 – Intangible Assets**

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence ,the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 **Accounting Standard 28 - Impairment of Assets**

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2021, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 **Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets**

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

(ख) पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

* यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके, या
* देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रुप में रिकार्ड किया गया है। इसका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तन हो सकती हैं ।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं के विरूद्ध प्रावधानों में घट-बढ़: (रुपये करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरूद्ध दावा	24.35	25.55	0.93	1.82	0.70	3.02	24.58	24.35
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62
एल.सी. डेवोल्वेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.14 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के नोट वाली टिप्पणियों में उपयुक्त स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है।

11.1. अतिरिक्त प्रकटीकरण: (रुपये करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का विवरण	**2020-21**	**2019-20**
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	2677.90	2308.30
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	1284.38	40.15
अंकित मूल्य पुनर्रचित (मानक) में ह्रास का प्रावधान	39.27	5.16
गैर-निष्पादित निवेश हेतु प्रावधान	102.17	230.79
निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-0.81	-12.64
अन्य प्रावधान	72.56	47.51
कराधान हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	0.00	188.62
आस्थगित कर	-565.71	-637.19
एमएटी क्रेडिट पात्रता-वर्तमान वर्ष	-105.63	-82.99
एमएटी क्रेडिट पात्रता-उत्क्रमित	0.00	0.00
पिछले वर्ष कर व्यय	0.00	0.00
कुल	**3504.12**	**2087.71**

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़ (रुपये करोड़ में)

	2020-21	2019-20
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 **Movement of Provision against Contingent Liabilities:** (Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	24.35	25.55	0.93	1.82	0.70	3.02	24.58	24.35
Invoked Bank Guarantees	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62
L.C Devolved	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.14 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1. **Additional disclosures:** (Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	**2020-21**	**2019-20**
Provision for Non Performing Advances	2677.90	2308.30
Provision for Standard Assets	1284.38	40.15
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	39.27	5.16
Provision for Non Performing Investments	102.17	230.79
Provision for Depreciation in the value of Investments	-0.81	-12.64
Other Provisions	72.56	47.51
Provision for Taxation:		
Current Tax	0.00	188.62
Deferred Tax	-565.71	-637.19
MAT Credit Entitlement–Current Year	-105.63	-82.99
MAT Credit Entitlement Reversed	0.00	0.00
Previous Year Tax Expenses	0.00	0.00
Total	**3504.12**	**2087.71**

11.2 **Movement of Floating Provisions** (Rupees. in crore)

	2020-21	2019-20
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

वित्तीय वर्ष 31.03.2021 को समाप्ति के दौरान कुल रुपये शून्य की राशि पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से निकाला गया है।

11.4 ग्राहक शिकायतें:

		2020-21	2019-20
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	139	60
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14449	22291
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	14492	22212
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	96	139

11.5 बैंकिग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले:

		2020-21	2019-20
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंद लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले की संख्या	0	1
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	0	1
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.6.1 जमाओं का केंद्रीयकरण

(रु करोडों में)

	31.03.2021	31.03.2020
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	14835.83	14429.59
बैंक की कुल जमा में सबसे बडे 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	15.44%	16.09%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु करोडों में)

	31.03.2021	31.03.2020
कुल 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम	15380.41	18320.00
कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का प्रतिशत	22.68%	29.28%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु करोडों में)

	31.03.2021	31.03.2020
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	21125.35	19644.82
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बडे 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	27.35%	22.41%

11.6.4 एनपीए की केंद्रीकरण

(रु करोडों में)

	31.03.2021	31.03.2020
सबसे बड़े 4 एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	1916.53	1911.98

11.3 **Draw down from Reserve**

A sum of Rs NIL during Financial year ended 31.03.2021 has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 **Customer's Complaints:**

		2020-21	2019-20
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	139	60
b)	No. of Complaints received during the year	14449	22291
c)	No. of Complaints redressed during the year	14492	22212
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	96	139

11.5 **Awards Passed by the Banking Ombudsman:**

		2020-21	2019-20
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	0	1
c)	No. of Awards implemented during the year	0	1
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6.1 **Concentration of Deposits**

(Rupees. In crore)

	31.03.2021	31.03.2020
Total Deposits of twenty largest depositors	14835.83	14429.59
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	15.44%	16.09%

11.6.2 **Concentration of Advances**

(Rupees. in crore)

	31.03.2021	31.03.2020
Total Advances to twenty largest borrowers	15380.41	18320.00
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	22.68%	29.28%

11.6.3 **Concentration of Exposures**

(Rupees. in crore)

	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	21125.35	19644.82
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	27.35%	22.41%

11.6.4 **Concentration of NPAs**

(Rupees. in crore)

	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to top four NPA Accounts	1916.53	1911.98

11.7 क्षेत्रवार अग्रिम/एनपीए

(रु करोडों में)

क्र.सं	क्षेत्र	31.03.2021			31.03.2020		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	10637.51	917.79	8.63%	9824.86	993.99	10.12%
2.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	4351.80	849.22	19.51%	2945.45	619.83	21.04%
3.	सेवाएं	7208.23	1253.02	17.38%	8156.64	1278.10	15.67%
4.	व्यक्तिगत ऋण	4842.40	434.10	8.96%	4635.40	303.22	6.54%
	उप-कुल (ए)	27039.94	3454.13	12.77%	25562.35	3195.14	12.50%
ख	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	0	0	0%	0	0	0%
2	उद्योग	16338.44	2545.11	15.58%	13168.20	2207.56	16.76%
3	सेवाएं	20142.82	3093.44	15.36%	19748.27	3110.48	15.75%
4	व्यक्तिगत ऋण	4289.97	241.32	5.63%	4085.38	361.39	8.85%
	उप-कुल (बी)	40771.23	5879.87	14.42%	37001.85	5679.43	15.35%
	कुल (ए+बी)	67811.17	9334	13.76%	62564.20	8874.57	14.18%

* बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप क्षेत्रों का भी प्रकट कर सकते हैं जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरणार्थ, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे 'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में अलग से खनन के लिए अपने बकाया अग्रिमों के विवरण को प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु करोड़ में)

विवरण	**31.03.2021**	**31.03.2020**
1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)	8874.57	8605.87
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (नया एनपीए)	1556.71	2908.56
उप-कुल (ए)	**10431.28**	**11514.43**
घटा: (i) उन्नयन	148.07	394.39
ii) वसूली (उन्नयन खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	878.64	464.60
iii) तकनीकी / बट्टे खाते में डालना	0.00	1733.11
iv) उक्त (iii) के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डालना	70.57	47.76
उप-कुल (बी)	**1097.28**	**2639.86**
31 मार्च को सकल एनपीए (अंत शेष) (ए-बी)	**9334.00**	**8874.57**

11.7 **Sector-wise Advances /NPA**

(Rupees. in crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2021			31.03.2020		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	10637.51	917.79	8.63%	9824.86	993.99	10.12%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4351.80	849.22	19.51%	2945.45	619.83	21.04%
3	Services	7208.23	1253.02	17.38%	8156.64	1278.10	15.67%
4	Personal loans	4842.40	434.10	8.96%	4635.40	303.22	6.54%
	Sub-total (A)	27039.94	3454.13	12.77%	25562.35	3195.14	12.50%
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	0	0	0%	0	0	0%
2	Industry	16338.44	2545.11	15.58%	13168.20	2207.56	16.76%
3	Services	20142.82	3093.44	15.36%	19748.27	3110.48	15.75%
4	Personal loans	4289.97	241.32	5.63%	4085.38	361.39	8.85%
	Sub-total (B)	40771.23	5879.87	14.42%	37001.85	5679.43	15.35%
	Total (A+B)	67811.17	9334	13.76%	62564.20	8874.57	14.18%

**Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.*

11.8 **Movement of NPAs**

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	8874.57	8605.87
Additions (Fresh NPAs) during the year	1556.71	2908.56
Sub-total (A)	**10431.28**	**11514.43**
Less: (i) Up-gradations	148.07	394.39
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	878.64	464.60
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	0.00	1733.11
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	70.57	47.76
Sub-total (B)	**1097.28**	**2639.86**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	**9334.00**	**8874.57**

(Rupees. in crore)

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में प्रारंभिक शेष	5210.17	3712.52
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते	0.00	1733.11
उप-योग (क)	5210.17	5445.63
घटा : वर्ष के दौरान अनुमत छूट और उन्नयन सहित पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली (बी)	151.60	235.46
31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**5058.57**	**5210.17**

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एनपीए एवं राजस्व

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
कुल आस्ति	106.00	52.71
कुल एनपीए	0	0
कुल राजस्व	0.31	2.34

11.10 बैंक द्वारा प्रायोजित तुलन-पत्र से इतर एसपीवी

(रु करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	शून्य	शून्य

11.11 अंतर्समूह एक्सपोजर

क्र.सं	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	शीर्ष -20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का अंतर्समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ)	अंतर्समूह एक्सपोजर पर सीमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
डीईएएफ को हस्तांतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	215.37	187.51
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ को हस्तांतरित राशि	103.42	30.35
घटा : दावों के प्रति डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	2.14	2.49*
डीईएएफ को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष राशि	316.65	215.37

11.13 अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 के अनुसार बैंक ने गैर-विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान किया है और 31 मार्च, 2021 तक रु 0.17 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	5210.17	3712.52
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	0.00	1733.11
Sub-total (A)	5210.17	5445.63
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts including rebate allowed and up gradation during the year (B)	151.60	235.46
Closing balance as at March 31 (A-B)	**5058.57**	**5210.17**

11.9 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(Rupees. in Crores)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Assets	106.00	52.71
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.31	2.34

11.10 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored by Banks**

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Not Applicable	Not Applicable	NIL	NIL

11.11 **Intra-Group Exposures**

S.No.	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil	Nil	Nil
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	Nil	Nil	Nil	Nil
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil	Nil	Nil
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil	Nil	Nil

11.12 **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of amounts transferred to DEAF	215.37	187.51
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	103.42	30.35
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.14	2.49*
Closing balance of amounts transferred to DEAF	316.65	215.37

11.13 **Un-hedged Foreign Currency Exposure**

In terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014, the Bank has made provision for Unhedged Foreign Currency and a sum of Rs. 0.17 Crore is outstanding as on March 31, 2021.

12. चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(रुपये लाख में)

		30.06.2020		30.09.2020		31.12.2020		31.03.2021	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)		2042765.76		1976896.33		2062988.09		2353523.36
नकदी प्रवाह									
2	फुटकर जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	5614165.69	559146.61	5692396.62	566953.39	5846386.23	580962.58	5978580.40	593385.78
(i)	स्थिर जमाएं	45447.63	2272.65	45773.13	2291.04	73520.80	3676.04	89451.84	4472.93
(ii)	घटा स्थिर जमाएं	5568718.06	556873.97	5646623.49	564662.35	5772865.43	577286.54	5889128.56	588912.86
3	अरक्षित थोक निधियन जिसमें	953771.83	488936.81	866671.96	433336.99	842467.94	430903.84	1161975.51	541577.90
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	11590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	942181.29	488936.81	866671.96	433336.99	842467.94	430903.84	1161975.51	541577.90
(iii)	अनरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	संरक्षित थोक निधियन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिसमें	120422.90	16805.39	0.00	15597.70	0.00	21054.15	0.00	44025.89
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36090.37	36090.37
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चल निधि सुविधाएं	120422.90	16805.39	97174.37	15597.70	208967.11	21054.15	135707.88	7935.52
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	1254577.15	57126.29	1338985.54	59503.73	1326148.31	60264.09	1299695.67	57698.10
8	कुल नकदी प्रवाह		1122015.10		1075391.81		1093184.67		1236687.67
नकदी अंतः प्रवाह									
9	प्रतिभूत ऋण (यथा रिवर्स रेपो)	173104.48	0.00	109204.23	0.00	233584.29	0.00	475322.86	0.00
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से अंतःप्रवाह	185683.35	128317.41	171539.71	110736.99	150220.00	76800.74	151838.51	71941.15
11	अन्य नकदी अंतःप्रवाह	68970.15	68522.39	64644.37	64644.37	35742.86	35742.86	53950.00	84409.31
12	कुल अंतः नकदी प्रवाह	427757.98	196839.80	345388.30	175381.35	419547.14	112543.60	681111.37	156350.47
13	कुल एच.क्यू.एल.ए		2042765.76		1976896.33		2062988.09		2353523.36
14	कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह		925175.30		900010.45		980641.07		1080337.21
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)		220.80%		219.65%		210.37%		217.85%

13. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की शर्तों में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2020-21 में मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई, इसलिए मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

14. बेसल III पूंजी पर्याप्तता' पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/ 2015-16, दिनांकित 1 जुलाई 2015 और 'पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक संशोधन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांकित 31 मार्च 2015 के अनुसार बैंकों को बेसल III ढांचे के तहत लीवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रकटीकरण की लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। ये विवरण हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

12. Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Lakhs)

		30.06.2020		30.09.2020		31.12.2020		31.03.2021	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		2042765.76		1976896.33		2062988.09		2353523.36
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	5614165.69	559146.61	5692396.62	566953.39	5846386.23	580962.58	5978580.40	593385.78
(i)	Stable Deposits	45447.63	2272.65	45773.13	2291.04	73520.80	3676.04	89451.84	4472.93
(ii)	Less stable deposits	5568718.06	556873.97	5646623.49	564662.35	5772865.43	577286.54	5889128.56	588912.86
3	Unsecured wholesale funding of which	953771.83	488936.81	866671.96	433336.99	842467.94	430903.84	1161975.51	541577.90
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	11590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	942181.29	488936.81	866671.96	433336.99	842467.94	430903.84	1161975.51	541577.90
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	120422.90	16805.39	0.00	15597.70	0.00	21054.15	0.00	44025.89
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36090.37	36090.37
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	120422.90	16805.39	97174.37	15597.70	208967.11	21054.15	135707.88	7935.52
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	1254577.15	57126.29	1338985.54	59503.73	1326148.31	60264.09	1299695.67	57698.10
8	Total Cash Outflows		1122015.10		1075391.81		1093184.67		1236687.67
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	173104.48	0.00	109204.23	0.00	233584.29	0.00	475322.86	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	185683.35	128317.41	171539.71	110736.99	150220.00	76800.74	151838.51	71941.15
11	Other Cash Inflows	68970.15	68522.39	64644.37	64644.37	35742.86	35742.86	53950.00	84409.31
12	Total Cash Inflows	427757.98	196839.80	345388.30	175381.35	419547.14	112543.60	681111.37	156350.47
13	TOTAL HQLA		2042765.76		1976896.33		2062988.09		2353523.36
14	Total Net Cash Outflows		925175.30		900010.45		980641.07		1080337.21
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		220.80%		219.65%		210.37%		217.85%

13. **Disclosures in Terms of MSMED Act 2006**

Guideline given in Micro, Small and Medium enterprises development act 2006 have been complied with for purchases made during FY ended March 2021 in FY 2020-21 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY ended March 2021.

14. In terms of Reserve Bank of India (RBI) circular DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16, dated July 1, 2015, on 'Basel III Capital Adequacy' and RBI circulars DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments', Banks are required to make Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III framework which are being made available on the Bank's website. The Disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank. These details are being made available on our website www.psbindia.com.

15. दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार- प्रावधान मानदंड, पत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी 15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और डीबीआर संख्या बीपी.1906/21.04.048/ 2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2018 के संदर्भ में, उक्त परिपत्र में संदर्भित उधार खातों के संबंध में 31.03.2021 को रु. 481.59 करोड़ के बकाया के मुकाबले बैंक के पास रु. 481.59 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा, एनसीएलटी को संदर्भित कुल उधार खातों के संबंध में प्रावधान 31.03.2021 को रु. 5076.76 करोड़ के बकाया के मुकाबले रु. 4601.31 करोड़ था।

16. कोविड-19 दुनिया व भारत में फैल रहा है इसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अस्थिरता है। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणाम को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा जो अत्यधिक अनिश्चित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की गंभीरता और इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने की कार्रवाई व प्रोत्साहन और नियामक पैकेज, यदि कोई हो शामिल है। हालांकि लॉकडाउन के उपायों में ढील के बाद से आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है, प्रबंधन की अभिमत में, बैंक की वित्तीय स्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    आरबीआई द्वारा घोषित 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 को कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, मानक के रूप में वर्गीकृत सभी पात्र उधारकर्ताओं को 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त के बीच देय किश्तों और/या ब्याज जैसा कि लागू हो के पुनर्भुगतान पर स्थगन की पेशकश की, यद्यपि 29 फरवरी, 2020 तक अतिदेय हो। अधिस्थगन अवधि के दौरान अधिस्थगन खातों में परिसंपत्ति वर्गीकरण को स्थिर रखा गया है।

17. आरबीआई द्वारा 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 को घोषित कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के संबंध में जिनके खाते 29 फरवरी, 2020 तक मानक थे, बैंक ने 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के बीच देय सभी सावधि ऋण किस्तों पर तीन महीने की अधिस्थगन दी, सभी पात्र उधारकर्ताओं को पुनर्संरचना किए बिना 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज की वसूली को कुछ मापदंडों में छूट सहित स्थगित कर दिया । इसके अलावा 22 मई, 2020 को आरबीआई ने बैंकों को पात्र उधारकर्ताओं को इस तरह के लाभ को 1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक और तीन महीनों के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को ऐसे उधार खातों के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली दो तिमाहियों में बकाया अग्रिमों के 10% की दर से प्रावधान करना आवश्यक है, जहां आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया है। आरबीआई परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
i.	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था (ओ/एस 31.03.2021 को)	4868.10
ii.	संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया (ओ/एस 31.03.2021 को)	862.65
iii.	परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	88.02
iv.	परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार समायोजित प्रावधान	88.02
v.	परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार 31.03.2021 को शेष प्रावधान	शून्य

18. बैंक ने आईबीआई के परिपत्र डीआरबी.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 07 जून, 2019 के संदर्भ में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा के तहत रु. 585.80 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 825 ऑफ 2020 गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य और अन्य संबंधित मामलों में अपने अंतरिम आदेश दिनांक 03 सितंबर, 2020 के माध्यम से बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन खातों को 31, अगस्त 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था उनकों अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों का निपटान लंबित है। बैंक ने गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए ऐसे उधार खातों के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक रु. 609.95 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021 को अपने फैसले के तहत उधारकर्ता के खातों को एनपीए घोषित नहीं करने के लिए दी गई अंतरिम राहत को खारिज कर दिया। तदनुसार, बैंक ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के पैरा 5 में निहित निर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है।

15. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June23, 2017, and DBR. No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2018 respectively, the bank is holding the provisioning of Rs. 481.59 Crores as against the balance outstanding of Rs. 481.59 Crores as on 31.03.2021 in respect of borrowal accounts referred in aforesaid circular. Further, the provisions held in respect of total borrowal accounts referred to NCLT stood at Rs.4601.31 Crores as against the balance outstanding of Rs.5076.76 Crores as at 31.03.2021.

16. COVID-19 continues to spread across the globe and India resulting in significant volatility in the global and Indian economy. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's result will depend on future development which are highly uncertain including among other things the severity of the second wave of the COVID-19 pandemic and action to contain its spread or mitigate impact including further stimulus and regulatory packages, if any. While there has been an improvement in the economic activity since the easing of the lockdown measures, in the opinion of management, there would not be significant impact on bank's financials.

    In accordance with the COVID-19 Regulatory Packages announced by the RBI on March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020 the Bank, in accordance with the Board approved policy, offered a moratorium on the repayment of installments and / or interest, as applicable, due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to all the eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on February 29, 2020. The asset classification in the moratorium granted accounts have been kept static during the moratorium period.

17. In accordance with the COVID-19 Regulatory Package announced by the RBI on March 27, 2020 and April 17, 2020 with regard to providing relief to borrowers' on account of COVID-19 pandemic whose accounts were standard as on February 29, 2020, the bank has permitted moratorium of three months on all term loan installments falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020, deferred the recovery of interest on working capital facilities sanctioned in the form of cash credit/ overdraft accounts from March 1, 2020 to May 31, 2020 including relaxation in certain parameters, to all eligible borrowers, without considering the same as restructuring. Further on May 22, 2020, RBI has permitted the Banks to extend such benefits to eligible borrowers for another three months from June 1, 2020 to August 31, 2020. In accordance with RBI's guidelines, the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended March 31, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. The disclosure requirements as per RBI circular dated 17.04.2020 are as under.

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in Crore)
i.	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended (O/s as on 31.03.2021)	4868.10
ii.	Respective amount where asset classification benefits is extended (O/s as on 31.03.2021)	862.65
iii.	Provisions made in terms of para 5 of the circular	88.02
iv.	Provisions adjusted in terms of para 6 of the circular	88.02
v.	Residual provisions o/s as on 31.3.2021 in terms of para 6 of the circular	Nil

18. The Bank has made an additional standard asset provision in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on prudential framework for resolution of Stressed Assets amounting to Rs. 585.88 Crore.

19. The Hon'ble Supreme Court in Writ petition (CIVIL) No 825 of 2020 by Gajendra Sharma Vs Union of India &Anr and other connected matters vide its interim order dated September 03, 2020 has directed Banks that the accounts which were not declared NPA till August 31, 2020 shall not be declared NPA till further orders, pending disposal of the cases by the Hon'ble Supreme Court. The bank made contingency provision of Rs. 609.95 Crores as at December 31, 2020 for such borrowal accounts not classified as non performing. The Hon'ble Supreme Court of India vacated the interim relief granted not to declare accounts of borrower as NPA vide its judgement on 23rd March 2021. Accordingly, the Bank has classified borrowers as NPA in accordance with Instructions contained in paragraph 5 of the RBI circular dated 7th April, 2021.

20. आरबीआई के दिनांकित 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही स्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो, बैंक को उन सभी उधारकर्ताओं को 'ब्याज का ब्याज' वापस करना/समायोजित करना आवश्यक है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा इस तरह के 'ब्याज पर ब्याज' की गणना के लिए कार्यप्रणाली परिचालित की गई है। बैंक इस पद्धति को उपयुक्त रूप से लागू करने की प्रक्रिया में है और अंतिम रूप से लंबित होने के कारण रु. 30 करोड़ की अनुमानित ब्याज राहत के लिए देयता निर्धारित किया गया है और इसे 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अर्जित ब्याज से कम कर दिया है।

21. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांकित 6 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र संख्या डीओआर.सं.बीपी.बीसी /3/21.04.048/2020-21 द्वारा घोषित कोविड-19 के लिए संकल्प ढांचे के अनुसार, बैंक ने कुछ पात्र उधारकर्ताओं का एकबार पुनर्संरचना लागू की और ऐसे उधारकर्ताओं को उपरोक्त ढांचे के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई के परिपत्र द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं: -

उधारकर्ता का प्रकार	**(A)** **उन खातों की संख्या जहां गवाक्ष के तहत आरपी लागू किया गया**	**(B)** **योजना के कार्यान्वयन से पहले (A) में उल्लिखित खाते में निवेश**	**(C)** **(बी) में से, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया**	**(D)** **अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के मध्य शामिल**	**(E)** **संकल्प योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि**
व्यक्तिगत ऋण	5577	492.27	-	-	56.43
कॉर्पोरेट व्यक्ति	5113	539.01	-	-	56.21
उक्त में से एमएसएमई	5101	342.84	-	-	28.44
अन्य	673	35.45	-	-	5.45
कुल	**11363**	**1066.73**	**-**	**-**	**118.09**

कॉर्पोरेट व्यक्ति दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है।

22. वर्ष के दौरान, कार्मिक अंतिम लाभों के संबंध में बैंक मृत्यु दर तालिका आईएएलएम 2012-2014 में प्रविष्ट कर गया है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 369.27 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

23. दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के फैलने से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है। ऐसे में बैंक चुनौतियों से निपटने के लिए हर मोर्चे पर कमर कस रहा है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियाँ विस्तृत कार्यशील पूंजी चक्र, नकदी प्रवाह के उतार-चढ़ाव और उधारकर्ताओं की अपने चुकौती दायित्वों को पूरा करने में संभावित अक्षमता हो सकती हैं। कोविड-19 के प्रभाव का एक निश्चित आकलन परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि वे उत्तरवर्ती अवधि में प्रकट होते हैं। आगामी तिमाहियों में वसूली के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान रु. 178.49 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने संकल्प ढांचे के तहत किए जाने वाले अवसंरचना के लिए रु. 45.00 करोड़ का अतिरिक्त मानक परिसंपत्ति प्रावधान भी किया है।

उक्त प्रावधान, ऋण प्रावधानों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रखे गए प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।

24. एक ही समूह के 2 उधारकर्ता खातों के साथ बैंक का रु. 1274.49 करोड़ का निवेश है। एनसीएलटी आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2020 के अनुसार, इन खातों को एनपीए घोषित नहीं किया जाना था और बैंक को अगले आदेश तक मानक परिसंपत्ति वर्गीकरण की यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंक ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। अपील के लंबित परिणाम, एक सावधानी के रूप में, बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक रु. 405.95 करोड़ का मानक परिसंपत्ति प्रावधान बनाया है।

25. बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के तहत रु. 2130 करोड़ रुपए की 8520 इकाइयां बेची हैं और रु. 26.34 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

26. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है, इसके अतिरिक्त जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी।

20. In accordance with the instructions in RBI circular dated April 07, 2021 the bank is required to refund / adjust 'interest of interest' to all the borrowers including those who had availed of working capital facilities during the moratorium period, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. As required by the RBI notification, the methodology for calculation of such 'interest on interest' has been circulated by the Indian Banks Association (IBA). The Bank is in the process of suitably implementing this methodology and pending finalization, has created a liability towards estimated Interest relief of Rs 30 Crores and has reduced the same from interest earned for the quarter and year ended 31st March 2021.

21. In accordance with Resolution Framework for COVID-19 announced by RBI vide its circular no. DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 6th August, 2020, the Bank has implemented one-time restructuring for certain eligible borrowers and such borrowers are classified as Standard in accordance with the above framework. The disclosure requirements as required by RBI circular for the year ended 31stMarch 2021 is given below:-

Type of borrower	(A) No of accounts where RP has been implemented under the window	(B) Exposure to account mentioned at (A) before implementation of the plan	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan
Personal Loan	5577	492.27	-	-	56.43
Corporate Persons	5113	539.01	-	-	56.21
Of which MSMEs	5101	342.84	-	-	28.44
Others	673	35.45	-	-	5.45
Total	**11363**	**1066.73**	**-**	**-**	**118.09**

Corporate persons as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

22. During the year, Bank has migrated to the mortality table IALM 2012-2014, with respect to the employee terminal benefits. Accordingly, the bank has made an additional provisioning of Rs.369.27 crore during the year ended 31st March 2021.

23. The spread of COVID-19 pandemic across the globe has resulted in decline in economic activities. In this situation, bank is gearing up itself on all fronts to meet the challenges. Major challenges for the Bank could be from extended working capital cycles, fluctuating cash flow trends and probable inability of the borrowers to meet their repayments obligations. A definitive assessment of the impact of COVID-19 is dependent upon circumstances as they evolve in the subsequent period. To mitigate the risk of recovery in ensuing quarters, the bank has proactively made an additional provision of Rs.178.49 Crores during the quarter ended March 31, 2021.

    Further, the bank has also made an additional standard asset provisioning of Rs.45.00 Crores on account of restructuring to be done under resolution framework.

    The aforesaid provisions are in addition to the provisions held as per RBI guidelines as regards loan provisions.

24. The bank has exposure of Rs.1274.49 Crores with 2 borrowers accounts of the same Group. In terms of NCLT Order dated 21st October 2020, these accounts were not to be declared as NPA and bank is required to maintain status quo of standard asset classification until further orders. The bank along with other banks have filed an appeal against the NCLT Order. Pending outcome of the appeal, as a prudence, bank has created standard asset provision of Rs.405.95 Crores as on March 31, 2021.

25. Bank has sold 8520 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs.2130 Crore under Micro Enterprises and earned commission income of Rs.26.34 Crore during the year ended 31.3.2021.

26. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 छोडकर)

विवरण	2020-21	2019-20
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	-27329004	-9907983
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	35049329	21003569
मूल्यह्रास स्थावर आस्तियां	1021333	539094
मूल्यह्रास निवेश	-8121	-126438
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	95	-9639
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2444149	2345897
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**11177781**	**13844500**
समायोजन हेतु :		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	64406262	-88900511
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-3695000	3367500
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	539795	-221459
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-75720332	14026832
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-53175386	84024067
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	225852	-417099
प्रत्यक्ष कर भुगतान (कुल रिफंड)	-2235780	-3624676
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क)	**-58476808**	**22099154**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-4462179	-643522
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-95	9639
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	**-4462274**	**-633883**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकद में इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	33516149	1361408
प्राप्त शेयर प्रीमियम	21483850	7508592
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-4828	-12066
गौण बांड को जारी करना	0	7373000
गौण बांड का मोचन	-2000000	-5750000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-2444149	-2345897
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	**50551022**	**8135037**
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-58476808	22099154
निवेश गतिविधियों से नकदी	-4462274	-633883
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	50551022	8135037
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	**-12388060**	**29600308**
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	**95782544**	**66182236**
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	**83394484**	**95782544**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2020-21	2019-20
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-27329004	-9907983
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	35049329	21003569
Depreciation on Fixed Assets	1021333	539094
Depreciation on Investments	-8121	-126438
Profit on sale of Assets	95	-9639
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2444149	2345897
Operating Profit before working capital changes	**11177781**	**13844500**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	64406262	-88900511
Increase / (Decrease) in Borrowings	-3695000	3367500
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	539795	-221459
(Increase) / Decrease in Investments	-75720332	14026832
(Increase)/ Decrease in Advances	-53175386	84024067
(Increase) / Decrease in Other Assets	225852	-417099
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-2235780	-3624676
Cash Flow from Operating Activities (A)	**-58476808**	**22099154**
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-4462179	-643522
Profit on sale of Assets	-95	9639
Cash Flow from Investing Activities (B)	**-4462274**	**-633883**
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	33516149	1361408
Share Premium received thereon	21483850	7508592
Public Issue Expenses	-4828	-12066
Issue of Subordinated Bonds	0	7373000
Redemption of Subordinated Bonds	-2000000	-5750000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2444149	-2345897
Cash Flow from Financing Activities (C)	**50551022**	**8135037**
Cash from Operating Activities	-58476808	22099154
Cash from Investing Activities	-4462274	-633883
Cash from Financing Activities	50551022	8135037
Increase in Cash & Cash Equivalents	**-12388060**	**29600308**
Cash and Bank Balances (Opening)	**95782544**	**66182236**
Cash and Bank Balances (Closing)	**83394484**	**95782544**

वी. के. महरोत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कोल्लेगाल वी राघवेंद्र
कार्यकारी निदेशक

एस. कृष्णन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर कार्यकारी अध्यक्ष

कृते मेसर्स सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001359N
यूडीआईएन:21090205AAAAAS8391

कृते मेसर्स राज गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000203N
यूडीआईएन: 21530433AAAADD8743

सीए मधुर गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 090205
स्थान: नई दिल्ली

सीए अभिषेक गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 530433
स्थान: लुधियाना

कृते मेसर्स घिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001088C
यूडीआईएन: 21075000AAAAAL8150

कृते मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009989N
यूडीआईएन: 21085084AAAACH8542

सीए जी.पी गुप्ता
साझेदार
एम.सं.. 075000
स्थान : जयपुर

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
साझेदार
एम.सं.. 085084
स्थान: नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई, 2021

V.K. MEHROTRA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

KOLLEGAL V RAGHAVENDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

S. KRISHNAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

For M/S Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001359N
UDIN:21090205AAAAAS8391

For M/s Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000203N
UDIN: 21530433AAAADD8743

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205
Place: New Delhi

CA Abhishek Gupta
Partner
M. No. 530433
Place: Ludhiana

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C
UDIN:21075000AAAAAL8150

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N
UDIN: 21085084AAAACH8542

CA G.P Gupta
Partner
M.No. 075000
Place: Jaipur

CA Shiv Prakash Chaturvedi
Partner
M. No. 085084
Place: New Delhi

Place: New Delhi
Dated: May 22, 2021

बैंक का "विजन व मिशन वक्तव्य"

बैंक का कॉरपोरेट विजन :

समस्त हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अविर्भावित होने के लिए बैंक का मिशन वक्तव्य –

- आत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले ग्राहकों के विभिन्न वर्गों के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना।
- "सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय" के लिए पूर्णरूप से स्वयं को समर्पित करना।

"Vision & Mission Statement" of the Bank

CORPORATE VISION OF THE BANK:

To emerge as a techno savvy vibrant Public Sector Bank with Pan India presence aspiring to meet expectations of all stake holders

The Mission Statement of The Bank:

- To provide excellent customer service through innovative products and services for different segments of customers using state of the art technology.
- To dedicate ourselves wholeheartedly for "Sarva Jana Hitai Sarva Jana Sukhai"

मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer

श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा (सीवीओ)
Sh. Ambrish Kumar Mishra (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers

श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
Sh. Vinay Kumar Mehrotra

श्री एस.वी.एम. कृष्णा राव
Sh. S.V.M Krishna Rao

श्री पंकज द्विवेदी
Sh. Pankaj Dwivedi

श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan

श्री कामेश सेठी
Sh. Kamesh Sethi

श्री रवि मेहरा
Sh. Ravi Mehra

श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar

श्री अमित श्रीवास्तव
Sh. Amit Srivastava
(From 01.04.2021)

श्री राजेन्द्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar
(From 01.04.2021)

Printed at MP Printers, (A Unit of DB Corp. Ltd.) Noida 201305

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone: 011-25720849, 25812922
Website: www.psbindia.com | E-mail: complianceofficer@psb.co.in

Follow us on :